

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास नगम, सेक्टर-19, नया रायपुर जटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : sbaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 (एस.ई.ए.सी.-2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/02/2025 को संघन 58वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 (एस.ई.ए.सी.-2), छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/02/2025 को श्री विष्णु सिंह लाकड़ा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2 की अध्यक्षता में संघन हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री भुलसिंहम फलाहवेलवन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
 2. श्री. कोसिनायु राधावन नरवर हरि, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
 3. श्री मिलेश्वर प्रसाद शाह, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
 4. श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
 5. श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, सदस्य समिति, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2
- समिति द्वारा एजेन्डा में उल्लिखित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1:

परिपेक्ष 1.0 पोर्टल से प्रकरणों (श्रीम/मुख्य खनिजों / अन्य परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों) के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स फॉरेग ग्लोब स्क्वाटी (प्रो- श्रीमती रजनी सिंह), ग्राम-कुरदी, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोड (सचिवालय का नशी क्रमांक 1881)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 69682 एवं 10/12/2021 ई.सी. - 454801 एवं 08/12/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	फॉसी फालर (श्रीम खनिज)	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.64 हेक्टेयर एवं 1.250 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	714/1 एवं 715	संलग्न है।
बैठक का विवरण	512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024



प्रस्तुतीकरण हेतु भी उत्तर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के अध्यक्ष पद सम्भाला गया कि एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त संस्था मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार कर प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में हवा की गति (wind speed) एवं हवा की दिशा (wind direction) के आधार पर विन्ड रोल डाईग्राम (wind rose diagram) बनाया गया है, जबकि प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत विन्ड रोल डाईग्राम (wind rose diagram) को वेबसाइट (www.cerwinlab.com) से लिया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा गलत डाटा के आधार पर वायु गुणवत्ता का मापन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया है। उपरोक्त के संबंध समिति का मत है कि एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त संस्था मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट उपयुक्त नहीं है। अतः इस संकलन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को गलत डाटा के आधार पर वायु गुणवत्ता का मापन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के कारण एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त संस्था मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड के विरुद्ध उचित कार्रवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को गलत डाटा के आधार पर वायु गुणवत्ता का मापन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के कारण एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त संस्था मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड के विरुद्ध उचित कार्रवाई किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आपन क्रमांक 223, दिनांक 24/04/2024 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुरोध पत्र लेख किया गया है।

मानान में मेसर्स पी एम्ब एम सील्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 24/04/2024 को गलत डाटा के आधार पर वायु गुणवत्ता का मापन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. मोन्टरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. मोन्टरे को पत्र से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर की अवगत कराया गया। तदीपराय छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से पत्र की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पत्र मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विधायकी में था।



परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 24/04/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एसईएसी, उत्तीर्ण के एजेण्डा पत्र दिनांक 25/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

समिति द्वारा गरीब, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गैलरी में एक एम सीटियुशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति का आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुरोध पत्र लेख किया जाए।

भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदनुसार पत्र लेख किया जाए।

2. कैसर फरहदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो- श्री अरुण कुमार मशीने), ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमना, जिला-बलौदाबाजार-भाटमारा (सिविलियल को नसी क्रमांक 2450)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एमआईएन/430200/2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चुना मत्तार (गौम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमना, जिला-बलौदाबाजार-भाटमारा स्थित खदान क्रमांक - 502 एम 600, कुल क्षेत्रफल- 1, 715 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित पर्यवेक्षण क्षमता विस्तार- 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्ण के आपन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व से गयी नई संचित जानकारी एवं समस्त सुरंगित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्ण के आपन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाया संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / परतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ख) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

भू-स्वामिता	निजी भूमि खसरा क्रमांक - 589 एवं 600 भी मनोज सिंह के नाम पर है।	भू-स्वामी का सहमती पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अरुण कुमार लसीने, प्रोपराइटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - घुना पथर (ग्रीन खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 589 एवं 600 क्षेत्रफल - 1.715 हेक्टेयर क्षमता - 15,004 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 14/02/2017 कैलाश जलवि - 5 वर्ष	ई.ई.आई.ए. जिला- कालीदाबाजार-भाटापारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की कैलाश जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक रोक थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का फलन प्रतिवेदन	रव-प्रमाणित - हाँ क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर - अछाढ़	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन प्रेषित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 09/02/2024 वर्ष 2018-19 में 850 टन वर्ष 2019-20 में 50 टन वर्ष 2020-21 में 650 टन वर्ष 2021-22 में 150 टन वर्ष 2022-23 में 200 टन	संलग्न है।
ज्ञान संवायत एन.ओ.सी.	ज्ञान संवायत करहवा दिनांक 25/04/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/01/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 18/01/2024	2 खदानें, रकबा 2.217 हेक्टेयर

200 मीटर	दिनांक 19/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज बीड	लीज धारक - श्री अरुण नरसिम्ह अवधि - दिनांक 26/11/2009 से 26/11/2039	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वननग्नताधिकारी, बलीदासनागर वनमण्डल, बलीदासनागर द्वारा जारी दिनांक 26/02/2024	वन क्षेत्र से दूरी - 9.48 कि.मी. वन्धनीय अन्तःकरण चारनापाखा - 52.89 कि.मी. टाईगर रिजर्व अक्षांशमान - 94.85 कि.मी.
नहरापूर्व सारंगनखी की दूरी	आवादी बाग - गटिया 750 मीटर स्कूल बाग - फरहदा 12 कि.मी. अस्पताल - मातापहरा 9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 23 कि.मी. राज्यमार्ग - 53 कि.मी.	माता - 2.8 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निर्मित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	परखनन विधि - ऑपन कास्ट थैकी मेकनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रीन स्टाबिलिटी - हाँ रिजर्व - जिंदगीविकृत 9,30,375 टन माईनिंग 4,57,558 टन रिकवरीबल 4,34,681 टन प्रस्तावित गहराई 25 मीटर बेस की ऊँचाई 1.5 मीटर बेस की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.9 वर्ष प्रस्तावित ऊँचाई - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित परखनन प्रथम 30,000 टन द्वितीय 25,837.5 टन तृतीय 30,000 टन चतुर्थ 30,000 टन पञ्चम 30,000 टन
खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 3,383 वर्गमीटर	प्रस्तावित - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - 832 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - डाईटेसम पॉवर लाइन रखने होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डेन प्रबंधन योजना	गोटाई - 2.5 मीटर मात्रा - 1,858 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 1,858 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर कृताक्रम के	मात्रा - 22,878 घनमीटर ओवर बर्डेन प्रबंधन योजना - आवश्यकताानुसार ओवर बर्डेन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओवर







	लिए उपयोग।	कॉमन को स्थानित विभाग की अनुमति से विवरण दिया जाएगा।
खाल जमापूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत - भू-जल	भू-जल के उपयोग हेतु सैन्यगत राज्यस्तरीय स्तर पर अनुमति प्राप्त है।
पुष्करोपन कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी की चारों ओर पुष्करोपन - 850 नम	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 11,55,300 रुपये
परियोजना से संबंधित राज्य पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम्प्लैट स्टांडिंग कंजर्वेटिव अफेयर एंजलेशन नियंत्रण, सामान पुष्करोपन एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, प्रसूतीकरण आदि प्रमुख नीति के तहत सैन्यगत, स्थानित नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सीमांत जल में रख कर पुष्करोपन करने, ओवरसिकन को स्थानित विभाग की अनुमति से विवरण करने आदि बाबत राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पंचायत, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 804(2), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई खदान का प्रकरण लंबित नहीं है।
शेरी	सी-2	आरोपित खदान को मिलाकर कुल सीजन 2832 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की समस्त विस्तार से चर्चा उपरोक्त विधानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at Govt. Primary school, Village- Farhada	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर पुष्करोपन (कटहल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पीछी के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000

समय, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,500 रुपये हेतु धटकावार राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राकार्य (Paved) का सामग्री पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. सीज क्षेत्र की घाटी जोर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सहीकृति की बातों का उत्तरदायक है। आतः जीव उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीच कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 13(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सहीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी का पुनःवर्षा न करने, विनाश न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभरण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।








6. साईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमेंटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचरती उपराधी (Remedial Measures) के संघर्ष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर साईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपराधी तथा पुनरावस्था आदि के लिये समुचित उपराधी को क्रियान्वित करने केबल संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदौरवी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जॉन उपराधी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को बांति पशुधाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त विधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. की.पी. मोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. की.पी. मोन्हेरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदीपश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 30/04/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण कुमार नसीने, डीपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नसीने प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. होलीम कन्सल्ट, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के डायन क्रमांक 6756 दिनांक 13/03/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।



2. सीमा क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अलग-अलग क्षेत्रों को पुनःभरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं अलग-अलग भाग को शामिल करते हुए अद्यतन सिविली अनुसार निजर्ब की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर की सुरक्षा जोन में 784 वर्गमीटर क्षेत्र 2.5 मीटर की गहराई तक खुद गया है जो ऊपरी मिट्टी है इसे खनन क्षेत्र से निकाले ऊपरी मिट्टी से पुनः भरण किया जावेगा। खनन हेतु टॉप साइट क्षेत्र 5,070 वर्गमीटर में 2.5 मीटर की गहराई तक टॉप साइट उपलब्ध है जिसकी कुल मात्रा 12,675 घनमीटर में से 1,885 घनमीटर पुनःभरण में उपयोग किया जावेगा एवं शेष 10,690 घनमीटर टॉप साइट 7.5 मीटर की सुरक्षा जोन के 3,383 वर्गमीटर एवं High Tension line से 50 मीटर की प्रतिबंधित क्षेत्र 832 वर्गमीटर में अंशगति कर बीघा संचयन किया जावेगा।

3. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभरण में किये जाने संबंध सम्पन्न पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस संबंध अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिश निर्देशों का पालन किया जावेगा। इस संबंध अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं पूंजासोपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु बि-क्षेत्र समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सदस्य/कमी/प्रतिनिधि एवं किसान प्रशासन या जलसिमापद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्य/कमी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पूंजासोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित बि-क्षेत्र समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल मेंबर, नई दिल्ली द्वारा जारीत धान्देय विस्मृद वाला सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतिमन एडिशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारीत आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा दिया गिर्ह उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - गैसल करवाटा लईम स्टोन क्वारी (जो - श्री अरुण कुमार भसीन) को ग्राम-करवाटा, तहसील-सिमरा, जिला-बल्लियावाजार-भाटापारा के समस्त क्रमांक 505 एवं 600 में स्थित चूना पत्थर (ग्रीन ब्लिन्ड) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.715 हेक्टेयर, क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु

परिशिष्ट-01 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

1. मेसर्स पिनकापार लाईंग स्टोन क्वारी (जी.- बी. रामधरण सिरदार), ग्राम-पिनकापार, तहसील-झीझी लोहारा, जिला-बालोद (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2487)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 438834/ 2023, दिनांक 28/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञात दिनांक 14/08/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्रित जानकारी दिनांक 21/07/2023 की ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवर्धित युवा पथर (ग्रीन ब्लिज) खदान है। खदान ग्राम-पिनकापार, तहसील-झीझी लोहारा, जिला-बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1117, 1122/1, 1122/2, 1123, 1124 एवं 1125, कुल क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5000 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.08.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिसूचना मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभापता निर्धारण प्रक्रिया से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एसईआईएसी, छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईआईसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार देवानन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का व्यवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

10

- i. पूर्व में शुद्ध पक्का खदान खदान क्रमांक 1117, 1122/1, 1123/2, 1123, 1124 एवं 1125, कुल क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादन निरीक्षण अधिकरण, जिला-बालोद द्वारा दिनांक 02/12/2016 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की कड़ी को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्ति कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के द्वारा क्रमांक 299/कोषा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	4,500
2018	5,000
2019	5,000
2020	3,500
2021	3,400
2022	3,750
2023 (मार्च तक)	3,000

2. घास पंथायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंथायत पिकायतार का दिनांक 20/12/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एतना विषय क्वारी क्वीजरी प्लान एन्ड इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला-बालोद के पृ. द्वारा क्रमांक 1205-06/खनि.लि./खनिज/2018-18 बालोद, दिनांक 22/03/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के द्वारा क्रमांक 300/कोषा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर आसपास 2 खदान, क्षेत्रफल 2.66 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/शरीरणाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के द्वारा क्रमांक 299/कोषा/जनरल/2023 बालोद, दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार समस्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, कुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनकर, बांध, राष्ट्रीय/राज्यमार्ग एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।





11

6. **सीज का विवरण** – सीज श्री रामचरण किरदार के नाम पर है। सीज डीज पांच वर्षों अर्थात् दिनांक 06/06/2010 से 06/06/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीज डीज दिनांक 06/06/2020 तक की अवधि हेतु वैध विस्तारित है। समिति का मत है कि सीज डीज की अवधि विस्तार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. **भू-सम्मेलन** – भूमि खसरा क्रमांक 1117 श्री गीतन चंद, खसरा क्रमांक 1122/1, 1122/2, 1123 एवं 1124 श्री दिनेश चंद गखत एवं खसरा क्रमांक 1125 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनभण्डारीकारी, बालोद वनभण्डार, बालोद के ज्ञापन क्रमांक/राज.अधि./न.उ.23/2020/6277 बालोद, दिनांक 06/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी घाग-पिनकापार 1 कि.मी. वस्तुतः एवं अस्पताल घाग-पिनकापार 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 97 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं कियनवा नदी 7.2 कि.मी. दूर है। गीसानी गावा 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिकली प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबेधित किया है।
12. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** – जियोलाजिकल किट्स 1,10,500 टन, माईनेबल रिजर्व 50,002 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी गीसा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.223 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। खनरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी। वर्तमान में सीज क्षेत्र की भीतर खनरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अरार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लोक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल मॉनिटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000	षष्ठम	5,000
द्वितीय	5,000	सप्तम	5,000
तृतीय	5,000	अष्टम	5,000
चतुर्थ	5,000	नवम	5,000
पंचम	5,000	दशम	5,000

12

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। इस कार्य सेन्दन धातुपदों की अर्थोद्विगी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **पुष्करोपम कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नम पुष्करोपम किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में पुष्करोपम हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु बैरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार कार्य का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – समिति द्वारा के एम.एस. से देखने पर पता चला कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग में उत्खनित किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। आ. परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध कार्य चरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनर्वास हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 7(a) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में पुष्करोपम किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा चरान्त विमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Pinkapur	
			Plantation in Mukadham	3.19
			Total	3.19

18. सीडूआर के अंतर्गत 'भूमिदान के पास वाली ओर' वृक्षारोपण (पीन, आम, जामून, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, पंशिम के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,52,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,52,000 रुपये हेतु घटकांतर व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पिनकापार के सहमति उपरान्त सम्बन्धीय स्थान (खसरा क्रमांक 197, क्षेत्रफल 1.89 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी लगभग 3,400 घनमीटर में तो लगभग 2,700 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 1.5 मीटर की लीज बाउंड्री में 1.5 मीटर ऊंचाई तक रखा जायेगा तथा शेष 700 घनमीटर मिट्टी को आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत पिनकापार के द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 197, रकबा 1.89 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिकतम 1.5 मीटर की ऊंचाई तक रखा जायेगा जिसको खदान के अंत में पुनः मरम ठाई में उपलब्ध किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. आवंटित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सदन अधिकारी के अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. फ्यूजिटेड कस्ट उत्खनन के नियंत्रण हेतु नियमित जल विद्युत्ताय किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. कट्टेज लाइसेंस का कार्य एक्सप्लोडर लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कठमे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सदन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री प्लान्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 भाग के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सीडूआर के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का काम से काम 5 वर्षों तक रोक रोक किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. एन्टी-समूह आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्रत्यक्षता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चरसंघम का प्रकरण लंबित नहीं है।
30. भविष्य में पर्यावरणीय हकीकतों प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन समाप्त से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने काबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन किये जाने काबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधान मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय हकीकतों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त का प्रस्तुत किया जाए।
2. सीज क्षेत्र की अवधि विस्तार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 मीटर ऊंचाई वाले पीपल का रोपण (90 प्रतिशत लीकन दर सहित), सुखा हेतु फीनिंग, छाद एवं सिपाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षी का घटकवार व्यव का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. चारों मिट्टी 700 घनमीटर की घान संभावित पिनकाधार के तात्कालीन भूमि अतल क्रमांक 107 में रखे जाने हेतु घान संभावित पिनकाधार का शस्यमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. 7.5 मीटर तलस्थित क्षेत्र के पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।
6. कोईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीज क्षेत्र के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के किये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने काबत संचालक, संचालनालय, भीमिती तथा खनिकर्मी इन्साती भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (अलीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीज घट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिती तथा खनिकर्मी को एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

8. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामिक शाखा), जिला-काशी को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 को तत्काल परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसंधान (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ली को इस कार्यालय में अधिलेख प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
9. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का विन्युक्त पालन किये जाने बाबत ज्ञानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/05/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आपन दिनांक 21/05/2023 के परिचय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(क) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 25/05/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 25/05/2024 को डॉ. बी. पी. मोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. मोन्हेरे को पत्र से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अग्रगत कराया गया। तदीयगत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना राधराय सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 25/05/2024 का कार्यवाही विवरण पत्र मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुगोचन हेतु विद्यमान थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 09/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ख) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/08/2022 में समता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण समता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. लीज क्षेत्र की अवधि विस्तार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। लीज की समीक्षा विचार के तहत पर है। लीज दिनांक 05/05/2040 तक वैध है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नन वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें पीछे के लिए राशि 25,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रुपये, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 40,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 34,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,89,000 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,68,000 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. उपरी मिट्टी 700 सेंटीमीटर की घन पंचाक्षत विभक्तिकार के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 187 में रखे जाने हेतु घन पंचाक्षत विभक्तिकार का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनर्स्थापन हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में लीज की पूर्ण क्षेत्र में 34 मीटर की लम्बाई में 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम क्षेत्र में 68 मीटर की लम्बाई में 6 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण क्षेत्र में 47 मीटर की लम्बाई में 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसमें कुल 6,063 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डीन का उपयोग पुनर्स्थापन हेतु किया जाएगा। पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत रु. 6,06,300/- होगी।
6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. समिति का मत है कि सी.सी.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु नि-स्थायी समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, घन पंचायत के महाविधायी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचाई पर्यावरण संरक्षण मण्डल के महाविधायी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.सी.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण

किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.सी. डिप्टिमेंट वेब, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षक पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एन्विरोन्मेंट नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपर की मिट्टी 700 सन्मीटर को घास पेघाया पिनकावार के राजकीय भूमि खसरा क्रमांक 197 में रखे जाने हेतु घास पेघाया पिनकावार का सहायता प्रमाण पत्र एम.ई. आई.ए.ए., फरीदाबाद ने आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहाय अनुमति की जाती है।
2. मेसर्स पिनकावार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रामचरण बिरदार) को घास-पिनकावार, तहसील-डीडी लोहरा, जिला-बालोद के खसरा क्रमांक 1117, 1122/1, 1122/2, 1123, 1124 एवं 1125 में स्थित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर, क्षमता - 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एम.ई.आई.ए.ए.), फरीदाबाद को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स पिनकावार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दिनेशचंद मखार), घास-पिनकावार, तहसील-डीडी लोहरा, जिला-बालोद (समिवालय का नसी क्रमांक 2488)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 430504/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से क्षाम दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घास-पिनकावार, तहसील-डीडी लोहरा, जिला-बालोद स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 1265, कुल क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-0.285 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through

SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑर्डर नेक्सेपडम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमति (re-appraisal) हेतु एचईएसी, छत्तीसगढ़ के राज्य ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एचईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव कुमार देवायन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

I. पूर्व में कुल पचास खदान कुल क्रमांक 1265, कुल क्षेत्रफल—0.48 हेक्टेयर, संभाव—6,265 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बालोद द्वारा दिनांक 02/12/2018 को जारी की गई।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

III. निर्धारित शर्तानुसार सुझावों का नहीं किया गया है।

IV. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 200(ए)/बीआ/अग्निज/2023 बालोद, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार दिनांक पत्रों में किये गये उल्लेखों की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	6,200
2018	6,280
2019	6,250
2020	4,700
2021	4,000
2022	7,200
2023 (माघ तक)	2,760

समिति द्वारा यह पाया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2022 में 7,200 टन का उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उत्खनन की श्रेणी से आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस सेनोरेग्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस सेनोरेग्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उत्खनन की प्रकल्पों हेतु स्टैंडर्ड ऑफ फॉसिल (SOF) जारी की गई है, जिसके अनुसार-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union-Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त विनुओं के आधार पर जलकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. धान पंचायत का अनापूर्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में धान पंचायत धिनकासार का दिनांक 15/12/2016 का अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी धान-एलाग विम काटरी कलेजर प्लान एण्ड इन्स्टाब्लेमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बाजोद के पृ. आपन क्रमांक 1202-03/खनि.वि./खनिज/2015-16 बाजोद, दिनांक 22/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की पश्चि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बाजोद के आपन क्रमांक 298/कोपा/जमरल/2023 बाजोद, दिनांक 15/07/2023 अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 2, क्षेत्रफल 2.74 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय, कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जिला-पालीक के ज्ञापन क्रमांक 298/कोषा/जनसल/2023 जारी दिनांक 19/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनोकेट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह जलसंधीय भूमि है। लीज की दिनेश बंद नक्सा के नाम पर है। लीज बीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2007 से 01/07/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज बीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2012 से 01/07/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज बीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/07/2022 से 01/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, दुर्ग वनसम्पदा, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2138 दुर्ग, दिनांक 22/02/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घास-पिनकापार 800 मीटर, स्कूल घास-पिनकापार 3 कि.मी. एवं अस्पताल घास-डोंगरपाठ 1.30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। राज्या 1 कि.मी. एवं सीमा नीला 100 मीटर दूर है।
10. परिसंस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली वील्डपुटेक एरिया, परिसंस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोमीट्रिकल रिजर्व 55,125 टन, माईनेबल रिजर्व 50,287 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,007 वर्गमीटर है। ज्ञापन क्रमांक मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं भीड़ 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लोक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। वर्षावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	0,285
द्वितीय	0,285
तृतीय	0,285

चतुर्थ	6,285
पंचम	6,285
षष्ठम	6,285
सप्तम	6,285
अष्टम	6,285

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मांग 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सू-जल के माध्यम से की जाती है। इस मांग को सेंट्रल थ्रूफ्रॉन्ट वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी पूर्णतः उत्खनित होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है तथा इसमें तकनीकी तौर पर पुनःसंसादन का वृक्षारोपण कार्य किया जाना भी संभव नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी क्षेत्र के प्रतिपुर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव सहमति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं होजफत सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

परियोजना वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण करने वाले तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछी, फेंसिंग, खण्ड एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का बटवारा एवं समतुल्य व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – समिति द्वारा के.एम.एल. से देखने पर पता चला कि लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग में उत्खनित किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय नीतियों की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत जांच उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही जहां 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र के पुनःसंसादन हेतु रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **उत्प्रेक्षणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु सख्त पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक viii (d) के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइनिंग क्षेत्र क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से धारा 13(1) के अनुसार निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Pinkapur	
			Plantation in Mukdham	3.13
			Total	3.13

17. सीईआर. के अंतर्गत "मुक्तिदान के तहत घाटी और" वृक्षरोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, कसज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 मग पीछे के लिए राशि 33,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,57,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,56,600 रुपये हेतु धटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पिनकवार के सहमति उपराल व्यवसायिक स्थान (जिसका क्रमांक 187, क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर) के समक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
18. आवेदित लीज होल के भीतर अवस्थित पुराने की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सहम अविकारी के अनुमति उपराल ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. कृषिगतिव डस्ट कलपन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. कंट्रोल ब्लानिटिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माइनिंग लीज होल के अंदर सारन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत माजम्बूरी विश्वकर्मा द्वारा सीमावर्तन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल नदी, लोहा, मोहर, नदी, गाँव एवं अन्य जल निकासों के संक्षण एवं संयोजन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 भाग के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23

24. पलम पंचायत द्वारा प्रस्तावित राजस्वहीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षों तक देखा रखा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. एनटीएसडि आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं मिस्टकथ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रत्येकन का प्रकरण लंबित नहीं है।
28. स्वीया में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना कुत्खनन नहीं करने एवं कुत्खनन शमता से अधिक कुत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमव्यवस्था सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबद्धता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड वार्षिक रीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रस्तावित अवधि में होनेवाले की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यदंड अधिनियमित किया जा सके।
4. 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी क्षेत्र के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए। समस्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण 100 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फसिल, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का सड़कवार एवं समस्तवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन जीन क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सीमा पट्टी जोन में किये गये कुत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार्यी उपाय (Remedial Measures) के संबंध में तथा सीमा क्षेत्र

के अंदर हाईजिग, क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा कृतांतोपन आदि के दिशे समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्त, इलाक़ाई भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबद्धता 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विशुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्त को एवं पर्यावरण को क्षति पहुचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर की वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
7. कार्योत्तर कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बातौर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचन नमोरेकॉर्ड दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को पुनः अनुमोदन (re-approval) हेतु संवेष्टित नसी की इस कार्योत्तर में तद्विलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
8. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी अधिसूचन नमोरेकॉर्ड में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 के common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/09/2023 को परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 639वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 639वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. मोन्दरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. मोन्दरे को पत्र से मुक्त किया जावन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंडल, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदीपस्तत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से जिला की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संस्थान मण्डल, नया रायपुर बटन नगर को दी गई। एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 635वीं बैठक दिनांक 26/08/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्तानुसार जानकारी दिनांक 09/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 685वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 को रखा गया है।

(4) समिति की 685वीं बैठक दिनांक 06/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 09/08/2022 में समता विस्तार की प्रकल्पों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आरोपित प्रकरण समता विस्तार का नहीं है। अतः आरोपित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की शर्तों के तहत नूतने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना तब जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में जानकारी कैलेंडर वर्ष अनुसार था। वित्तीय वर्ष अनुसार उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति का उल्लंघन नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वित्तीय वर्ष अनुसार उत्पादन आंकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड वेलोड सीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि खदान का प्रस्तावीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार ऑडिटेड अधिलेखित किया जा सके।
4. सीक क्षेत्र की सीमा में घाटी और 1.5 मीटर की परटी में 500 नमूना कुवारीकरण किया गया है, जिसमें पीपों के लिए राशि 25,000 रुपये, भंडारण के लिए राशि 1,00,000 रुपये, सिंचाई एवं बांध के लिए राशि 40,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,89,000 रुपये एवं रख-रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 1,58,000 रुपये प्रतिवर्ष हेतु धन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का किन्दुवन गालन किये जाने बाबत जानकारी एवं साथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने का बतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) CIVIL No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का पालन किये जाने का बतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वित्तीय वर्ष अनुसार उत्पादन आंकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कनाकर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को समितित करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी (यदि उत्तरादन हो गी) प्रस्तुत की जाए।
3. दिनांक 01/01/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की क्षति का परितोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति (यदि उत्तरादन हो गी) प्रस्तुत की जाए।

परितोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

6. मैसर्स श्री धंधराम चक्रवर्ती (मरगांव साईल/ऑडिनरी गले कपरी), ग्राम-मरगांव, तहसील ग जिला-राजमंदगांव (सविभाग का नस्ती क्रमांक 1456)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोक्त गन्वर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 181397/2020, दिनांक 02/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परितोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से उपरन दिनांक 17/11/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परितोजना प्रस्तावक द्वारा वचित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

खदान का विवरण - यह पूर्व से संघानित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान एवं फिक्स विमली ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-मरगांव, तहसील ग जिला-राजमंदगांव विगत खसरा क्रमांक - 400/1(पार्ट), 400/2(पार्ट), 401(पार्ट) एवं 402, कुल क्षेत्रफल - 0.882 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 600 टनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 4,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परितोजना प्रस्तावक को एचआईएसी, सन्तोसगढ़ के ग्रामन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धंधराम चक्रवर्ती, प्रोफाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोशन एवं परीक्षण करने पर विमन सिवति पाई गई-

11

12

13

14

27

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी खदान खराब क्रमांक 400/1, कुल क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर, क्षमता-800 घनमीटर (800 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 14/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन से की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति यह स्म है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नंदालग, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूरापूरण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक 2-87/ख.नि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 13/12/2021 द्वारा दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2007-08	240	2014-15	निरंक
2008-09	300	2015-16	निरंक
2009-10	225	2016-17	निरंक
2010-11	300	2017-18	60
2011-12	275	2018-19	990
2012-13	150	2019-20	300
2013-14	निरंक	2020-21	निरंक

- वर्ष 2018-19 में उत्खनन 990 घनमीटर किया गया है जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता 800 घनमीटर से अधिक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव से ज्ञापन दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में मिट्टी एवं फ्लाई ऐश की कुल मात्रा का उल्लेख है। इस संबंध में समिति का स्म है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव से दिनांक वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- घान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घान पंचायत बहेगल का दिनांक 09/05/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति यह स्म है कि उत्खनन हेतु घान पंचायत का अखतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही नोटक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्खनन योजना - खारी प्लान (खारी कम इन्फ्लायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो घान संचालक (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क. /ख.नि. /टीन-6/2018/1832 रायपुर, दिनांक 09/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 365/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 365/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, नहर, भवन, पार्किंग स्थल, मस्जिद, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल सौजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण – लीज की पंथान राजधानी के नाम पर है। लीज बीड 5 वर्षों अवधि में दिनांक 23/05/2007 से 22/05/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 23/05/2012 से 22/05/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज बीड 25 वर्षों अवधि में दिनांक 23/05/2017 से 22/05/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि कागजात क्रमांक 400/1 की गौरीश, दक्कन, बीनती दीपा की तालकाज, नीलमणी खसरा क्रमांक 400/2, 402 की इन्नालाल एवं खसरा क्रमांक 401 आवंटक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामित्व के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. धन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र – कार्यालय जनसम्बल अधिकारी, राजनांदगांव जनसम्बल, जिला-राजनांदगांव के डायन क्र./सा.वि./म.क्र. 10-1/2020/0014 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2020 से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 11.51 कि.मी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी गांव-मरेगांव 750 मीटर, स्कूल घांम-ठाकुरटोला 3.2 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है। निकटतम नदी 110 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 17,240 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 12,318 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 11,084 घनमीटर है। वर्तमान में रिकवरेबल रिजर्व 8,298 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 527 घनमीटर है। खोपन कामेंद मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0

16 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु बढ़ा स्थापित है, जिसकी किंवास चिननी की ऊंचाई 36 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12.64 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी चाल अनुरार सर्वसाप प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	600	षष्ठम	600
द्वितीय	600	सप्तम	600
तृतीय	600	अष्टम	600
चतुर्थ	600	नवम	600
पंचम	600	दशम	600

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा एवं जल आपूर्ति संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की गहरी में 200 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तालमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के तालम में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित कानूनानुसार वृक्षारोपण इसी मानचूच में करत हुए पीसी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीसी के नाम का उत्प्रेषण किया जाकर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु चाल प्रमाण का अद्यतन अनुमति प्रमाण पत्र (क्वारीवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईट निर्माण हेतु कौयता की मात्रा एवं रिजेक्ट/ब्रोकर किंमत के उपयोग संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), किता-राजनांदगांव से किता वर्षी (खदान चालम लिपि से वर्तमान लिपि तक) में किता तबे मिट्टी उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति संबंधी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण किराने के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परपरांत जागामी कार्यवाही की जाएगी।

सद्वानुसार एसईएसी, जलतीरागड के जलम दिनांक 11/07/2022 को परिशिष्ट में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 09/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही परिशोधन प्रस्तावक का कथन है कि यह प्रकरण समस्त विस्तार के अंतर्गत नहीं आता है। अतः सत्यापित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्यापित पालन प्रतिवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है, तो कम से 6 माह का समय प्रदान करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध है। इस संबंध में समिति का मत है कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिषदीय संजाल, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पीछी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिशोधन प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत खदान प्रारंभ होने पर वृक्षारोपण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि जो पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पीछी में संख्यांकन (Numbering) कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत करने का गवां था, उसके अनुरूप जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्थानियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अधेशन जमापति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. एक जल डीट निर्माण हेतु 5 टन कोयला का उपयोग किया जाएगा एवं रिजेक्ट डिप (Reject Bank)/ब्रीकन डिप (Broken Bank) का उपयोग पहुँच मार्ग एवं डील रोड के संभरण में किया जाएगा।
6. कार्यालय कलेक्टर (समिज साख), जिला-राजनांदगांव के आगम क्रमांक 1225/सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)
2007-08	250	2015-16	निरंक

N

11

2008-09	300	2016-17	निरक
2009-10	225	2017-18	600
2010-11	300	2018-19	600
2011-12	275	2019-20	150
2012-13	150	2020-21	निरक
2013-14	निरक	2021-22	निरक
2014-15	निरक		

7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मांग 3 फीसदी प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बीरवल के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में नट्टल बालगढ़ पीपर अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby Village-Sharregaon	
			Pavitra Van	3.37
			Total	3.37

सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, जामुन, कस्टहल, करंज आदि) कुसारेपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग बीघों के लिए राशि 52,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये तथा २२४-पक्का आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रयोग वर्ष में कुल राशि 1,76,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,80,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन पंचायत मरीगांव के सहमति उपरान्त व्यापक स्थान (खसरा क्रमांक 260/1, एकाड़ 6.8340 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की गहरी में 200 नग कुसारेपण (आम एवं नीम) किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 110 नग कुसारेपण हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में कुल 200 नग कुसारेपण (फिलदार वृक्षों की प्रजाती को छोड़कर) हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआरआईड कजरी प्लान (एसींग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्बेड कजरी कलोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संसाधक (ख.प्र.) संसाधनालय, भीमिनी तथा खनिज, तथा रामपुर अटल नगर के शासन क्रमांक

6138/समि 02/भा.प्र./अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नया रायपुर दिनांक 29/08/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिससे अनुसार-

जियोमॉर्फिकल रिजर्व 17,240 घनमीटर, भाईनेबल रिजर्व 16,535 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,680 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 524 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र की सीमा 2,520 वर्गमीटर में बड़ठा, रेस्ट शेल्टर एवं स्टाईल प्रोसेसिंग एरिया स्थापित है। किक्स चिनरी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 33 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 13.47 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित कपारी चालन अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	800
द्वितीय	800
तृतीय	800
चतुर्थ	800
पंचम	800

समिति द्वारा वार्षिक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्मुख जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार कृषावेधन इसी मानसूत में करके हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं रीप के भ्रम का प्रत्येक किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु घास संसाधन का अद्यतन अनामति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज सीमा क्षेत्र की शर्तों और 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग वृक्षारोपण (फलदार वृक्षों की प्रजाति को छोड़कर) हेतु 5 वर्षों का घटकवार व्यवहार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2023 के परिपत्र में परिचालन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024 को डी. वी.पी. मोहरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जी सी.सी. मोन्हेरे को पत्र से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मन्डाल, महानदी भाग, नया रायपुर अटल नगर की अवगत कराया गया। समवेत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मन्डाल, महानदी भाग, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से प्रकाश की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डाल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 538वीं बैठक दिनांक 28/08/2024 का कार्यवाही विवरण पत्र मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विस्तारार्थी था।

परिचालन प्रस्तावक द्वारा समवेतानुसार जानकारी दिनांक 08/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से 538वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(सं) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा गस्ती, प्रस्ताव जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरैण्डम दिनांक 08/06/2022 में अनादा विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण अनादा विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसंधानित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी समरूप में काले हुए पौधों में संयोजक (Sponsorship) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर कोटेशन सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन के संबंध में धर्म प्रदायक भूमिगत का दिनांक 20/02/2024 का अनादा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. सीज क्षेत्र की सीमा में बाटें और 1 मीटर की पट्टी में 100 नम वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें पौधों के लिए राशि 10,000 रुपये, कोरिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 40,000 रुपये तथा रस्स-रस्सा के लिए राशि 24,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,24,000 रुपये एवं रस्स-रस्सा के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 1,65,000 रुपये प्रतिवर्ष हेतु व्यवसाय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श चक्रांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यवाही कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के डायन क्रमांक 2187/ख नि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 13/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी से वर्ष 2018-19 में 880 घनमीटर उत्खनन किये जाने का

उल्लेख है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के प्राप्ति क्रमांक 1225/ख.सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 07/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष 2018-19 में 600 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्रों तथा दिनांक 13/12/2021 एवं 07/08/2022 में निम्न-निम्न आंकड़े दर्शाये गये हैं। इन संभव में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्मी, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराते हुये कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव से जानकारी/स्पष्टीकरण संशोधन करने का अवसर प्रदान किया जाये।

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्मी, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाये। परिचिताना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाये।

6. मैसर्स रानीजरीद साईन स्टोन मयरी माईन (प्रो.- श्रीमती आनंदी शर्मा), ग्राम-रानीजरीद, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदासगढ़-भदवापारा (सचिवालय का नसीब क्रमांक-15-18)

विषय वस्तु	आयोजित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
जीनहाईम आवेदन	टी.ओ.आर - 71310 एवं 30/01/2022 ई.सी. - 450674 एवं 03/11/2023	माईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना मत्त (सीम खनिज) खदान	संचालित (खनन विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.219 हेक्टेयर एवं 28,425 टन प्रतिवर्ष	संतोष है।
खराब क्रमांक	607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2	संतोष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्राप्ति क्रमांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई तथ्यित जानकारी एवं समस्त सुतंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्राप्ति क्रमांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 618वीं बैठक दिनांक 11/03/2024

15

प्रस्तुतीकरण हेतु उपनिष्ठा प्रतिनिधि		की सहूल भर्ती, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सजाइकार के रूप में मेसर्स एम्बोएल इन्स्टावर्सी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से की योग्यता बतसूद नीति उपनिष्ठा हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति एवं प्रस्तुत किया गया है।
भू-स्वामित्व	भूमि आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चुना पत्थर (पीम खनिज) खदान खदान क्रमांक - 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2 क्षेत्रफल - 1.218 हेक्टेयर क्षमता - 9.818.42 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 07/01/2017 विधायक अवधि - दिनांक 06/01/2022	डी.ई.आई.ए.ए. जिला- बलौराजगार-नाटामारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की विधायक जारी दिनांक से दिनांक 06/01/2022 तक रोक थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का फालन प्रतिवेदन	एव-प्रमाणित - नहीं अन्य विस्तार की सहूल - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधापुर अटल नगर - अग्रता	चूंकि यह अग्रता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधापुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक - 20/09/2022 वर्ष 2017-18 में 2,060 टन वर्ष 2018-19 में 2,375 टन वर्ष 2019-20 में 300 टन वर्ष 2020-21 में 470 टन वर्ष 2021-22 में 350 टन	दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वार्षिक माफ की अग्रता जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
घान पंचायत एन.ओ.सी.	घान पंचायत सफैजरीद दिनांक 14/06/2012	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 06/01/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 06/01/2022	32 खदानें, रकबा 63.864 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 06/01/2022	अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं
सीज कीड का निवारण	सीज धारक - सीमती आनंदी शर्मा अवधि-16/06/2012 से 16/05/2042	संलग्न है।

वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलीदावाजार वनमण्डल, बलीदावाजार द्वारा जारी दिनांक - 02/03/2022	वन क्षेत्र की दूरी - 8.79 कि.मी.
सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी	अवादी घाट - समीपस्थ 800 मीटर समुद्र तल - समीपस्थ 1.3 कि.मी. अरुणताल - दूरी 3.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 31 कि.मी. राज्यमार्ग - 8.3 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय / जीवविकिरण सदैवस्थीय क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जनधारण, मंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिन्कली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सदैवस्थीय क्षेत्र का घोषित जीवविकिरण क्षेत्र किता नहीं है।	संलग्न है।
खान संपदा एवं खनन का विवरण	खानन विधि - अतः कास्ट सेरी मेकनाईज्ड क्रिया एवं कंट्रोल स्थापित - हाँ निजता - जियोलाजिकल 4,02,845 टन माईनेयल 1,76,041 टन रिजर्वेशनल 1,67,238 टन प्रस्तावित गड्ढाई 15 मीटर बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संचालित आयु 6.55 वर्ष प्रस्तावित बरत - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित खनन प्रथम 24,000 टन द्वितीय 26,825 टन तृतीय 28,425 टन चतुर्थ 27,875 टन पंचम 27,300 टन
खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज की 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,490 वर्गमीटर	परराशि - हाँ माईनिंग प्लान में कलैज - हाँ रेस्टोरेशन प्लान - हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओवर बेंच प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 1 मीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	साठा - 5 घनमीटर प्रतिदिन रक्षित - कोस्टल	सेन्ट्रल राजस्थान वॉटर सप्लायिटी से अनुमति प्राप्त है।
पुनरावेषण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की घाटी और पुनरावेषण - 380 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 11,80,470 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 685, दिनांक 22/06/2023	1(ए) का सैंडबर्ड टीओआर (लेक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग - 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} - 18.92 से 19.56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 123.2 से 129.23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	गुणवत्ता मूल्यांकन स्थल: परिस्थीय वायु - 08 भू-जल - 03 सतही जल - 02

	SO₂ - 7.22 से 8.95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO₂ - 15.23 से 18.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 49.4 से 53.7 Night L_{eq} - 38.2 से 42.8 PM₁₀ का माप उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य - जनवरी 2024 से फरवरी 2024 PM_{2.5} - 22.6 से 41.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM₁₀ - 81.8 से 93.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO₂ - 8.9 से 14.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO₂ - 10.7 से 17.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.1 से 53.2 Night L_{eq} - 42.3 से 48.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	ध्वनि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त गुणवत्ता मानक स्थल परिवर्तनीय समु - 06 मू-माल - 08 संताही जल - 02 ध्वनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 06 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पी.सी.यू. की संख्या	वर्तमान में 250 पी.सी.यू. /दिन औ/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परिचोजना अवधि 560 पी.सी.यू. /दिन औ/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	लोक कैंपिंग समता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
जी.एल.सी. की संख्या	PM₁₀ का अधिकतम मान 86.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक चुनवाई	दिनांक - 23/08/2023 समय - प्रातः 11:00 बजे स्थान - ग्राम - बलीजरीद स्थित निजी भूमि (क्षेत्रफल क्रमशः 607) लहरीत - सिमरा, जिला - बलीदासनास-महापारा	लोक चुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसिमाई पर्यावरण संरक्षण बहाल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक चुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्राम वासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिले। 2. बालरिंग से ग्रामवासियों की दिग्दर्श प्रभावित होती है। बालरिंग नहीं होना चाहिए। 3. गांव का जल स्तर नीचे जा रहा है। पत्तियों से पीने के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न हैं:- 1. खदान बन्द होने से ग्राम वासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कम्प्लैट बालरिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
पी.ई.एम.पी.	कॉन्स्टेंट में कुल 30 खदानें प्रभावित कार्य हेतु 5 वर्ष की रशि - 2,38,18,500 रुपये	परिचोजना प्रभावक की सम्पत्तिता: प्रभावित कार्य हेतु 5 वर्ष की रशि - 4,08,734 रुपये

परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रयुज्जिटेड बंस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन सार सुविधियां, कृतीकरण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, कंट्रोल्ड ड्राइनिंग किंगे जाने बाबा, एनसीआर के तहत बाउन्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संतर्पन हेतु आदि बाबा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिन्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किने गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.का. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधन का प्रचारण ललित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को गिलावन तुल लेखकत 83.883 डेसेटर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में जाने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलममेहन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. जीव क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की शीम बट्टी में पराधनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी शीम बट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तराधन है। अतः जीव पररात नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उका उत्खनित क्षेत्र को पुनर्चारा किने जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करने हुए अद्यतन स्थिति अनुसार डिजाई की गणना कर अनुवीदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराधनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जीव क्षेत्र माईनिंग प्रोलेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (a) के अनुसार:-

The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the

EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.'

उपरोक्त कार्य को अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 1.5 मीटर चौड़े रोडटी जेन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. **कॉन्सीरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझा विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.32	2%	0.72	Following activities at Nearby, Mukidham Village- Ranigaroud	
			Plantation at Cremation ground	2.81
			Total	2.81

5. सीईआर के अंतर्गत ग्राम-रानीखरीद के मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदम, आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,250 रुपये, बाड़ के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रस्स-रस्सा आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,01,000 रुपये हेतु घटसंकर व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किये जाने बाबत ग्राम पंचायत के सहमति उपरोक्त पञ्चायत्य सभ्य (सकल कर्मांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 123.2 से $139.23 \mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के सक्षम में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिससे PM_{10} - 81.8 से $93.8 \mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही परस्वनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-



40

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का ध्यान प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की दस्तवेज मात्रा की आशुतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करतकर प्रस्तुत किया जाए।
3. कम्परी निटरी प्रखण योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित खदान के 500 मीटर की त्रिजि में अवस्थित अन्य खदानों की आशुतन सिद्धि में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर के अंतर्गत सुविधाधाम में वृत्ताशीषण किये जाने बाबत सात पंचायत के सहमति उपराल अध्याप्यम स्थान (खसरा क्रमांक एवं बीजकाल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आशुतासन, सीईआर के तहत निर्धारित सति का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित सुधाकता एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिजिटल कोटोदाक सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, इनके द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हिलों की छा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत धालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलक्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति अदि बाबत राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का धालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. वेसलरईन काटा कलेषालन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM, की मात्रा में अंतर जाने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल तरसर्जन के निराकरण हेतु अतिरिक्त प्रमाणी उपय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वरहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपराल आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसल एसईएसी, उत्तीरनद के धालन दिनांक 21/05/2024 को परिषेध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एसईएसी, उत्तीरनद की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. वी.पी. नानावे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 को माध्यम से एसई



एनटी, छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष डॉ. वी.पी. मोहन के पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग में जलप, मझनदी बाधन, नवा रायपुर जटल नगर की अलगत कराय मया। तदीपगत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग में जलप, मझनदी बाधन, नवा रायपुर जटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माधम से जलप की सुचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर जटल नगर की दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पर मुक्त करने की सुचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विवासाधीन था।

परिचोपगत प्रस्तावक द्वारा तामरीकतानुसार जलपकारी दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माधम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(सं) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु बी राहुल तामो, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधति पाई गई—

1. शेनोड कर्मालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 162, दिनांक 04/04/2024 द्वारा पूर्व से जारी पर्यावरणीय सकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त सली का पूर्ण पालन किया जलप बताया गया है।
2. कर्मालय कलेक्टर (अनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-नाटापरा के ज्ञापन क्रमांक 195/बी 3-3/न.ज./2023 बलीदाबाजार, दिनांक 25/04/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वारतविक मात्रा की अवलोकन जलपकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
2022-23	50
2023-24	निरक

3. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 7,700 घनमीटर है जिसमें से 3,368 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपचोप लोख की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपचोप किया जाएगा तथा क्षेत्र 4,334 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को खप की मुनि (क्षमता क्रमांक 615/1 एवं 615/2 क्षेत्रफल 0.348 हेक्टेयर) में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक बाधनारित कर सरकिल रखा जाएगा।
4. फोरा (Fera) एवं फोरा (Faura) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. कर्मालय कलेक्टर (अनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-नाटापरा के ज्ञापन क्रमांक 195/बी 3-3/न.ज./2023 बलीदाबाजार, दिनांक 25/04/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें क्षेत्रफल 58,584 हेक्टेयर है।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम रानीजरीद के मुक्तिजल में वृक्षारोपण विधे जाने बाधन ग्राम पंचायत रानीजरीद का सहाजी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं तबकी आश्वासन, सीईआर के तहत निर्धारित शर्तों का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन निजीटैन फोटोग्राफ सहित जानकारी त्रैमासिक रिपोर्ट में सन्तुष्ट करने नामक इमार्त द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्याओं की आ, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी इमार्ती लेंगी, काबटर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाधत सत्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. नामनीय सुपीम कोर्ट द्वारा दिनांक 05/01/2020 को writ petition (S) CIVIL No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये रिश निर्देशों का पालन किये जाने कासु सत्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाये जाने के संकेत में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अवयमन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PM₁₀ की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में गलायन में नमी के कारण PM₁₀ का मान कुछ कम पाया गया।
10. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले मूल कलार्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा एवं जेसर प्लांट में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा।
11. सीईआर, कॉमन इन्व्हायरमेंटल सेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरमेंटल सेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिता प्रशासन या अलीसलव पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्व्हायरमेंटल सेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरमेंटल सेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सावधित कराया जाना आवश्यक है।
12. नामनीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली द्वारा सर्येड पाम्प्रेव विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 385 जीपी 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को लखित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना, 2006 (ज्या संशोधित) को प्रत्यक्षता एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश को अनुसार कन्स्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय प्रभावों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कन्स्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कन्स्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संघालक, संघालनालय, सीमित्री तथा सानिचर्म, इंदोवाही भामन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से संपुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. आवेदक - मेमर्स रानीजरीद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो- बीनटी जानरी रानी) को घाम-रानीजरीद, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदावाजार-भाटापारा के खसरा क्रमांक 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2 में स्थित कुल पक्कर (सींग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.218 हेक्टेयर समता-28425 एन प्रतिघर हेतु पर्सिफ्ट-03 में वर्णित सारी के अधीन पर्यावरणीय शोधकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

समस्त सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

7. मेमर्स रानीजरीद लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग (प्रो- बी विवेक अग्रवाल), घाम-रानीजरीद, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदावाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2009)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि-
बीनलाईम आवेदन	टी.जी.आर. - 79524 एवं 04/07/2022 ई.सी. - 451502 एवं 06/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	कुल पक्कर (सींग खनिज) खदान	संयोजित (समता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं समता	2.868 हेक्टेयर एवं 80.913.75 एन प्रतिघर	संतुल्य है।
खसरा क्रमांक	84, 85/1, 85/2, 88/3, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 86	संतुल्य है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 50वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु बी विवेक अग्रवाल, कोफरलईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई मांगित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सी. का पालन प्रतिवेदन	क्षमता विस्तार के उद्देश्य - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर जटल नगर - अजमेर	है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर जटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विवरण वर्षों में किये गये उत्खनन की छविज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को स्वीकृत कुल मात्रा उत्खनित/टन दिनांक 07/07/2022 2017-18 में 7,686 टन 2018-19 में 11,660 टन 2019-20 में 13,415 टन 2020-21 में 12,140 टन 2021-22 में 8,000 टन 2. श्री विवेक अग्रवाल को स्वीकृत कुल मात्रा उत्खनित/टन दिनांक 07/07/2022 2017-18 में निरत 2018-19 में निरत 2019-20 में निरत 2020-21 में 3,000 टन 2021-22 में निरत 3. श्री अकिल अग्रवाल को स्वीकृत कुल मात्रा उत्खनित/टन दिनांक 07/07/2022 2017-18 में 4,360 टन 2018-19 में 17,119 टन 2019-20 में 7,385 टन 2020-21 में 13,968 टन 2021-22 में 12,810 टन	1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को क्षमता - 13,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018-19 में 11,660 टन, 2019-20 में 13,415 टन एवं 2020-21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। 2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति श्री मनोज टाकुर के नाम पर है, परंतु छविज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में श्री विवेक अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। अतः के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
घास पंखायत एन.ओ.सी.	घास पंखायत राजीवजीर दिनांक 15/02/2014	असार की स्थापना के संबंध में घास पंखायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/05/2022	सलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 06/07/2022	33 सार्वजनिक, एकता 62.383 हेक्टेयर प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं है।
200 मीटर	दिनांक 05/07/2022	
लीज डीथ का विवरण	1. लीज धारक - श्री विवेक कुमार	राममंजरी पत्तार, कुल क्षेत्र - 2.666 हेक्टेयर

	अप्रवाह खसरा क्रमांक - 84, 85/1, 85/2, 85/3 कुल क्षेत्रफल - 0.978 हेक्टेयर दिनांक अवधि - 27/07/2006 से 26/07/2036 2. लीज धारक - श्री नंदकिशोर अप्पवाल खसरा क्रमांक - 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 कुल क्षेत्रफल - 0.831 हेक्टेयर दिनांक अवधि - दिनांक 15/01/2009 से 14/01/2039 तक 3. लीज धारक - श्री अमित अप्पवाल खसरा क्रमांक - 56 कुल क्षेत्रफल - 1.121 हेक्टेयर दिनांक अवधि - दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक 4. शामिल क्षेत्र निम्न 57 (8) के अनुसार - लीज धारक - श्री नंदकिशोर अप्पवाल खसरा क्रमांक - 80 - कुल क्षेत्रफल - 0.06 हेक्टेयर - लीज धारक - शान्तकीश भुमि - खसरा क्रमांक - 84 - कुल क्षेत्रफल - 0.04 हेक्टेयर - लीज धारक - श्री अमित अप्पवाल - खसरा क्रमांक - 85/2 - कुल क्षेत्रफल - 0.03 हेक्टेयर	
वन विभाग एच.ओ.डी.	वनसम्पदाधिकारी, बलीदाबाजार वनमण्डल बलीदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/10/2022	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का जल्लेख करते हुए कार्यालय वनसम्पदाधिकारी से जारी अनामत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आकादी घास - रानीखोद 1.5 कि.मी. स्कूल घास - रानीखोद 1.5 कि.मी. अस्पताल - सुहेला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 36 कि.मी. राज्यमार्ग - 15 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्जातीय लीना, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संवर्धित प्रदूषण	संलग्न है।

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures and marks)

संबंधित क्षेत्र	नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित मिटिकली पीलुटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र रिहा नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट-सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग - हाँ सिखारों - जियोलॉजिकल 17,82,460 टन माईनेबल 7,23,545 टन रिहाकरेबल 6,87,387 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेस की ऊँचाई 1.5 मीटर बेस की चौड़ाई 1.5 मीटर समाविष्ट आयु 14.3 वर्ष प्रस्तावित ऊँचाई - हाँ क्षेत्रफल - 800 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,813.50 टन द्वितीय 50,813.50 टन तृतीय 47,813.50 टन चतुर्थ 50,775.00 टन पंचम 50,882.50 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लॉज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 8,760 वर्गमीटर	उत्खनित - हाँ माईनिंग प्लान में उत्खनित - हाँ रेस्टोरेशन प्लान - हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्केन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 1 मीटर साज - 8,968 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	साज - 6 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत - बोरवेल	सेन्ट्रल प्राजाप्ट वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लॉज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,755 भग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की वारंति - 15,32,000 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	अर्थात् 681, दिनांक 22/06/2023	1(ए) या स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तार	मॉनिटरिंग - 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} - 19.92 से 19.58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 123.2 से 139.23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 7.22 से 8.35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 15.23 से 18.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 49.4 से 53.7 Night L _{eq} - 39.2 से 42.8 PM ₁₀ का मान उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है।	मुम्बई महानगर नगरपालिका परिचरणीय वायु - 08 नू-जल - 03 सतही जल - 02 जानि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त मुम्बई महानगर नगरपालिका परिचरणीय वायु - 08 नू-जल - 08 सतही जल - 02

✓

✓

48

✓

	अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य - जनवरी 2024 से फरवरी 2024 PM_{2.5} - 22.6 से 41.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM₁₀ - 61.9 से 93.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO₂ - 8.6 से 14.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO₂ - 10.7 से 17.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.1 से 53.2 Night L_{eq} - 42.3 से 46.2 निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।	ध्वनि स्तर - 58 मिट्टी के नमूने - 66 फ्लोरा (Flora) एवं फाउना (Fauna) की संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाता आवश्यक है।
पी.सी.यू. की गणना	पक्का रोड हेतु सर्वांगन में 250 पी.सी.यू. /दिन बी/सी अनुपात (WC ratio) 0.16 परियोजना क्षेत्रों 550 पी.सी.यू. /दिन बी/सी अनुपात (WC ratio) 0.36	पक्का रोड हेतु लोक केरिंग क्षमता निर्धारित मानक Very Good के भीतर है।
पी.एल.सी. की गणना	PM₁₀ का अधिकतम मान 39.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - ग्राम - सतीशचंद सिंघा निती भूमि (खसरा क्रमांक 607) महसील - सिमगा, जिला - बलीदाबाजान-भादगाव	लोक सुनवाई वसलावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं- 1. ग्रामवासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिले। 2. ब्लॉकिंग से ग्रामवासियों की दिक्कत प्रभावित होती है। ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए। 3. गांव का जल स्तर नीचे जा रहा है। भूमि में पीने के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है- 1. खदान बंद होने से ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जायेगा। 3. शराब द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	कलक्टर में कुल 33 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 2,38,16,000 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 10,83,440 रुपये
परियोजना से संबंधित संबंध पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पब्लिशिंग इस्ट प्रसारण नियंत्रण, सचन वृक्षारोपण एवं आ-प्रतिष्ठान जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, कंट्रोल ब्लॉकिंग किये जाने बाबत एन.सी.आर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न सचन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं- 1. परियोजना प्रस्तावक को विवाद इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण

✓

✓

✓

✓

✓

	के तहत बायोप्ट्री विलर्स द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सार्वजनिक हेतु अति आवश्यक सामग्री पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में जमा नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक को विवाद भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 में अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण प्रविष्ट नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 65.229 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाले खदानों में से कुछ खदानों का अमलगमेशन होने के कारण खदानों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान को 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की अमलगन स्थिति में जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. सीज क्षेत्र की गहराई और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय न्यौक्ती की शर्तों का उल्लंघन है। अतः और उचित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःस्थापित किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अमलगन स्थिति अनुसार विचार्य को बचाना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि राम-राजेश्वर, दाहसील-सिन्धा के खराब अर्थात् BQ, B1/1, B1/2, B1/3 एवं B1/4 में खनिज युक्त पत्थर मात्रा-480 टन का अवैध रूप से खनन किये जाने के संभव में श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा जर्जरपथ राशि 2,19,400 रुपये जमा की गई है, जिसके तसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु नानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as

per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

पक्का मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन में कृषासेवक किया जाना आवश्यक है।

3. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.9	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at, Village- Khapri	
			Plantation	3.12
			Total	3.12

6. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में कृषासेवक (पौधे लगाने, जलाने, कटवाने आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 160 मीटर चौड़ाई के लिए राशि 7,500 रुपये, बेंचिंग के लिए राशि 1,28,000 रुपये, छाया के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा सड़क-सड़क आदि के लिए राशि 34,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,41,600 रुपये हेतु बंटवारा साथ ही विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहभागिता पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 एवं 28/01/2022 की माध्यम से वार्तापन की प्रक्रिया हेतु एस.ओ.पी. तैयार किया गया है। मानवीय प्रखण्ड न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1384/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"Stay of operation of the Office Memorandum dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

9. मानवीय प्रखण्ड न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1384/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"5. We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021."

6. Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.

7. We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above."

10. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 123.2 से 138.23 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिकोण स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिससे PM_{10} - 61.9 से 93.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः समिति का मत है कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बावजूद स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले मूल उत्खनन के निबंधन हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बावजूत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा वास्तव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का धारण प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. बी नदिकर्षीर अवधाल की क्षमता - 11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2018-19 में 11,880 टन, 2019-20 में 13,415 टन एवं 2020-21 में 12,140 टन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उत्खनन की क्षमता कम है। माननीय वसन्ततम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अनुसार Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को सहीगल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति बी नदीज तामुर की नाम पर है, परंतु खनिज विभाग द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में बी विवेक अयावत का नाम उल्लेखित है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. खनन क्रमांक 64 एवं 66 के भू-स्थानिक संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं बी2) प्रस्तुत किया जाए।
5. खनन की स्थापना की संख्या में धाम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यात्मक वनमण्डलाधिकारी से जारी अग्रतलि प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. कचरी निट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. आवेदित खदान के 500 मीटर की परिसर में अवस्थित अन्य खदानों की अवतल स्थिति में जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
10. सीईआर के अंतर्गत सुविधाएं व सुधारण किन्हे जाने बाबत ग्राम पंचायत के सहमति उपर्युक्त पंचायतों स्थान (अंतरा तन्त्रांक एवं संज्ञकत सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
11. लोक सुनाई के दौरान उत्पन्न गये निन्दुओं संबंधी आश्वासन, सीईआर के तहत निर्धारित शक्ति का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों की निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राप्तिफलता, सम्पन्न कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिप्लोमा फोटोप्राक सहित जानकारी अंतर्गत रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, हमारे द्वारा उत्पन्न हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत धारण की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
12. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 05/01/2020 को writ petition (S) Civil No. 114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का धारण किन्हे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. केसासाईन कर का कलेक्शन हेतु किन्हे गये नॉनितरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त नॉनितरिंग कार्य जनवरी 2024 से मरगरी 2024 (01 मई) से PMU की मात्रा में अंतर जाने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
14. परखनन प्रक्रिया से होने वाले कुल क्लस्टर के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी प्रभाव करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/प्रस्तावित प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 21/05/2024 के परिप्रेक्ष्य में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जलकस्ती/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 25/05/2024

पुर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 को डॉ. सीपी. मोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. सीपी. मोन्हेरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, प्रधानदी भवन, नया

55 33

रायपुर जटल नगर को अलगत करवाया गया। तदीपराय छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंडलम, महानदी बवन, नवा रायपुर जटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 को माध्यम से जल की शुद्धता सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर जटल नगर को दी गई। एनईएसी, छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/08/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुवीक्षण हेतु विचारार्थीन था।

परिचालना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एनईएसी, छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विवेक अग्रवाल, ज्योटाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भाषा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडलम, नवा रायपुर जटल नगर से प्राप्त न होने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र क्रमांक 277, दिनांक 12/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त हर्ती का पालन किया जाना बताया गया है।
2. परिचालना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में उत्पादन आंकड़े की जानकारी मण्डलम के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में पुनः कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-बलीदाबाजार-भारतपुरा के जलपन क्रमांक 1224/वी 3-3/न.क. 10/2008, दिनांक 04/10/2024 के माध्यम से जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	उत्पादित छनि की मात्रा (टन में)
1.	2017-18	7,800
2.	2018-19	9,500
3.	2019-20	10,607
4.	2020-21	10,560
5.	2021-22	6,000

उपरोक्त विवरण अनुसार परिचालना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्खनन की अधिकतम भाग पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की मात्रा से कम है।

3. खदान के समामेलन के पूर्व में तीन अलग-अलग खदान थी, जिसमें से एक खदान श्री मन्तेज ठाकुर के नाम पर थी जो दिनांक 23/12/2019 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, बलीदाबाजार की अनुमति से श्री विवेक अग्रवाल को हस्तांतरित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2022 को संघालय, संघालनानय भीमिडी एवं खनिजम, नवा रायपुर के आदेश से श्री विवेक अग्रवाल, श्री मन्तेज ठाकुर अग्रवाल एवं श्री अश्विनी अग्रवाल की खदानों को श्री विवेक अग्रवाल के नाम से समामेलन किया गया है। श्री मन्तेज ठाकुर से श्री विवेक अग्रवाल को लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

29

4. खदान क्रमांक 34 एवं 68 के भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1 एवं बी2) प्रस्तुत किया गया है।
5. अंतर के संबंध में ग्राम पंचायत रजिस्ट्रीर का दिनांक 18/10/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रधानमंत्री वनमण्डलाधिकारी बलीदाबाजार वनमंडल, बलीदाबाजार के ग्रामपंचायत क्रमांक/तकनीकी/खनिज/852 बलीदाबाजार, दिनांक 20/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन कक्ष क्रमांक 24 खैरतखीड़ा की सीमा से 10.5 कि.मी., निकटतम वन्यजीव अभयारण्य बाबनवागारा 52.7 कि.मी. एवं सीज क्षेत्र से निकटतम हाथरस रिजर्व अवनमनगर 58.3 कि.मी. दूर है।
7. खदान पूर्व से संभावित है। अतः अधिकतम ऊपरी मिट्टी गड़ने से ही निकाली जा चुकी है वर्तमान में 6.998 घनमीटर ऊपरी मिट्टी डेढ़ बची है जिसे 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा।
8. पौधा (Flora) एवं पौना (Fauna) की संभावित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
9. आयातक क्लस्टर (खनिज खाना) बलीदाबाजार-महापारा के ग्रामपंचायत क्रमांक 187/बी 3-3/न.क्र. 41/2006 बलीदाबाजार, दिनांक 25/04/2024 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 57.153 हेक्टेयर है।
10. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-उपरीकला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किये जाने बाबत स्कुल के प्रधान का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विद्युद्धी संबंधी अज्ञानता, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित शर्तों का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित बुझावाता एवं चेजवार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु समस्त सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शर्तों से संबंध पूर्ण प्रतिवेदन डिजाइटिंग फोटोड्राफ्ट सहित जानकारी अवधारणिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने बाबत, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति अर्थात् बाबत कार्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिसा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. वेबसाईट साटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का अर्थान है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक थी जिसके कारण PM₁₀

की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में वातावरण में सभी के कारण PM_{10} का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा क्लस्टर प्लान के हीफर बंकर से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जांच रिपोर्टिंग किया जाएगा।

14. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का रिजर्वेशन किया जाएगा एवं क्लस्टर प्लान में भी निर्धारित रूप से पानी का रिजर्वेशन किया जाएगा।
15. सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सब्सो के राउ-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइंडर/प्रतिनिधि, ग्राम संघाध्य के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का क्लस्टर/ग्राम पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सब्सो के राउ-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
16. माननीय एन.जी.टी. डिप्लियत मेंबर, नई दिल्ली द्वारा सल्येड पल्सेस विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (गोविन्दन एपिलकेशन नं. 188 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रापधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संघाध्य, संघालनाध्य, भीमिडी तथा खनिकर्मा, इंदरावती मकन, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेवटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचाली उपपट्टे (Remedial Measures) के संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक सफाई तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपचाली को क्रियान्वित कराने बाबत संघालक, संघालनाध्य, भीमिडी तथा खनिकर्मा, इंदरावती मकन, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समाजिक, संचालनालय, सीमिकी तथा खनिजों को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण संझल, नया रायपुर आउल नगर को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

आवेदक - मेसर्स रानीजरीद जर्ईम स्टोन क्वारी माइनिंग (प्री-बी रिस्क अफेयर्स) को ग्राम-कनौजरीद, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाभाजार-नाटापारा के खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 86 में स्थित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान (डी.ई.आई.ए.ए. जिला-बलौदाभाजार-नाटापारा द्वारा तीन खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समावांजन के तहत) कुल क्षेत्रफल-2.668 हेक्टेयर समता - 50.913.50 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-04 में वर्णित शर्तों के अटीम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समावांज निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स बी चवन स्टोन क्वारी इण्डस्ट्रीज (प्री-बी टुक्सीशन राठीर, करमंदा जर्ईम स्टोन (सी-रीक) माइनिंग प्रोजेक्ट), ग्राम-करमंदा, तहसील-बलोदा, जिला-जाजगीर-पांचा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2154)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 83087 एवं 21/09/2022 ई.सी. - 450808 एवं 02/11/2022	फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.979 हेक्टेयर एवं 1,10,010 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1032/2, 1032/3, 1033/2, 1034/1, 1034/2, 1035, 1038 एवं 1038/2	
बैठक का विवरण	507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की जापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार राठीर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक की पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अधूर्ण होने के कारण समिति की समता बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

ई

✓ 37

✓

8

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीक्षण के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(iv) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री नरेंद्र राठीर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएनपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री मोहम्मद महमूद गीस उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
नू-स्वाभिस	संसदा क्रमांक 1032/2, 1032/3, 1034/1, 1035 एवं 1034/2 - श्री नरेंद्र कुमार, संसदा क्रमांक 1036, 1035/2 एवं 1036/2 - श्री उमेश कुमार के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत करमंडा दिनांक 03/02/2022	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/09/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/08/2022	18 खदानें, रकबा 12304 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/08/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री गजल स्टील इंडिया इन्फ्रस्ट्रक्चर्स (प्रा.) - श्री दुखीराम राठीर) दिनांक - 16/08/2022 कैपेसिटी अवधि - 1 वर्ष	एल.ओ.आई. की कैपेसिटी एवं संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता आवश्यक है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनसम्बन्धिताधिकारी, जालंधीर-बांवा वनसम्बन्धिता, बांवा द्वारा जारी दिनांक 25/05/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 5 कि.मी. वन क्षेत्र से आवासीय दूरी - 700 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	अम्बादी ग्राम - करमंडा 300 मीटर स्कूल ग्राम - करमंडा 0.67 कि.मी. अस्पताल 5.34 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 8.3 कि.मी.	इरावेव नदी - 2.93 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय बीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण	संलग्न है।

संवेदनशील क्षेत्र	नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र विधात नहीं है।	
खनन संयमा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट लेम्ब मेकनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल बलस्टिंग - हाँ रिजर्व - जियोलीजिकल 14,34,775 टन माइनेबल 6,81,375 टन टिकावरेबल 8,58,806 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेच की चौड़ाई 3 मीटर बेच की चौड़ाई 3 मीटर समाप्ति आयु 7 वर्ष प्रस्तावित प्रकार - गहरी	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रमाण 1,10,010.0 टन द्वितीय 1,04,040.0 टन तृतीय 99,120.0 टन चतुर्थ 97,057.5 टन पंचम 97,057.5 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	सीत के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,080 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 14,668 घनमीटर	2,088 घनमीटर - ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त। शेष 11,870 घनमीटर - सहमति प्राप्त भूमि (खाना क्रमांक 1015/2, खाना 0.238 हेक्टेयर क्षेत्र) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत - नहर/वेत	समृद्ध ग्राउण्ड वॉटर ज्योरिटी में प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	सीत क्षेत्र के 7.5 मीटर की गहरी और वृक्षारोपण - 945 मग किया जाता है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की गारंटी - 11,84,500 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 804, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैम्पर्ड टी.ओ.आर. (जोकि सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग - 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 PM ₁₀ - 81.48 से 88.85 µg/m ³ PM _{2.5} - 112.58 से 130.42 µg/m ³ SO ₂ - 5.24 से 9.05 µg/m ³ NO ₂ - 10.32 से 18.81 µg/m ³ Noise level - dBi (A) Day L _{eq} - 42.7 से 50.2 Night L _{eq} - 34.7 से 41.6	गुणवत्ता मापन स्थान: परिचरणीय वायु - 08 भू-जल - 04 सतही जल - 03 घाति स्तर - 00 मिट्टी के नमूने - 05

	PM₁₀ का मान उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य - 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 PM₁₀ - 40.6 से 24.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM_{2.5} - 71.2 से 82.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO₂ - 10.0 से 14.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO₂ - 11.7 से 17.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.6 से 50.6 Night L_{eq} - 41.7 से 44.3 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	अतिरिक्त गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु - 08 घु-जल - 06 सफाई जल - 02 ध्वनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 06 फ़्लोरा (Flora) एवं फ़ौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	राज्यमार्ग हेतु - 149 की वाहानों में 335.2 पी.सी.यू./घंटा की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.11 परियोजना उपरान्त 339.28 पी.सी.यू./घंटा की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.113	राज्यमार्ग हेतु - लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक Excellent से नीचा है।
जी.एल.सी. की गणना	PM₁₀ का अधिकतम मान 87.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 28/08/2023 समय - प्रातः 11:00 बजे स्थान - ग्राम - कनमंडा स्थित जायेंदक की मिली भूमि (खसरा क्रमांक 1033/2) राहगीर - जालगीर, जिला - जालगीर-बाघा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सक्रिय, जनतासमझ पर्यावरण संस्थान मंडल, गंगा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर से पत्र दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. गैर आश्रितों से धरती में दफन का जाली है। आश्रितों से धूल उड़ती है। 2. आश्रितों से पक्षीय क्षेत्र में आवाज गिराते हैं जिससे लोगों की जान को खतरा रहता है। 3. गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।	निराकरण की दिशा में उद्यम निम्न है:- 1. लाइसेंसधारक कंट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड आश्रितों किया जाएगा, आश्रितों निम्न स्तर पर किया जाएगा। खदान पर खनन के दौरान पानी का छिड़काव किया जाएगा। 2. खदान के चारों तरफ बैरियर लगाए जाएंगे जिससे आस-पास के लोगों को खनन का खतरा नहीं रहना पड़ेगा। 3. खदान पर आस-पास के लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
सी.ई.एम.पी.	कमिटर में कुल 16 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की शक्ति -	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की शक्ति

	43,39,480 रुपये	- 7,05,449 रुपये
परियोजना से संबंधित राष्ट्रीय पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के निदेशों के अनुसार, संपन्न वृत्तवर्ष एवं 60 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, प्रत्येक वर्ष अर्द्ध वृत्तवर्ष नीति के तहत राजस्व, सेंट्रल वित्तनियंत्रण विभाग के तहत राजस्व, एन सी आर, के तहत राजस्व, पित्तनी द्वारा सीमांकन करने, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अर्द्ध वृत्तवर्ष राष्ट्रीय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न एन सी आर (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई भी न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। 3. सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
शेरी	4-1	अर्द्ध वृत्तवर्ष खदान को मिलाने कुल क्षेत्रफल 14.383 हेक्टेयर है।

1. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.96	Following activities at Nearby, Govt. School Village- Kamanda	
			Plantation	2.32
			Total	2.32

2. सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (जाम, नीम, आम्र एवं जामुन) बुसातेपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 मग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, कोरिंग के लिए राशि 27,560 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रुपये इस प्रकार





प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,550 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,59,800 रुपये हेतु घटकवार भाव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान धनियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 में $PM_{10} = 112.06$ से $130.42 \mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के सहज में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें $PM_{10} = 71.2$ से $92.4 \mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। आतः समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एन.ओ.आई की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लोक सुनवाई के दौरान जटिल गये विन्दुओं संबंधी आवागमन, सीईआर के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं होजगार की प्राथमिकता, समान कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिजिटल फोटोग्राफ सहित जलनकारी अर्थात्नैतिक रिपोर्ट में समायोजित करने बाबत, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्या जितों की वसा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत गठन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलक्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत राय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 12 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी. धनियोजना के 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024 के परिप्रेक्ष्य में परिशीलना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. मोन्सरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को अधिका डॉ. बी.पी. मोन्सरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, गृहमन्दी भवन, नया रायपुर अटल नगर को आवपन कराया गया। तदुपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, गृहमन्दी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उखा की सूचना संदेश सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परिचालन प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 22/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 06/03/2025 को रखा गया है।

(ए) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 06/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु की जमुना प्रसाद राठीर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एल.ओ.आई. की वैधता बुद्धि भावतु न्यायालय संचालक, भूमिहीन तथा खनिकर्त, रायपुर की पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 11/2024 द्वारा जारी जारी आदेश दिनांक 02/05/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक ने समाकषि में समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, किन्तु पर्यावरण सम्पत्ति प्राप्त नहीं होने से स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया जा सका। अतः आशय पत्र की वैधता अधि में बुद्धि की मांग की गई है, उसमें आवेदक की कोई त्रुटि नहीं है, किन्तु सदन्यायिक है, जिसे मजक किया जा सकता है।

सम्यक रूप से विचारोपरांत मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इम्प्रेसट्रीज, प्रो. श्री दुखीराम राठीर को जारी आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त समर्थुद्धि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. लोक चुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं सम्बन्धी आशवासन, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित शर्तों का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राप्ति, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संलग्न शर्तों से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिजिटल फोटोग्राफ सहित जानकारी आंतराधिक शिपों में समाहित करने बाबत, हमारे द्वारा उपस्थित हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त दियों की खा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत बाधन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलक्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत आशय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

✓

✓

✓

3. वेबसाईट काटा कलेक्शन हेतु किसे नये मॉनिटरिंग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान रखन गतिविधि कुछ अधिक था जिसके कारण PM₁₀ की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 मई) में वातावरण में नमी के कारण PM₁₀ का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा संरक्षण प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा क्लस्टर प्लान के अक्षर बंदर से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।
4. उत्सर्जन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाएगा एवं क्लस्टर प्लॉट के बाहर बंदर से नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।
5. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य से मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वी. नई दिल्ली द्वारा सचिव पाण्डेय विस्मय भावा सहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एन्क्वायरी नं. 188-ओफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 की पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (द्वारा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्सर्जन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संभावक, संभावनात्मक, प्रारम्भिक तथा अन्तिम ई.आई.ए. मकान, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अन्तर्गत) के तहत से उपयुक्त कठिनाई किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. जलौदक – मेसर्स श्री पवन स्टोन क्रशिंग इम्पक्ट्रीज (प्री-बी दुसरीयन रावीर, करमंदा लाईम स्टोन (ली-वेड) माईनिंग प्रोजेक्ट) को पान-करमंदा, तहसील-बलोदा, जिला-जांजगीर-बांगी के खसरा क्रमांक 1032/2, 1032/3, 1033/2, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036 एवं 1038/3 में स्थित मूल पत्थर (मौल खनिज) खदान, मूल क्षेत्रफल-1.579 हेक्टेयर, अनाठ-1,10,010 टन प्रतिवर्ष हेतु पेटिशन-25 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ की तदनुसार सुचित किया जाए।

3. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री- बी ग्रेवेल अपवात), पान-आमाकोनी, तहसील-सिमरा, जिला-बलोदाआचार-नाटावारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1853)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाइन आवेदन	टी.ओ.आर. – 68928 एवं 09/12/2021 ई.सी. – 45-1386 एवं 08/11/2023	माईनाइंड आईआइए रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मूल पत्थर (मौल खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.01 हेक्टेयर एवं 32,313.75 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	38 (पार्ट), 38 (पार्ट) एवं 38	

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएसी, छत्तीसगढ़ की जापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अपवात, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के मंच दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई मांगित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएसी, छत्तीसगढ़ की जापन दिनांक 28/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

सू-स्वामित्व	सूनि आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अपवात, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एम्माकोनी एम्पावरी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री

45

		महमूद मौस उपरिष्ठत हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.		पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
ज्ञान पंचायत एन.ओ.सी.	ज्ञान पंचायत आनाकोनी दिनांक 10/03/2006	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 02/12/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 12/01/2022	33 खदानें, रुकबा 65.063 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/01/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं।
एल.ओ.आई. संबंधी विवरण	एल.ओ.आई. चारक - बी विदेक अडवात दिनांक - 08/08/2021 विपदा अवधि - 1 वर्ष	एल.ओ.आई. की काला बुद्धि वज्रा आवेदन किया जाना बताया गया है, जो प्रक्रियशील है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवर्तित खदान से समीप की अन्य खदान (धान-आनाकोनी, क्षेत्रफल 6809 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किया जाने हेतु अनुमोद। वनमण्डलाधिकारी, बलीदाभाऊतर वनमण्डल, बलीदाभाऊतर द्वारा जारी दिनांक 20/02/2024	वन तथा वनजल 24 खेनवाडीह की सीमा से दूरी - 9.49 कि.मी. वनाजीव अभ्यारण बालनवापार से दूरी - 52.30 कि.मी. टाईगर रिजर्व अधानकम्पार से दूरी - 97.50 कि.मी.
महत्त्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	अम्बारी घास - आनाकोनी 1.15 कि.मी. स्कूल घास - आनाकोनी 1.1 कि.मी. अरुमातल - सुतेला 3.60 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 22.5 कि.मी. राजमार्ग - 8.5 कि.मी.	अमुनिया नदी - 4.5 कि.मी. तालवा - 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतराज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्गुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्यारिस्टिंग - हाँ शिखर - जियोलाजिकल 4,72,661 टन माईनेकल 2,28,135 टन रियाक्टेबल 2,18,728 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेच की ऊंचाई 1.5 मीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 29,948 टन द्वितीय 32,314 टन तृतीय 25,751 टन चतुर्थ 25,290 टन पंचम 30,000 टन

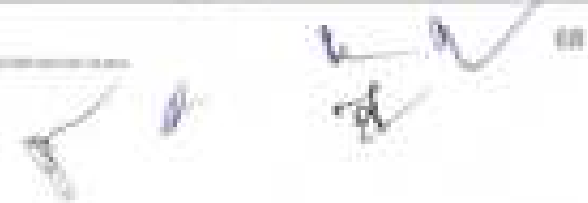
66

	बेच की सीढ़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित कक्ष - नही	
सूचनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	सीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 3,081 वर्गमीटर	उत्पन्नित - हो माईनिंग स्थान में उत्पन्न - हो रेमोवेशन प्लान - हो
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 0.5 मीटर मात्रा - 2,808 घनमीटर	2,306 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईनिंग बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलावन कुशासरोपण के लिए उपयोग। शेष 502 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग पूर्ण से उत्पन्नित 7.5 मीटर सीमा परटी (2,383 वर्गमीटर क्षेत्र, गहराई 4 मीटर) के पुनर्भरण हेतु किता जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत - बोखेल	सेन्ट्रल प्राइमरी बीटर अम्बोसिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त।
कुशासरोपण कार्य	सीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर कुशासरोपण - 705 मग	प्रस्तावित कार्य हेतु 8 वर्ष की राशि - 11,37,700 रुपये
घाटी टी.ओ.आर.	क्रमांक 1274, दिनांक 03/11/2022	1(ए) का स्टैम्पर्ड टी.ओ.आर. (जोकि सुनवाई सहित)
ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग-1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 $PM_{2.5}$ - 68.774 से 69.486 $\mu g/m^3$ PM_{10} - 116.678 से 119.954 $\mu g/m^3$ SO_2 - 8.31 से 9.33 $\mu g/m^3$ NO_2 - 15.84 से 21.12 $\mu g/m^3$ उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 49.6 से 53.8 Night L_{eq} - 38.2 से 42.5 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 महीना) $PM_{2.5}$ - 25.0 से 41.5 $\mu g/m^3$ PM_{10} - 73.0 से 94.3 $\mu g/m^3$ SO_2 - 10.3 से 15.6 $\mu g/m^3$ NO_2 - 12.0 से 17.7 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} - 48.1 से 53.3 Night L_{eq} - 41.5 से 49.7 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गुणवत्ता मानक स्थल: परिदेसीय वायु - 08 सू-जल - 03 सराही जल - 02 ज्वनि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु गुणवत्ता मानक स्थल: परिदेसीय वायु - 08 सू-जल - 08 सराही जल - 02 ज्वनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 08 फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

✓

पी.सी.यू. की गणना	जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।	गरी वाहनों / वाजीएलएल ईवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जी.एल.सी. की गणना		जी.एल.सी. की गणना संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - ग्राम - रानीजरीद स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 807) तहसील - सिमगा, जिला - बलीदाभाजन-साटावरा	लोक सुनवाई इस्तेमाल सरका सचिव, अलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्रामवासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिले। 2. क्लेस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनांश प्रभावित होती है। क्लेस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गाँव का जल सतह नीचे जा रहा है। समीचीन से पानी के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:- 1. खदान बालू होने से ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल क्लेस्टिंग किया जायेगा। 3. शासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एम.पी.	कलस्टर में कुल 34 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की रशि - 2,38,16,500 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की रशि - 3,81,817 रुपये
परियोजना से संबंधित राज्य पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी मिट्टी प्रबंधन सी.ई.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल क्लेस्टिंग, क्लेस्टिंग करत उत्खनन नियंत्रण, खदान पुनरोपस्थापन एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, अलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियंत्रण के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं सार्वजनिक हेतु अति बाधा राज्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई खनन कार्य प्रारंभ लंबित नहीं है।

68



शेनी	की-1	अनुमोदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 68.103 हेक्टेयर है।
------	------	---

1. सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में उल्लेखन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में उल्लेखन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरण है। अतः जोरि उपराल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उल्लेखित क्षेत्र को पुनर्गठन किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उल्लेखित भाग को शामिल कर्ते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की रणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े संघटी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपराल नियमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.20	2%	0.684	Following activities at Nearby, Village- RaniJaroud	
			Plantation around village pond	3.088
			Total	3.088

4. सीईआर के तहत गलाब के चारों ओर वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 मी चौड़ाई के लिए राशि 7,500 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,68,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,40,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत रानीजरीद का सहयोग सब प्रस्तुत किया गया है, वस्तु सीईआर (Corporate Environment Responsibility)

के तहत सम्मिलित सातवें का खसरा जमांक एवं रकमा की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण में दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 110.678 से $118.954 \mu g/m^3$ है, जो कि उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिगत स्वयं के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} - 73.0 से $94.3 \mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। ज्ञात समिति का मत है कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बावजू स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बावजू जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एन.ओ.आई. की केंद्रता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. भारी वाहनों / बायोइस्काज डीजल वाहनों को समाहित करते हुये दैनिक आवाहन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
3. जी.एल.सी. की गुणना संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बावजू स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
5. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बावजू जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत सम्मिलित सातवें का खसरा जमांक एवं रकमा की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये किन्हीं संबंधी आवाहन, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित स्तर का उपयोग प्रभावित कर्मा हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, कन्सिडर कर रहे होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कानूनी पूर्ण प्रतिवेदन डिप्लोमैटिक फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बावजू, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्या हिली गयी रक, माता सरकार के समस्त निधियों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बावजू शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिश निर्देशों का पालन किया जाएगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का गारंटी पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नानवीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिला निर्देशों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 21/05/2024 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. मोन्दरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/07/2024 के माध्यम से एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अधीन डॉ. बी.पी. मोन्दरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जाकरस एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अयोजन कराया गया। तदुपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से मुक्त की सूचना राष्ट्रपति सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अधीन एक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 22/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एसईएसी, छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोफाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई की वैधता वृद्धि संबंधी न्यायालय संचालक, सीनियर तथा सचिव, रायपुर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 03/2024 द्वारा जारी जारी आदेश दिनांक 01/05/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि आशय वच की वैधता अधि ने वृद्धि की मांग की गई है, उसने आवेदक की कोई त्रुटि नहीं है, विरल सद्भाविक है, जिसे माफ किया जा सकता है।

समयक रूप से विचारोपरांत की विवेक अग्रवाल को जारी आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. नवी वाहनों / गालीएकड़ल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये टैक्सी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 213 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (VIC ratio) 0.142 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 170 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तदुपरांत कुल 214.70 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (VIC

ratio) 0.143 होगी। विस्तार के उपरांत भी एं-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

3. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

24 hourly concentrations	Particulate matter (PM ₁₀) (µg/m ³)
Baseline scenario (max)	94.3
Predicted ground level concentrations (max)	2.87
Overall scenario	97.17
NAAQ Standards	100

4. रीसायर्जन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाते जाने के संकथ में परियोजना प्रस्तावक का अध्यन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PM₁₀ की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में खातबन्धन में नहीं के कारण PM₁₀ का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा अंतर स्थान के होकर वाहन से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित रूप से उचित छिड़काव किया जाएगा।
5. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित रूप से धानी का छिड़काव किया जाएगा एवं अंतर प्लाट में भी निम्नलिखित रूप से धानी का छिड़काव किया जाएगा।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत समितित लक्ष्य का सारा क्रमांक 180 एवं सूचा 1.343 डेटाबेस की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विनियुकी संकड़ी आश्वासन, सीईआर के तहत निर्धारित शक्ति का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं संतुष्टाई की प्राप्ति, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु जमान, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से अंतर पूर्व प्रतीक्षण विजोर्टिंग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्क रिपोर्ट में समाहित करने बाबा, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि की भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, वायस्टा हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबा समझ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का समझ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 09/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मर द्वारा पालन किया जाये है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विज्ञापन निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. सीईआर, जॉयन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान, जॉयन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सदस्यों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोन्साईटर/प्रतिनिधि, जल संचायक के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण समूह के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, जॉयन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान, जॉयन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सदस्यों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से समाप्तित करवाया जाना आवश्यक है।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पण्डित विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिसोडिक नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (गैस राशॉरिड) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में जाने वाली खदानों की कल्पन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु जॉयन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिक तथा खनिक, ईंधनवाही भवन, नवा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर (जलसंग्रह) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. अर्बेटक - मैसर्स आम्बकोनी लाईम स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री-) की तालुक (अप्रवाह) को ग्राम-अलाकोनी, तहसील-सिमरा, जिला-बल्लारामाचार-भाटगारा के खसरा क्रमांक 36 (पार्ट), 38 (पार्ट) एवं 39 में स्थित कुल पथर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर, संख्या-32.313.75 टन प्रतिवर्ष हेतु परीक्षा-08 में वर्गीकृत शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रत्येकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) जलसंग्रह को उपानुसार सुनिश्चित किया जाए।



12. मेसर्स श्री बाळाजी स्टोन इम्पस्ट्रीज (पार्टनर- श्री निकुंज पटेल, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट), राम-खैरवारी, तहसील-किमगा, जिला-बल्लार-महाराष्ट्र (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1829)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण के संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाइन आवेदन	टी.ओ.आर - 72156 एवं 10/02/2023 ई.सी. - 451430 एवं 05/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.4 हेक्टेयर एवं 76,875 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	364, 388(पार्ट), 389, 404, 405 एवं 407	

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तरीसंगड के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में पाली गई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उत्तरीसंगड के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

सू-स्वामित्व	श्री मेसर्स श्री बाळाजी स्टोन इम्पस्ट्रीज (पार्टनर- श्री निकुंज पटेल, श्री योगेश कुमार पटेल, श्री लखन पटेल एवं श्री जयंती भाई पटेल) तथा श्री लक्ष्मण बिल्डरे के नाम पर है।	पार्टनरशिप डीड की प्रति एवं श्री लक्ष्मण बिल्डरे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर एवं पर्यवेक्षण सलाहकार के रूप में मेसर्स एएमपीएल एन्वायरों प्रॉजैक्ट लिमिटेड की ओर से श्री महमूद मौस उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में भर्खापत्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बल्लार दिनांक 26/09/2012	ग्राम पंचायत के अनुरोध प्रमाण पत्र की तिथि 10 वर्ष हेतु श्री जी सनात हो चुकी है। अतः ग्राम

		संरचना के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वीथ प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/02/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/01/2022	4 खदानें, रकबा 6,155 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 03/01/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई. संबंधी विवरण	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स सी बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज दिनांक - 16/12/2021 क्षेत्रफल अवधि - 1 वर्ष	क्षेत्र वृद्धि हेतु जारी पत्र दिनांक - 29/12/2021 क्षेत्र अवधि - पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं अनुमतिपत्र स्वीकृति आवेदन जारी करने हेतु अनिवार्य समयावधि प्रदान किया जाता है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनसम्पदाधिकारी, बलौदाबाजार वनसम्पदा द्वारा दिनांक 07/06/2022 को जारी प्रमाण पत्र में "उक्त क्षेत्र आवेक्षित वन, संरक्षित वन एवं नारंगी वनक्षेत्र का भाग नहीं होने के कारण आवेक्षित घुना पर्यार उत्खननपत्र स्वीकृत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु वन क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में होने के कारण छरतीसगढ़ पर्यावरण संस्थान बंगाल से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।" का उल्लेख है।	आवेक्षित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनसम्पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महात्मा पूर्ण संरक्षणार्थ की दूरी	आवादी गांव - खैरवारी 1.02 कि.मी. स्यूल गांव - सुईला 1.21 कि.मी. अस्पताल - सुईला 2.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 21 कि.मी. राज्यमार्ग - 11 कि.मी.	जालाब 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन सिद्धि - ओपन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल कार्टरिज - 80 रिलर्स - जियोलेजिकल 18,15,000 टन माईनेबल 11,02,100 टन	वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 78,875 टन द्वितीय 72,530 टन तृतीय 68,940 टन चतुर्थ 66,730 टन पंचम 61,567.5 टन

✓

✓

	रिक्तहरेफल 10.47,080 टन प्रस्तावित गहराई 20 मीटर वेध की चौड़ाई 1.5 मीटर वेध की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 15.75 वर्ष प्रस्तावित कागज - नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबधित क्षेत्र	लौज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,400 चर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बैंक प्रबंधन सौजन्य	मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 28,600 घनमीटर	4,047 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाधन्नी) क्षेत्र में फैलाकर पुष्करोधन के लिए उपयोग। शेष 34,553 घनमीटर - लौज क्षेत्र को बाहर खोद की भूमि (खसरा क्रमांक 368/2, सतह 0.80 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा - 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत - बोरोवेल एवं टैंकर के माध्यम से।	सेम्ट्रा प्रसाधन बोर्डर अधीनस्थ से 5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त तथा शेष जल की आपूर्ति प्राइवेट टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
पुष्करोधन कार्य	लौज क्षेत्र के 7.5 मीटर के घाटी ओर पुष्करोधन - 1,365 नम	प्रस्तावित कार्य हेतु 3 वर्ष की सधि - ₹1,67,170 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	अमरक 1525, दिनांक 08/12/2022	1(ए) का स्टेपडाई टी.ओ.आर (निक मुनापई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग-1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} - 71.57 से 78.66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 133.42 से 138.84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 7.85 से 8.41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 17.44 से 18.75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 50.7 से 53.7 Night L _{eq} - 40.5 से 42.8 उक्त क्षेत्र को निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से जनवरी 2024 (01 माह) PM _{2.5} - 23.9 से 35.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 74.1 से 90.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 10.5 से 18.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 12.2 से 17.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A)	गुणवत्ता मानक स्थल परिदृशीय वायु - 08 भू-जल - 03 सतही जल - 02 ध्वनि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु गुणवत्ता मानक स्थल, परिदृशीय वायु - 08 भू-जल - 06 सतही जल - 03 ध्वनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 06

	Day L_{eq} - 48.1 से 53.2 Night L_{eq} - 42.3 से 48.2 उपरा क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	फलीफ (Fibre) एवं फौना (Fume) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	राज्यमार्ग हेतु - परामान में 250 पी.सी.यू./दिन डी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 560 पी.सी.यू./दिन डी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.38	राज्यमार्ग हेतु - लोक कौरेग क्षमता निर्धारित मानक- B (Very Good) की भीतर है।
डी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान $65.35 \mu g/m^3$ है।	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/09/2023 समय - प्रातः 10:00 बजे स्थान - ग्राम - समीपवर्ती स्थित निजी भूमि (खसरा क्रमांक 607) तहसील - सिमगा, जिला - बलौदाबाजार-भाटपारा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जल संसाधन पर्यावरण संरक्षण मंडल, राय रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्राम बासिंधी को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिले। 2. क्लॉस्टिंग से ग्रामवासियों की दिनचर्या प्रभावित होती है। क्लॉस्टिंग नहीं होना चाहिए। 3. गांव का जल स्तर नीचे जा रहा है। गांवियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	निर्वाकरण की दिशा में कथन निम्न हैं:- 1. खदान बंद होने से ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा। 2. कंट्रोल क्लॉस्टिंग किया जायेगा। 3. बावेल द्वारा जारी सभी सर्वा का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
बी.ई.एम.पी.	मलस्टर में कुल 05 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 60,08,947 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 24,54,175 रुपये
परियोजना से संबंधित राय पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी मिट्टी प्रबंधन, बी.जी.एम.एस. द्वारा कंट्रोल क्लॉस्टिंग, म्यूजिकेटिव डस्ट क्लोजरोंन निबंधन, सघन वृक्षारोपण एवं 60 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, जल संसाधन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज निधनों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संयोजन हेतु आदि बाकत राय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न राय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लॉन्ग नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और

✓

R ✓ 11
म

		जलवायु परिवर्तन मामलय की अधिसूचना का.जा. 004(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण नहीं है।
बेपी	बी-1	आर्बिडिल छद्मन को निहातर कुल क्षेत्रफल 0.55 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त विनियमों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at Nearby, Village- Lohari	
			Plantation	3.0855
			Total	3.0855

2. सीईआर के तहत पुनरोपवन (नैम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नम पीप्ले के लिए राशि 10,000 रुपये, पीपल के लिए राशि 84,660 रुपये, खान के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा एक-एकल जमीन के लिए राशि 40,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,43,260 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,43,260 रुपये हेतु बटकाव व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत पुनरोपवन हेतु राम संघावत का सहमति उपरोक्त पर्यावरण स्थान (जिसका जमांक एवं रकमा सहित) का चलेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} – 133.42 से 138.84 $\mu g/m^3$ है, जो कि उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने के दृष्टिकोण स्वयं के संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसने PM_{10} – 74.1 से 80.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। यह सीधेता का मत है कि बेसलाइन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बावजूद स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्सर्जन प्रक्रिया से होने वाले धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त सभी उपाय करने बावजूद जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परामर्शन के संबंध में पाटनमंडीप क्षेत्र की प्रति एवं की अद्यतन वित्तवारे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परामर्शन के संबंध में ग्राम पंचायत के अनामति प्रमाण पत्र की पैर प्रति (बैठक के कार्यवाही विवरण, खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. आगेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से पूरी का वल्लेख करते हुए कर्मालय कन्सप्लेटलाइकरी का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. वेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु किये गये सॉनिटरींग अवधि : मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त सॉनिटरींग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PMU की माफा में अंतर आने बाधत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
5. परामर्शन प्रक्रिया से होने वाले कुल परामर्शन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रमाणी उपकरण करने बाधत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्रांत अध्यात्मिक स्थान (खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित) का वल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये सिन्दुओ समीक्षा आलाचन, सी.ई.आर. के तहत निष्पेक्षा सति का उपयोग प्रभावित कार्य हेतु भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राप्ति, खसरा कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित सत्या से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन डिजिटल फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में सम्मिलित करने बाधत, इन्हें द्वारा परामर्शन हेतु आगेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त डिटेल की खा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाधत राफा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाधत का राफा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/06/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 2014 में दिर गए दिशा निर्देशों का से द्वारा पालन किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाधत का राफा पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिरे गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायगा।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरत आगामी कार्यवाही की जायगी।

तदनुसार एस.ई.सी., कल्लेसगड के छापन दिनांक 21/06/2024 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(श) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 29/06/2024।




पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 538वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। नक्का सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 को मध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन डॉ. बी.पी. नोन्हेरे को पत्र के मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी घाट, नक्का रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदनुसार छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी घाट, नक्का रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 को मध्यम से पत्र की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नक्का रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 538वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पत्र मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचारणीय था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 24/06/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को एवम् पत्र दिनांक 28/02/2025 को मध्यम से 538वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(न) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज घटेल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. परखनन के संकट में पार्टनरशिप क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। श्री अमृतदास बिलथरे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2017 से श्री बाबाजी स्टोन इंडस्ट्रीज को पार्टनर नहीं है। अतः वर्ष 2017 के बाद से श्री अमृत लाल बिलथरे का कोई भी बागीदारी/दावेदारी नहीं है। इसलिए कोई भी सहमति या असहमति की आवश्यकता नहीं है।
2. परखनन के संकट में ग्राम पंचायत बरलीन का दिनांक 20/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. कामासय घनानुसंधानिकरी, बलीदाबाजार वनस्पति जिला-बलीदाबाजार, के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/संनिज/2022/1618 बलीदाबाजार, दिनांक 07/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अपेक्षित क्षेत्र निष्काशन वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
4. वेबसाईट काटा कलेक्शन हेतु किने गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PMU की मात्रा में अंतर पाये जाने के संकट में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान वनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PMU की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में वातावरण में नमी के कारण PMU का मान कुछ कम पाया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा परखनन प्रक्रिया से होने वाले धूल परसर्जन के निबंधन तथा ज्वार प्लान के ज्वार बंधर से होने वाले धूल परसर्जन के निबंधन हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।
5. वातावरण प्रक्रिया से होने वाले धूल परसर्जन के निबंधन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा एवं ज्वार प्लान में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा।

6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत कुंआरोपण हेतु घात भंदायत लोहारी के सहमति उपरांत पंचायीय स्थान (समस्त कर्मिक 721, क्षेत्रफल 4.7 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर में) का चल्लेख करले हुए अनाजलि प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है।
7. लोक सुभाष के दौरान अटाये गये बिन्दुओं संबंधी आरवास्तन, सीईआर के तहत निर्धारित शक्ति का उपयोग प्रसाधित कर्मा हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित सुभाषला एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले धन समस्तकों के निराकरण हेतु उपाय, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित कायदा से कार्य पूर्ण अतिवेदन मिश्रित, फोटोमाफ़ सहित जलकरारी अर्थाथिक रिपोर्ट में समाहित करने बाका, हमारे द्वारा अखनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त कितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त निधनों के अंतर्गत धातन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबतु सापथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रसाधक द्वारा इस आशय का सापथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का सेरे द्वारा पालन किया जाये।
9. परियोजना प्रसाधक द्वारा इस आशय का सापथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) CWR No.114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
10. सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रसाधक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं कुंआरोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रीपराइटर/अतिनिधि, घात भंदायत के पर्याधिकारी/अतिनिधि एवं जिला आवासन या कल्लोसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्याधिकारी/अतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रसाधक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं कुंआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से साधवित कर्मा जाया अवाधक है।
11. माननीय एन.जी.टी. डिस्ट्रिक्ट बेथ, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद धातवेय विमल्ल सरत सरकार पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरेजन्स एडिक्केशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए, अविमुचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी.




द्वारा जारी आवेदन के अनुसार कार्टर में आने वाली खदानों की कठिनता गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले सम्बन्धित खदानों को शामिल करते हुए, कार्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा डिमार्शियल कराने हेतु संघालय, संघालनालय, नौमिकी तथा खनिकर्म, इलाक़ी मयन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (भारतीयमंड) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. नैसर्ग श्री बालाजी स्टीन इंडस्ट्रीज (पार्टनर - श्री निखुज पटेल, खैरवारी स्टीन क्वारी प्रोजेक्ट) को ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिंगना, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के खसरा क्रमांक 394, 395(पार्ट), 399, 404, 406 एवं 407 में स्थित मुना पाथर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.4 हेक्टेयर, सामता-79,875 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-07 में वर्गीकृत शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमय को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. नैसर्ग श्री बालाजी स्टीन इंडस्ट्रीज (पार्टनर - श्री राणा अरुण कुमार सिंह, खैरवारी स्टीन क्वारी प्रोजेक्ट), ग्राम-खैरवारी, तहसील-सिंगना, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (संविदालय का नसीब क्रमांक 1900)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 70088 एवं 10/01/2022 ई.सी - 401385 एवं 08/11/2023	कार्डिनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मुना पाथर (ग्रीन खनिज) खदान	संगठित (अमला विस्तार)
क्षेत्रफल एवं सामता	1.768 हेक्टेयर एवं 60,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	391, 392 एवं 393(पार्ट)	

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रतीसमय के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 607वीं बैठक दिनांक 10/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखुज पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के एक दिनांक 10/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण समिति के सम्बन्ध बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिखा गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई माहित जानकारी एवं सम्बन्धित सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रतीसमय के ज्ञापन दिनांक 28/02/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

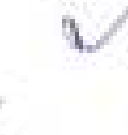
तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. फंक्शनल इड के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(8) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
भू-स्वामित्व	भूमि मालिक की बालाजी स्टोन इम्पंडर्रीज तथा श्री अश्वपति बिल्डिंग के नाम पर है।	की अवगत बिलधरे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल चट्टे, प्रोत्साईटर एवं पर्यावरण सलाहकार को रूप में मेसर्स एग्रीमीएल एन्वायरों प्रॉजैक्ट लिमिटेड की ओर से श्री सहभाषी नाम उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक - 381, 382 एवं 383(पार्ट) क्षेत्रफल - 1.788 हेक्टेयर क्षमता - 38,123 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 15/03/2017 विजात अवधि - 14/03/2022	डी.ई.आई.ए.ए. जिला-बलौचबाजार-भादामारा भासा सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Control Order (COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की विजात जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	रक्त-प्रमाणित - हाँ क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर - अग्रपक्ष	निर्धारित शर्तानुसार 500 नए कुशांतपण किया गया था, जिनमें से वर्तमान में 300 से अधिक कुशी का जीवित होना बताया गया है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकल्प है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
मिश्रा वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 09/05/2023 2017-18 में निरक 2018-19 में 10,900 टन 2019-20 में 30,250 टन 2020-21 में 34,800 टन 2021-22 में 37,500 टन	
साम पर्यावरण	साम पर्यावरण बलौच	संलग्न है।

एन.ओ.सी.	दिनांक 28/09/2012	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/11/2021	संतप्त है।
500 मीटर	दिनांक 05/05/2022	4 खदानें, रकबा 7.767 हेक्टर
200 मीटर	दिनांक 05/05/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज कीड का दिवसन	लीज धारक - मेजर की बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज केबल अवधि - 01/12/2007 से 00/11/2037	पार्टनरशीप कीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
वन विमान एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, मलीदाबाजार वनमण्डल मलीदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 02/06/2021	निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित खदान की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्योन्मुख वन मण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
नहरपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आवादी घाट - बीरवादी 1.02 कि.मी. स्कूल घाट - सुहेला 1.3 कि.मी. अस्पताल - सुहेला 1.85 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 21 कि.मी. राजमार्ग - 11 कि.मी.	तालाब 1 कि.मी. जमुना नदी 8 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संतप्त है।
खनन संवदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कस्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हाँ रिजर्व - जिसेलसिजियाल 8,73,800 टन माईनेबल 2,98,648 टन रिकवरेबल 1,78,906 टन प्रस्तावित गहराई 28 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर समाहित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित प्रकार - गहरी	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 60,000 टन द्वितीय 48,170 टन तृतीय 56,025 टन चतुर्थ 48,990 टन पंचम 50,550 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 3.332 वर्गमीटर	उत्खनित - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ रेस्टोरेशन प्लान - हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन		वर्तमान में आवेदित क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी आवेधित नहीं है।




प्रबंधन योजना		
जल आपूर्ति	माछ - 5 घनमीटर प्रतिदिन संकेत - सू-जल	सन्दूत प्राचण्ड मीटर अवॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लोक क्षेत्र के 7.5 मीटर के भारी और वृक्षारोपण - 975 रु।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 11,53,180 रुपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 1278, दिनांक 03/11/2022	1(1) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तरेषण	मॉनिटरिंग - 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 PM _{2.5} - 72.08 से 78.35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 118.18 से 128.31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 7.85 से 8.41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 17.44 से 18.75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 49.4 से 53.7 Night L _{eq} - 39.2 से 42.8 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) PM _{2.5} - 23.9 से 38.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM ₁₀ - 74.1 से 90.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ SO ₂ - 10.5 से 15.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO ₂ - 12.2 से 17.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Noise level - dB (A) Day L _{eq} - 48.1 से 53.2 Night L _{eq} - 42.5 से 46.2 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थल परिदृशीय वायु - 08 सू-जल - 03 साफ़ी जल - 02 ध्वनि स्तर - 04 मिट्टी के नमूने - 03 अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य हेतु गुणवत्ता मापन स्थल परिदृशीय वायु - 08 सू-जल - 03 साफ़ी जल - 02 ध्वनि स्तर - 08 मिट्टी के नमूने - 08 फलोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जायकवरी उपरतुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	राज्यमार्ग हेतु - वर्तमान में 250 पी.सी.यू. /दिन की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16 परियोजना उपरांत 550 पी.सी.यू. /दिन की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.36	राज्यमार्ग हेतु - लोक करिंग अस्ता निर्धारित मानक - B (Very Good) के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM ₁₀ का अधिकतम मान 94.12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 23/08/2023 समय - प्रातः 10.00 बजे स्थान - ग्राम - समीकरीय स्थित मिर्जी मुमि (खसरा क्रमांक 807) तहसील - सिमगा जिला -	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-बामपुर की पत्र दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रेषित किया

8

8

	बतौरआवाज़-मादापारा	नया है।
लोक सुनवाई	मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. ग्रामवासियों को रोजगार नहीं मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिले। 2. प्लास्टिक से प्राणवायुओं की दिनांक प्रभावित होती है। प्लास्टिक नहीं होने चाहिए। 3. गांव को जल सहर नीचे जड़ रहा है। गांवियों में पीने के पानी की समस्या होती है।	निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:- 1. खदान खुलू होने से प्राणवायुओं को रोजगार मिलेगा। 2. कन्ट्रोल प्लास्टिक किया जायेगा। 3. रासन द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करते हुए खनन किया जायेगा।
सी.ई.एच.पी	कलक्टर में कुल 04 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 60,08,947 रुपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 12,90,608 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कयरी मिट्टी प्रकल्प, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल प्लास्टिक, आयुर्विधि कस्ट-असर्जन नियंत्रण, सघन कुआरोंपण एवं 60 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, प्रतीक्षाकृत अवधि पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियंत्रण के तहत जीवनिक, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जारी कार्य शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(म), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलम्भ का प्रकरण लंबित नहीं है।
शेन्टी	सी-1	अंशित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.55 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा अंतर्गत विभागानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.4488	2%	0.788	Following activities at Nearby, Village- Lahari	
			Pavitra Van	2.276

			Nirman	
			Total	2.276

- सीईआर के अंतर्गत "परिचर कल निर्माण" के तहत वृक्षारोपण (मीम, अम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नए पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फसिंग के लिए राशि 40,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 86,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,39,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु घात बेधायत लोहारी के सहमति जगराज पर्यायोग्य स्थान (जिसका क्रमांक 781, रकबा 4.7 हेक्टेयर) को जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा फट्टी में उत्खनन का खनिज निष्कासी किये जाने के संबंध में मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज (पार्टनर - श्री राणा अरुण कुमार सिंह) द्वारा अर्थात् राशि 60,000 रुपये जमा की गई है, जिसके रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन अटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 में PM_{10} - 118.18 से 138.31 $\mu g/m^3$ है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक होने को दृष्टिगत रख्य के संज्ञान में लेते हुये अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) का किया गया है, जिसमें PM_{10} - 74.1 से 80.8 $\mu g/m^3$ पाया गया है, जो कि उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। अतः सविधि का मत है कि बेसलाइन अटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तरमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- उत्खनन हेतु श्री अधिकांत बिल्वारे के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- निकाशक वन क्षेत्र से आवेदित खदान की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वन मन्त्रालयकारी का अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- बेसलाइन अटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में PM_{10} की मात्रा में अंतर आने बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
- उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्रभावी उपाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये किन्तुओं संबंधी आश्वानन, सीईआर के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा

8

9

10

एक योजना की प्रामाणिकता, खानन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से जारी पूर्ण प्रतिवेदन किमोटिंग फोटोकॉपी सहित जानकारी अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करने संबंध, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवंटित भूमि की भूमि स्वामित्व के भूमि से संबंधित समस्याओं की खास भारत सरकार के संसद निर्देशों के अंतर्गत चलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, क्लरिफिकेशन हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि संबंध संबंध पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाये।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाये कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिए गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त संभवतः पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आपन दिनांक 21/05/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. मोन्हेरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. मोन्हेरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी नगर, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदनुसार छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी नगर, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य समिति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विभागाधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 24/05/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निरंज कटार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई-

88

1. श्री अमृतलाल बिलवारे का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2017 से श्री बालाजी स्टीन इंडस्ट्रीज के पार्टनर नहीं है। अतः वर्ष 2017 के बाद से श्री अमृत लाल बिलवारे का कोई भी भागीदारी/दावेदारी नहीं है। इसलिए कोई भी सहमति का असहमति की आवश्यकता नहीं है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 235, दिनांक 09/04/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय खोजों का पालन प्रतिरोधन वेबसाइट किया गया है, जिसके अनुसार समस्त खोजों का पालन किया जाना बताया गया है।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलीदाबाजार वनमण्डल जिला-बलीदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/लसगीकी/खनिज/860 बलीदाबाजार, दिनांक 20/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 11.9 कि.मी. की दूरी पर है।
4. वेबसाईट डाटा कलेक्शन हेतु किये गये मॉनिटरिंग अवधि 1 मार्च 2022 से 31 मई 2022 एवं अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य जनवरी 2024 से फरवरी 2024 में PM₁₀ की मात्रा में अंतर पाये जाने की संभावना परीक्षण प्रस्तावक का कथन है कि मॉनिटरिंग अवधि 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। अध्ययन अवधि के दौरान खनन गतिविधि कुछ अधिक था, जिसके कारण PM₁₀ की मात्रा अधिक थी एवं जनवरी 2024 से फरवरी 2024 (01 माह) में वातावरण में गनी के कारण PM₁₀ का स्तर कुछ कम पाया गया। साथ ही परीक्षण प्रस्तावक द्वारा उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण तथा अंतर स्थान के हॉफर संकर से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।
5. उत्खनन प्रक्रिया से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा एवं अंतर प्लाट में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा।
6. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सीईओर, सी तहत निर्धारित सक्ति का उपयोग प्रस्तावित कार्य हेतु, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राप्ति, खनन कार्य से होने वाले जन असुविधाओं के निराकरण हेतु, जमाय, सीईओर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित राजस्व से कार्य पूर्ण प्रतियोगिता निर्धारित फोटोवाच सक्षित जानकारी आवेगधिक रिपोर्ट में समाहित करने संबंध, हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हिलों की खा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कलक्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति अति बाबत गणप पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का रूप पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मने द्वारा पालन किया जाएगा।
8. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का रूप पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिए गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

9. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कूड़ासंग्रहण कार्य को कोनिट्रोल एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोएआईएल/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यावरण/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पर्यावरण/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कूड़ासंग्रहण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी., ब्रिस्बल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिचालन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिती द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिचालन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में जाने वाली खदानों की संरक्षण गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक, इंदारजी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- माईन लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेन के कुछ भाग में किये गये वल्टेजिंग के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपारों (Remedial Measures) के अभाव में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपारों यथा वृक्षरोपण आदि के लिये समुचित उपारों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक, इंदारजी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अक्सर संरक्षण किया जाना पाये जाने पर जीव जनसंख्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा सैनिक को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
- पैसर्स की बालाजी स्टोन इंस्टीट्यूट (पार्टनर - श्री राणा अरुण कुमार सिंह, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट) को राम-खैरवारी, तहसील-सिमगा, जिला-बसीदाबाजार-भटाना के खसरा नम्बर 381, 382 एवं 383(पार्ट) में स्थित घुस पत्थर (पीग सनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.788 हेक्टेयर, क्षमता-60,000 टन

प्रतिपक्ष हेतु पब्लिश्ट-08 में वर्णित शर्तों के अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाण आवेदन प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मैसर्स पी. जबलपुर लैण्ड कारो (प्री.- वी. अनिलक पाण्डेय), ग्राम-जबलपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नसी क्रमांक 1872)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन पत्र - एसआईए/ जीसी/ एमआईएन/ 243522/ 2021, दिनांक 14/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (पीप खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-जबलपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खरास क्रमांक 84, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जलजनन मात्र नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रत्युत्तरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिलक पाण्डेय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जबलपुर का दिनांक 07/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्हाकिट/सीनाकिट - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकिट/सीनाकिट बन घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-रायगढ़ के पृ. द्वारा क्रमांक 1384ए/ख.नि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 1385/ख.नि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 1385/ख.नि.-3/रेत/2021

रायगढ़, दिनांक 13/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खस खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बंगरा, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की आवधिक मापदंड के तहत पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचालन), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 808/ख.सि. -3/रेत नीलागढ़/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता पुष्टि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रतिक्रियाधीन है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय जनसम्बन्धन अधिकारी, रायगढ़ जलसम्पदा विभाग जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./8738/2021 रायगढ़, दिनांक 02/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.36 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घान-जगतपुर 800 मीटर एवं स्थान राम-जगतपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शीतल रेत खदान के 1 कि. मी. की दूरी तक एनोकाट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संरक्षणशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतराजतीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अमरावती, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित मिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के फाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के फाट की चौड़ाई - अधिकतम 389 मीटर, न्यूनतम 305 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 342 मीटर, औसत चौड़ाई 142 मीटर है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा - 54,000 घनमीटर है। प्रस्तुत पत्रनामा में पीट की जानकारी एवं रेत की मोटाई का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गद्दा (पि) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का उल्लेख करती हुए पत्रनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के पिंड बिन्दुओं पर दिनांक 25/11/2021 की रेत सतह के वर्तमान लेवल (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से जमागीकरण उपराल फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कैपिटल पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6	2%	0.12	Following activities at Nearby, Government Middle School Village- Jabalpur	
			Rain Water Harvesting System	0.2
			Running Water Facility for Toilets	0.2
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.12
			Total	0.67

समिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संवन्धन भी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त माफ़िश जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 13/06/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 538वीं बैठक दिनांक 28/06/2024

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 538वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्डरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्डरे को पत्र से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। उपरोक्त छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 18/07/2024 के माध्यम से पत्र की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 538वीं

बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विधायकीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरीक्षणानुसार जानकारी दिनांक 18/06/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एसईएसी, जलोत्सर्ग के एजेन्डा पत्र दिनांक 28/03/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा मंजूरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एसजीआई की पैदाई बुद्धि बालू न्यायालय संस्थानक, नीमिही तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 64/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 28/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरीक्षा विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जलोत्सर्ग गौम खनिज संस्थानक रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7 (4) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन भट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायचूर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होता बताया गया है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (पिछ) खोदकर उसकी मासिक गहराई का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 0.25 मीटर है। रेत की मासिक गहराई हेतु प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के माध्य में सीमेंट के स्तंभ पड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
4. सीईआर, आई एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलोत्सर्ग पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति को संचालित कराया जाना आवश्यक है।
5. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भरई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना अस्वीकार्य है। समिति का मत है कि लीडर जैसे गांव वाली वाहन की कंपनी के है। गांव भरई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जाये। गांव वाली को नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्जनन संकीर्ण अध्ययन कार्य एवं तटबंधी अधिकारी का सम्पर्क नहीं किया गया है। गांव नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माप अध्ययन (Situation Study) करवेगा, ताकि रेत के पुनर्जनन (Regeneration/Restoration) कायम राशी आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
2. लीज क्षेत्र की सरह का वेसलाईन आटा -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित पिछ बिन्दुओं पर नदी में रेत की सरह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी पिछ बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सरह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित पिछ बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी पिछ बिन्दुओं पर रेत सरह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जावेगा।
 - iv. रेत सरह के पूर्व निर्धारित पिछ बिन्दुओं पर रेत सरह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किए जायेंगे।
3. नदी तट एवं पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले वीथी का रोपण (जिन से कम 60 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु बैरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का मटकवार काम का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नदी तट में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सूची खतरा कक्षाएं एवं राजस्व का उत्प्रेषण करते हुये धान पैदावार का सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अन्तर्ग प्रयोगशील स्वीकृति की सराई अनुमति भी जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से वेसर्स की जबलपुर रोड क्लारी (प्रि- की अनिवार्य पाण्डेड) की धान-जबलपुर, तहसील-खरसीया, जिला-रायगढ़, खसरा क्रमांक-94, कुल लीज क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-09 में वर्णित शर्तों के अधीन दिवे जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अनिवार्य द्वारा (Mandatory) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में






सिक्त रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एसईआईएए) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

13. गैराली कुमरडीहकला लाईन स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री पवन रावणा), धान-कुमरडीहकला तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1010)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43830, दिनांक 08/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 73813/ 2020, दिनांक 07/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से अधिसूचित धूसर पत्थर (ग्रीन ग्रैनाइट) खदान है। खदान धान-कुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक-23, कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2016 में प्रकाशित स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ रिफरेंस (टीजेआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट पलीबरेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीजेआर (लोक सुल्पाई सहित) और सैंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन रावणा, प्रोजेक्ट्स एंड पर्यावरण राजाहवार के रूप में मेसर्स पी एम्ब एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगन्मोहन शर्मा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब प्रस्ताव जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षा करने पर निम्न विधिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए रिपोर्ट मेसर्स इन्विड्युअल लाईन फाइनर एण्ड कन्सल्टेंट, धौलपुरा द्वारा तैयार किया गया था। गैराली इन्विड्युअल लाईन फाइनर एण्ड कन्सल्टेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आपापी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैराली पी एम्ब/एम

सील्युशन, नोट्स, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उत्तरप्रदेश में सील्युशन, नोट्स, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ईआईए रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एच एम सील्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में भूला माथरा खदान खसरा क्रमांक 25, कुल क्षेत्रफल-0.631 हेमटेकर, समता-18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला सार्वजनिक पर्यावरण समन्वय निदेशन प्रधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतियोगिता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षरोपण किया गया है।
- सामयिक कनेक्शन (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव की आपन क्रमांक 1394/समिति. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2022 द्वारा विगत वर्ष में किए गये उत्खनन की जानकारी विधानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	625	2017	2,050
2010	8,487	2018	13,200
2011	686	2019	5,900
2012	9,820	2020	5,520
2013	5,358	2021	2,000
2014-18	निरक	2022 (सर्वे तक)	1,000

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 28/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उत्खनन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरिएंडम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार The intention order passed by the

Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021 का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस में नोटिफिकेशन दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उत्तराखण्ड के प्रकरणी हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. धाम परियोजना का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्तराखण्ड के संबंध में धाम परियोजना सुमरबीछकला का दिनांक 12/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्तराखण्ड योजना - सीडिफाईड ज्वारी प्लान (विश्व इन्वायर्सनेट प्लान एम्बेड्डेड कंजर्वेशन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संसाधक (स.प्र.), संसाधनालय, भूमिहीन तथा स्थानिक, नया राखपुर अटल नगर के आपन क्रमंक 843/अनि02/वा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नया राखपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान— कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2834/ख.ति. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें क्षेत्रफल 10.85 हेक्टेयर हैं। प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 32 खदानें हैं। इन संकेत में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2834/ख.ति. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोमेट, बांध एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निम्न नहीं हैं।
7. भूमि एवं लीज का विवरण — भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज भी डाक्टर ज्ञानचंदानी के नाम पर थी, जिसकी अवधि 05 वर्ष (दिनांक 28/08/2008 से 27/08/2013) तक थी। तात्पर्यतः लीज की 25 वर्ष अवधि दिनांक 28/08/2013 से 27/08/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित हो गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के पृ. ज्ञापन क्रमांक/471/ख.ति. 02/2017 राजनांदगांव, दिनांक 01/03/2017 की लीज का संचालन भी यमन तावडा के नाम पर किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./म.क्र. 10-2/2019/13138 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घाम-डावा 1 कि.मी., स्कूल घाम-कुमरडीह 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब घाम-डावा 1 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरणीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्तारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का वितरण — विद्यमान खनन रिजर्व 1,80,300 टन (75,720 घनमीटर), माइनरिल रिजर्व 75,082 टन (30,833 घनमीटर) एवं निकटस्थ रिजर्व 28,101 टन (11,240 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,544 वर्गमीटर है। खनन करस्ट सेमी मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम

✓

8

ह

✓
2

गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,000 घनमीटर का। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बीच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का वितरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,000
द्वितीय	8,000
तृतीय	8,000
चतुर्थ	8,000
पंचम	8,000

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाएगी। इस वास्तु सैन्ट्रल हाउसिंग बोर्ड अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 838 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाताफ़नी में (838 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन क्षति हेतु राशि)	48,336	4,864	4,864	4,864	4,864
	कर्मिंग हेतु राशि	79,100	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,770	480	480	480	480
	सिंकाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,36,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,63,582		3,68,206	2,21,344	2,21,344	2,21,344	2,21,344

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी का कुल क्षेत्रफल 2,544 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 94.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 780 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 60 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 231 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुसूचित योजनाओं में किया गया है। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्प्रेषण है। जल परियोजना प्रस्तावक के विकसित खनिज विभाग द्वारा जारी उत्खनन

किये जाने हेतु अर्थादम्ब राशि रुपये 1,39,000/- जमायक गया था, जिसकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थादम्ब राशि रुपये 1,39,000/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिच्छेदित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु कर्तव्यवश पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रावपुर जटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना अवश्य है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जहां मानक शर्तों के अनुसार साईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना अवश्य है।

17. ईआईए रिपोर्ट का विस्तारण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	21.38	40.45	60
PM ₁₀	42.65	65.33	100
SO ₂	5.09	9.87	80
NO ₂	9.48	15.95	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:- ईआईए में Chapter-3 Description of environment में दत्तारि गये टेबल अनुसार कलेराइकल, वाइटेडस, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परियोजना ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day time	43.2	61.1	75

Night L _{eq}	37.9	54.9	70
-----------------------	------	------	----

जो उष्ण क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सेल डीसी वाहनों की रजिस्ट्रार करतों द्वारा दृष्टिकोण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वाहन ने 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी से-मेटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 सोमवार 12:00 बजे स्थान— ग्राम-बंदायल मठ, ग्राम-कुनरडीहकला, तहसील व जिला-साकेत/दंगाने में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, जलसुनवाई पर्यावरण संरक्षण मंडल, गंगा राधपुर अटल नगर, प्रिडो-राधपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को खनित करते हुए अवरतन में कुल 32 खदानें जाती हैं, जिसमें से वर्तमान से 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। जब कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में भोजिले के लिये पानी नहीं बचता है।
- डैरी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय बघेली में घल्लत घुमेर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।
- खदान में काम करने वाले बच्चों को अवरतन की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। अवरतन सड़क से जगा हुआ है, घरों के घल्ले के कारण कई एम्बीडेट हो चुके हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- गांव की गलत शासकीय भूमि का अवैध रूप से जखनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल संचयन का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है—

- खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पर टी में कैलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
- अनुमति फोर्टेक्टर की नियामकी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व कट्टर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे शायीनों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

18. खदान में काम करने वाले अधिकारियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।
19. माइनिंग प्लान के अनुसार ही रखरखाव कार्य किया जाएगा। खदान के बाहरी सीमा दीवार रोड में वृक्षारोपण का कार्य निविदात रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए समय पर की से लीम धार जेल का प्रिडक्शन किया जाएगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रशासक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए क्लस्टर में कुल 32 खदानें आती हैं। जहां क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान की वहाद निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कें/पट्टा मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टा मार्ग की कुल लम्बाई 6 कि.मी.	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
धुंधल मार्ग के दोरी वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन वर) हेतु राशि	4,05,508	40,508	40,508	40,508	40,508
तयरा (5,333 वर्ग) के दोरी वृक्षारोपण हेतु राशि	42,68,400	-	-	-	-
साथ हेतु राशि	39,990	3,990	3,990	3,990	3,990
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सड़कें / पट्टा मार्ग के संधारण हेतु	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हल्का पोतजाप केन्द्र	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि= 1,01,29,690	75,99,598	26,32,498	26,32,498	26,32,498	26,32,498

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रशासक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्पन्न के नियंत्रण हेतु जल सिंकलाय, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 242 मीटर सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारन हेतु एवं ईंधन संचयन केम		20,625.5	20,625.5	20,625.5	20,625.5	20,625.5
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (81 नम) कुआरोपण हेतु	कुआरोपण (90 प्रतिशत जीवन पर) हेतु राशि	6,156	608	608	608	608
	सेसिंग हेतु राशि	64,800	6,400	6,400	6,400	6,400
	खरद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	20,660.4	12,679.3	12,679.3	12,679.3	12,679.3
कुल राशि = 2,74,383.1		1,12,871.9	40,372.8	40,372.8	40,372.8	40,372.8

21. भारत सरकार, मार्गदर्शक वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (गैस संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की संकलन हेतु खदानों की विलीनित एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की संकलन हेतु क्लस्टर में आने वाली सभी समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर नवन, नया राजपुर अदल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at nearby Village-Dumardihkala	
			Pavitra Van	12.31
			Total	12.31

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 'पवित्र वन' के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्तुन, बेल आदि) कृत्रिम रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 160 नम पीपल के लिए राशि 12.160 रुपये, बेलिंग के लिए राशि 32.700 रुपये, आम के लिए राशि 1.200 रुपये, सिंचाई तथा राख-सखाव आदि के लिए राशि 3,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,62,060 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,89,344 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञान कलाकृत कुमारडीहकला के सहभागी उपरान्त सहायक स्थान (क्षेत्रीय अंकित 446, क्षेत्रफल 1.687 हेक्टेयर में से 0.1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को सीधे क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, वितरण न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापन हेतु किये जाने संबंध राख पत्र प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लॉस्टिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने संबंध राख पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संज्ञात्मक, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करती हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. नदियों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने संबंध राख पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाये जिससे कि खदान का प्रस्तावीत अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार आवंटित अधिरोपित किया जा सके।
5. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी नवीन प्रमाण राख खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदमी पुर्नवास नीति के तहत ज़्यादातर लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राख्य पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. लोकसुनवाई में दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत राख्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिनियत 7.5 सीटर पीडी सीमा पट्टी में अधिक उपस्थित किया जाना पड़े जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाने जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अवगत एवं वेबसाइट पर डाल कर नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।
11. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन स्थितिधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की शीक्याम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिटी तथा सैनिक, इंदगाँव मयन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के तहत से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/प्रस्तावक प्राप्त होने उपरान्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के उत्पन्न दिनांक 26/09/2022 को परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह अमरा विस्तार का प्रकरण नहीं है। इस परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सब प्रभावित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने की संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अधिक संशोधन कार्य नहीं किया

गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रीयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) की गणना नहीं की गई है। माइनिंग प्लान को अनुमोदित कराने के समय क्षतिपूर्ति की राशि वालन उत्खनन का जमा किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक के विकसित खनिज विभाग द्वारा जैव उत्खनन किये जाने हेतु अर्धवर्ष राशि रुपये 1,39,000/- जमाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्धवर्ष राशि रुपये 1,39,000/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वेबसाइट दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उत्खनन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) की गणना कर जमाकरी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन जमाता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कार्यलय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के जामन क्रमांक/1385/ख. वि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2022 अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.29 हेक्टेयर है।
6. अतीशयगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. लोक सुनवाई के दौरान उत्पन्न नये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक मजबूती में इकीकृत करते हुये जमाकरी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करार जमाकरी प्रस्तुत की गई है।
9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अंशदा एवं वेशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलसम्पु परिचालन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबद्धता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उपसंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उपसंघन की वास्तविक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रस्तावित अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्बनड अधिवर्धित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उपसंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग अक्स-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रैमपोर्टर हावैस्टिंग व्यवस्था, ताज़ाब महरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवाह कार्य का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित हार्डनुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरंत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

उक्तानुसार एस.ई.ए.सी. फलोसंगढ़ ने आपन दिनांक 05/11/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को कवरट के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हीं पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.सी. फलोसंगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नशी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु जि-प्राय समिति (ओपरायंडर/प्रतिनिधि, पाप पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं विज्ञा प्रशासन या फलोसंगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित जि-प्राय समिति से अत्यधिक करारा जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सचिव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथम्य विच्छेद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) से दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कुमरबीहकला) को निताकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41,838 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की माने गयी।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झरतीसगढ़ की जापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से जारी गई पत्रित जानकारी/ दस्तावेजों/ अनिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., झरतीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की हार्दिक अपील पर्यावरणीय स्वीकृति की तत्काल अनुशंसा की जाती है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अभिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय खतकों का पहचान करने वाले प्रभावी की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉम्पन इन्वायर्समेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिडी तथा खनिकर्म, इंदगाटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (झरतीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. स्वीकृत क्षेत्रीय कर्माध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतीतिवदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कुमरबीहकला लार्ड्स स्टोन क्वारी (प्री.- बी पवन माधवा) की ग्राम-कुमरबीहकला, तहसील ब जिला-राजनादगांव के खसरा क्रमांक-23 में विद्यत चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर, क्षमता-6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की तत्काल अनुशंसा की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 13वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसती का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

✓

✓

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स बुनसडीइकला लाईम स्टोन कार्बो (प्रा.- श्री पवन बाबरा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिक, कार्यवाही की जाएगी।
2. एस.ई.ए.सी., उत्तरीसगढ़ के डायन दिनांक 02/11/2022 के माध्यम से जारी गढ़ पर्यटन जानकारी/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सफल पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.
6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA. II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.
7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसगढ़ के डायन दिनांक 15/02/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/03/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संयोजक 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण हैं। प्रतिकरण द्वारा संसम

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एच.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2023 के माध्यम से जारी हुई जानकारी के संबंध में अनाधिकारिक कार्यवाही करने हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपानुसार एच.ई.आई.ए.ए., जलतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2023 के परिप्रेक्ष्य में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/01/2024 को संवत् 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का अंतर्लोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फाइन प्रतिकेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह, मिलाई-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1687, दिनांक 13/08/2023 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. जलतीसगढ़ कलेक्टर (यनि सहाय), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1177/य. नि.03/2023, राजनांदगांव दिनांक 15/06/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पर अनुसार जुलाई 2020 से उत्पादन की वार्षिक मात्रा की माहवार जानकारी निम्नानुसार है:-

माह	उत्पादन (टन)
जुलाई 2020	निरंक
अगस्त 2020	
सितम्बर 2020	
अक्टूबर 2020	
नवम्बर 2020	
दिसम्बर 2020	
जनवरी 2021	
फरवरी 2021	
मार्च 2021	2,000
अप्रैल 2021-फरवरी 2022	निरंक
मार्च 2022	1,000

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करने हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि प्रस्तुत गणना की जाँच किये जाने हेतु एच.ई.ए. सी., जलतीसगढ़ के समक्ष प्रारण को प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

4. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचन वृक्षारोपण किये जाने एवं संवित वीथी का सतहईयात वेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाजमंडी फिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. कंट्रोल्ड अटारिफ्ट किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दायर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरादेश का प्रकरण लंबित नहीं है।
9. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संकलित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःप्राप्त कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
10. सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत लव की गई शक्ति का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की गहरी में कोशिश करके वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की गहरी एवं कोशिश इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नियम के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी रिपोर्टिंग (Reporting) कोर्टोबामस सहित जर्नलॉगिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिकूलता द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की राशियों के बीच के परिधिक्रम में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. संलीसमंड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024

समिति द्वारा नवरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि न्यायिक प्रणाली न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (निमित्त) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

112






"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1384/2023 में पंक्ति आदेश दिनांक 02/01/2024 को अख्तियार किया जाए तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समग्र-क्षेत्र पर जारी दिश-निर्देश एवं प्रस्तुत निर्णयों के अधीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा विमानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 26/06/2024 एवं 11/11/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी. पल्लीसमूह के एजेण्डा पर दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(8) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

परसुतीकरण हेतु श्री पवन कायसा, प्रोफराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अख्तियार एवं परीक्षण किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1384/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

उक्त आदेश के स्वीकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1384/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा पुनः निम्न आदेश जारी किया गया है:-

- We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.
- Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.

We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above.

उपरोक्त के संघ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करती हुई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फॉर्मूला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

EC=PI+N+R+S+LF
Where,

EC - Environmental compensation in Rs.
 PI - Pollution Index of Industrial Sector
 N - Number of days of violation took place
 R - a Factor in Rs. For EC
 S - Factor for scale of operation
 LF - Location Factor

Environment Compensation = $PI \times N \times R \times L \times S$

No of days(N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

= $(250 \times 1,000) / 18,000 = 13.88 = \text{say } 14 \text{ days}$

Environment Compensation = $80 \times 14 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 28,000/-$

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को सम्मन 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 35,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

III. सम्मन 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020 को सम्मन 322वीं बैठक में दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 35,000 को उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। तद्विधि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि—

1. पूर्व में समिति की 436वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुमति के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। उक्त बैठक में निर्दिष्ट की गई शर्तें पसमावद रहनी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्राप्ति कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 35,000 को उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्ति होने के उपरान्त सम्मन 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र भेज दिया जाए।

14. मेसर्स बलदेवपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो. - श्री मोकराम चक्रवर्ती), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2015)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43954/ 2018, दिनांक 15/10/2018 द्वारा टी.जे.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43954/ 2019, दिनांक 05/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए माईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (लीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खतरा क्रमांक 868, 872, 876(घाटी) एवं 877, कुल क्षेत्रफल-1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परखनल सन्तति- 12500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा धारण की गई कंडेनसी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीजेआर) फॉर ईआईए/ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निम्नलिखित इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ईआईए नॉटिफिकेशन 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैम्पड टीजेआर (लोक सुभाई सहित) नीचे प्रोत माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अग्रिम कार्य कार्यों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः दिनांक 08/09/2022 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है, जिसे समिति द्वारा समवाक्य होने के कारण अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई बाकि जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / परतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सद्वानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसई/एसी, जलसीमाएं के ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बीरलराम भक्तवर्षी, प्रीपस्टीटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन्स, नोएडा, उत्तरप्रदेश भी और से श्री हुसैन जयाजद्दीन प्रभावित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अभिलेखन एवं परिचालन करने का निम्न निष्पत्ति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में गुला बाथर खदान समस्त क्रमांक 889, 870, 878(फर्ट) एवं 877, कुल क्षेत्रफल - 1.295 हेक्टेयर, समता - 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाप्ता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/08/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अतिवैधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि, झारखंड), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/313/खनि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 एवं ज्ञापन क्रमांक/1811/खनि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	उत्खनन (टन)
2007-08	877	अप्रैल 2016-दिसंबर 2016	5,880
2008-09	4,511	जनवरी 2016-दिसंबर 2016	निरंक
2009-10	4,166	अक्टूबर 2016-मार्च 2017	9,680
2010-11	4,155	2017-18	12,200
2011-12	3,110	2018-19	9,000
2012-13	2,660	अप्रैल 2019-दिसंबर 2019	6,100
2013-14	3,485	अप्रैल 2019-मार्च 2020	8,100
2014-15	7,755	अप्रैल 2020-मार्च 2021	4,500
		अप्रैल 2021-मार्च 2022	4,500

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यसलाहों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनको पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020

तक पुष्टि की गई है। तबानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की काला दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की काला दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के परभाव भी उल्लंघन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेंमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेंमोरेण्डम दिनांक 01/01/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार-

- v. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - d) Damage Assessment
 - e) Remedial Plan and
 - f) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- vi. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- vii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.
- viii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि जुलाई 2020 से आज दिनांक तक किये गये उल्लंघन की वास्तविक मात्रा की माहवार जानकारी समित्त विधान से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उल्लंघन के संकेत में ग्राम पंचायत बन्देखपुर का दिनांक 28/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - भौतिकदृष्टि से जारी प्लान (स्थायी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघात्मक संघात्मकालय भौतिकी तथा खनिकर्षण तथा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1270/खनि 02/भा.प. अनुमोदन/न.क्र.06/2019(3) तथा रायपुर दिनांक 29/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1812/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव दिनांक 08/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 12.87 हेक्टेयर हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2788/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुछट, अस्पताल, स्कूल, गुल, एम्पिकाट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **गुनि एवं लीज का विवरण** - गुनि एवं लीज श्री भोजराज राजधारी के नाम पर है। लीज क्षेत्र 5 वर्ग अर्थात् दिनांक 07/05/2007 से 06/06/2012 तक थी। उत्तरदाता प्रथम नवीनीकरण 5 वर्ग अर्थात् दिनांक 07/05/2012 से 06/06/2017 तक किया गया। उत्तरदाता लीज क्षेत्र 20 वर्ग अर्थात् दिनांक 07/06/2017 से 06/06/2037 तक विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/भा.वि./3223 खैरागढ़ दिनांक 28/12/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवेदित प्लान-बलदेवपुर 800 मीटर, स्कूल ग्राम-बलदेवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 225 कि.मी. दूर स्थित है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिटकली पील्लुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जिब्रोल्सिजिल रिजर्व 6,79,875 टन, माईनेबल रिजर्व 2,29,162 टन एवं रिक्वैरेशन रिजर्व 1,40,858 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,505 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी मेकेलाइज्ड विधि से काखनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं कुल मात्रा 8,400 घनमीटर थी, जिसमें से 7,000 घनमीटर

ऊपरी मिट्टी को पूर्व से उत्खनित किया जा चुका है। वर्तमान में ऊपरी मिट्टी की अनुमानित गैर बाजा 1,400 वर्गमीटर है। इस मिट्टी की 7.5 मीटर (सोपटी ज़ोन) क्षेत्र में फैलाकर कुआरौपण के लिए उपयोग किया जाएगा। गैर की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल्ड ब्लॉस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिस्कराय किया जाता है। सर्वेक्षक प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	12,500
चतुर्थ	12,500
पंचम	12,500

12. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोरवेत के माध्यम से की जाती है। इस बाबा सेन्ट्रल पाउण्ड क्षेत्र अर्वादिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **कुआरौपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में बाजे और 7.5 मीटर की पट्टी में 721 वर्ग कुआरौपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाउण्ड्री में (721 वर्ग) कुआरौपण हेतु	कुआरौपण (90 प्रतिशत जीवम वन) हेतु राशि	54,796	5,472	5,472	5,472	5,472
	कोसिंग हेतु राशि	1,40,300	—	—	—	—
	खान हेतु राशि	5,400	540	540	540	540
	सिचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,08,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,54,444		4,66,396	2,22,012	2,22,012	2,22,012	2,22,012

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के बाजे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,505 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 330 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 457.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 522.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 602.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध विद्यमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा सीन ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। सर्व कमोकि (VLO) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार साईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन में वृक्षारोपण किया जल्द आवश्यक है।

16. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - निगिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी की नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- निगिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सन्दर्भ लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	87.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- परिपोषण स्थल के अस्तित्व जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ईआईए के Chapter-3 Description of environment में बताया गया है कि जल गुणवत्ता, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सन्दर्भ लेवल भारतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.88	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- पीसीयू की गुणवत्ता:- गरीब गहनों / मल्टीप्लेक्स हेवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पीसीयू प्रतिघंटा एवं पी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परिवर्धन उपरांत 6 पीसीयू की वृद्धि होगी। तात्पर्यार्थ कुल 54 पीसीयू

120 / 18

प्रतिघंटा एवं मी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होनी। जिससे कि उपरोक्त श्री सी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

अ. जी.एल.सी की गणना –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities control ROM	67.15	11.0	78.15	100
2.	Overall Activities uncontrolled ROM		30.0	97.15	
3.	ROM Blasting		1.1	68.25	

17. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई परतापेन सदस्य सर्विस, जलसिमा पर्यावरण संरक्षण मंडल, मया बावपुर अदल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सम्मिलित करने वाले क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय शोषण प्रारंभ करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय शोषण जारी हो चुकी है। अब कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिविवेक करने की सलाह करें। शीत ऋतु होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारों तरफ तार काटों का चेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिससे मृत्यु हो चुकी है।
- हैवी मशीनरी से धूल के टुकड़े के खेत में गले जाते हैं एवं मशीन के पूर्व किसी प्रकार से सुधना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर स्वास्थ्यिक क्षति होती है।
- खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध सम्पन्न हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं सकटा है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ

का को टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

15. प्राथमिकता के आधार पर संशोधित चारों को लोंगी को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। बांध ही धाम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए फली का छिन्नकाव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को बांधे तरफ से कटीले पानी से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
2. अनुमती कांटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लैस्मिंट किया जाएगा, ब्लैस्मिंट निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लैस्मिंट को पूर्ण हूट कर बांधकर लोंगी को सूचना दी जाएगी।
3. हमारे द्वारा नालियों का जीपीड्राव किया जाएगा तथा खदान में जो पानी संचु हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
4. स्थिति बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। धानियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।
10. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपेक्षित खदान को शामिल करते हुये कंसल्टर में कुल 14 खदानें आती हैं। अतः कंसल्टर ने शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. मझुप सार्व के दोनो तरफ (2.487 नाम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु पक्वित्त जीवन दर हेतु राशि	1,88,292	+5,772	18,772	18,772	18,772
	कंसल्ट हेतु राशि	19,73,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	18,600	1,880	1,880	1,880	1,880
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,64,492	8,64,632	8,64,632	8,64,632	8,64,632

जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
348 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (221 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,566	1,749	1,749	1,749	1,749
	फेसिंग हेतु राशि	1,94,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,749	180	180	180	180
	मिट्टाई एवं रख- रखाव हेतु राशि	1,27,611	82,611	82,611	82,611	82,611
कुल राशि = 8,61,876		3,31,707	82,540	82,540	82,540	82,540

20. भारत सरकार, पर्यावरण, रान और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (पंचा संशोधित) के प्राधान्य एवं समन्वीय एन.टी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में जाने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में जाने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा कड़ाई से निगरानी कराये जाने हेतु संघालय, संघालयालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इंदरावती भवन, नवा रामपुर बटल नगर, जिला - रामपुर (मिलीरामगढ़) के साथ से उपयुक्त कार्रवाई किया जाना उचित होगा।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार वित्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54	2%	1.08	Following activities at nearby, Village-Baldeapur	
			Pavitra Van	12.54
			Total	12.54

सीईआर के अंतर्गत 'पब्लिक वन निमोन' के तहत (आगला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) पुष्करोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नम बीघों के लिए राशि 30,400 रुपये, बीसिम के लिए राशि 77,700 रुपये, खाल के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंघाई तथा लख-लखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,77,100 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,300 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम प्रसाद बन्द्योप्यध के सहमति उपराल पञ्चायोग्य स्थान (खसत क्रमांक 167/1, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संघ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. कंसटर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही कंसटर में जाने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
23. कंसटर में जाने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं देहातर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
24. छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को योगदात के अन्तर्गत पर सोजमार में प्राप्तिमाना दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राचीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. फ्यूजिटिव डक्ट क्लोजर के नियंत्रण हेतु नियमित जल डिडकॉव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. कंट्रोल ब्लॉकिंग का कार्य एक्सप्लोडक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत रक की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गड्ढी में बीसिम करवाकर पुष्करोधन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. ऊपर से मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निकासित कर संग्रहित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, गिराव न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. सीईआर के तहत रक की गई राशि का उपयोग गान के द्वारा दी गई भूमि में बीसिम करवाकर पुष्करोधन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. रायिती का मत है कि सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, संकल्पों के

पथ-रक्षण एवं कुआरोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का जूनियरस्ट रजिस्ट्रार संस्थान गण्डन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजित प्रस्तावक की सहभागिता, सबकों के स्व-सहाय एवं कुआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कंसज जल आवश्यक है।

33. स्थानीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सार्वेड यागदेव विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा उत्तरमख सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जुलाई 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वारंवारिक गहराई की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. गविया में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शाप पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परिचोजित प्रस्तावक द्वारा खदान का सी.ए. से सर्टीफाईड टर्न ओवर की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि खदान का प्रस्तावीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार अव्यवस्था अधिनियमित किया जा सके।
6. माईन लीज क्षेत्र में बायी ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संकेत में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण आपन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा कुआरोपण अवधि में किये समुचित उपायों की क्रियान्वित कराने बाबत संघालक, संघालनस्तम्भ, नैमिकी तथा खनिजकर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, तथा रायपुर जटल नगर जिला - रायपुर (महोतीसमझ) को लेख किया जाए।

121

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा परटी में जैविक संरक्षणन किया जाना पारो जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, सीमिकी तथा खनिकर्न को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

समानुसार एलईएसी, छत्तीसगढ़ के प्रापन दिनांक 28/02/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 499वीं बैठक दिनांक 30/11/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्राप्ति प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यलय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला-बिलाई-दुर्ग के प्रापन क्रमांक 2088 दिनांक 18/10/2023 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यलय कलेक्टर (खनि सारवा), जिला-बीरगढ़-सुईबदान-गण्डई के प्रापन क्रमांक 180/संवि.02/न.क./2023 दिनांक 25/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जुलाई 2020 से संरक्षणन की कार्रवाईक भाग की माहवार जानकारी निम्नानुसार है:-

माह	उत्पादन (टन)	माह	उत्पादन (टन)
जुलाई 2020	निरंक	जुलै 2021-सितम्बर 2021	निरंक
अगस्त 2020		अक्टूबर 2021	500
सितम्बर 2020		नवम्बर 2021	700
अक्टूबर 2020		दिसम्बर 2021	निरंक
नवम्बर 2020		जनवरी 2022	300
दिसम्बर 2020		फरवरी 2022	500
जनवरी 2021	250	मार्च 2022	2,500
फरवरी 2021	1,250	जुलै 2022 से	निरंक
मार्च 2021	3,000	सितम्बर 2023	

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है-

$$EC = F \times N \times R \times S \times LF$$

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.
 PI - Pollution Index of Industrial Sector
 N - Number of days of violation took place
 R - a Factor in Rs. For EC
 S - Factor for scale of operation
 LF - Location Factor

Environment Compensation = $PI \times N \times R \times LF \times S$

No of days(N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

= $(250 \times 9,000) / 12,500 = 180 \text{ days}$

Environment Compensation = $80 \times 180 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 3,60,000/-$

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/06/2020 को संयुक्त 323वीं बैठक में Environmental Compensation के जॉकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशुद्ध रुपये 3,60,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. माननीय एन.जी.टी. डिनिषन बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 076/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "Updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/POCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सशुद्ध रुपये 3,60,000 को भारतीयगड़ पर्यावरण संस्था गण्डत में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति सशुद्ध परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरान्त माननीय एन.जी.टी. डिनिषन बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 076/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरैण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लेखन के प्रकारों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:-

Penalty provisions for violation cases and applications:

Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उक्त ऑफिस मेमोरैण्डम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्थदण्ड हेतु गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:-

I. आवेदित खदान का कुल लागत 54 लाख रुपये है, तथा जोड़ित मेमोरैण्डम के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत 54,000 रुपये होता है।

II. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) के अनुसार 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर को व्यवसाय को ऑडिट करवा जाना आवश्यक है। आवेदित खदान का कुल टर्नओवर 37 लाख रुपये है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) की ऑडिट सीमा से कम है। अतः ऑडिट करवा जाने का प्रावधान नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन अथवा के वीटन 8,000 टन उत्खनन किया गया है, प्रति टन में 140 रुपये का टर्नओवर होता बताया गया है। तथाभूत परियोजना प्रस्तावक द्वारा $8,000 \times 140 \times 0.25\% = 2,800$ रुपये की गणना प्रस्तुत की गई है।

III. इस प्रकार कुल अर्थोदम्भ प्रति रुपये 57,150/- की गणना कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त अर्थोदम्भ प्रति को एन.ई.आई.ए.ए., जलेश्वर में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. समिति ने पर्यावरणीय बहीवृत्ति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. साइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन पुनरोपलब्ध किये जाने एवं रोपित वृक्षों का सम्पाईमल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसको विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसको विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. समिति द्वारा निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, खाद्यान्न, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसको संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा; साथ ही उक्त वृक्षों की अंतर्भावता पढ़ने पर ही कटाई स्थान प्रधिकारी से अनुमति

उपरोक्त ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरण स्वीकृति भाग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय वीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारणों की शर्तें लागू हो सकती हैं, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will comply with all the statutory requirements and judgement of Hon'ble Supreme Court of India, date 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and other before commencing the mining operations." बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will comply with the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA/II(M), dated 29/10/2014 titled impact of mining activities on habitations issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas of habitation and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will comply, we inform to MoEF&CC/BEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change, ownership, mining, or lease is transferred, Project proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per the provision of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट हेतु नियेदन तयान अधिकारी के समक्ष प्रक्रियाधीन है तथा सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने ही समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. आवेदित खदान (पग-बलदेवपुर) की मिलावन इस बातसेट हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.165 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 3,20,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरान्त माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित खाते में जमा कराये जाने बाबत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को यह लेख किये जाने की अनुमति दी गई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से उक्त राशि की सूचना प्राप्त करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति दी जाती है।

3. अर्धवर्ष राशि रुपये 57,150/- को एन.ई.आई.एन. जलसमृद्धि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुमति की जाती है।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु जीवन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संभालक, संभालकालय, बीसिकी तथा खनिकर्म, हुंदावली भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (प्रतीभगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मोकराम चक्रवार्थी (बलदेवपुर साईन स्टॉप साईन) को राम-बलदेवपुर, तहसील-सौराण्ड, जिला-राजनांदगांव के खसरा-क्रमांक 889, 870, 878(पार्ट) एवं 877 में स्थित चूना पत्थर (पीप चनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.285 हेक्टेयर, लगता-12,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की शर्तों अनुमति की गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 01/02/2024 को संपन्न 164वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मसौदा अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चातम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस)-1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है-

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त माननीय उच्चातम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस)-1394/2023 दिनांक 02/01/2024 के प्रावधानों प्रकरण जक्ति रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 28/08/2024 एवं 11/11/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एन.ई.ए.सी., जलसमृद्धि के एवेकडा पर दिनांक 28/02/2025 के सत्रण से 885वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 885वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोकराम चक्रवार्थी, प्रोपराईटर सम्प्रेषित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चातम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस)-1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है-

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."



उक्त आदेश के इम्प्लीकेशन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा पुनः निम्न आदेश जारी किया गया है:-

- We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.
- Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.
- We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above.

उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,
 EC - Environmental compensation in Rs.
 PI - Pollution Index of Industrial Sector
 N - Number of days of violation took place
 R - a Factor in Rs. For EC
 S - Factor for scale of operation
 LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times N \times R \times S \times LF$$

$$\text{No of days(N)} = (250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$$

$$= (250 \times 4,500) / 12,500 = 90 = \text{say } 90 \text{ days}$$

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 90 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,80,000/-$$

- II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संलग्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 2,15,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- III. माननीय एन.जी.टी. बिसिल बिल, नई दिल्ली के अंतर्ग. क्रमांक 576/2019, दिनांक 21/10/2023 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief

Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCB&POCs and also other regulators such as SEIAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि जमाखतानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 2,15,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव की खाता में जमा कराया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि—

1. पूर्व में समिति की 425वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा को अद्यतन पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निर्दिष्ट की गई शर्तें सम्भावित रहेंगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतियोग हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी एक लेख किया जाए।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 2,15,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परिशोधित प्रस्ताविका से प्राप्त होने के उपरांत मन्त्रीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल वेब, नई दिल्ली के जो.ए. क्रमांक 875/2018, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को एक लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुविधित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को एक लेख किया जाए।

15. मैसर्स बलदेवपुर लाईन स्टीम मवारी (प्रो- श्रीमती सखी दुरहाटे), ग्राम-बलदेवपुर तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1005)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 42379, दिनांक 07/11/2019 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 72086/ 2018, दिनांक 16/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से घोषितित ग्राम पथर (गोम खानिज) खदान है। खदान ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक - 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6 एवं 875/7, कुल क्षेत्रफल-1.112 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की इजाजत दिनांक 27/06/2020 द्वारा जकाण 'बी' कोटेगी फल होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पाईट टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीजीआर) फॉर ई.आई.ए./ई.

एन.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्फार्मेशन क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेनी 1(ए) का स्टैम्बर्ड टीओआर (सीक सुगवाई सहित) नीचे जोड़ नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. भारतीय सड़क के अधिन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 28/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अधिकेश दुरहटे, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एम्ड एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से की जगमोहन चांदा उपस्थित हुए। समिति द्वारा भस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इम्पट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एम्ड कन्सल्टेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एम्ड कन्सल्टेंट द्वारा अपरिहार्यता से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु अनाभी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एम्ड एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अफ़रटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार मेसर्स पी एम्ड एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा निरीक्षण एवं जांचाव (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एम्ड एम सील्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक - 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6 एवं 875/7, कुल क्षेत्रफल - 1.112 हेक्टेयर, खदानन क्षमता - 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रक्रिया, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 की अवधि तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (शानि शाखा), जिला-राजनांदगांव के अधिन क्रमांक 280/श.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 28/02/2020 द्वारा विमत वर्षों में किये गये खदानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2012-13	870
2013-14	8,062.55
2014-15	22,740
2015-16 (दिसम्बर 2015)	21,243
दिनांक 01/01/2016-14/11/2016	निरंक
2016-17 (दिनांक 15/11/2016-31/03/2017)	10,820
2017-18	24,980
2018-19	24,010
2019-20 (दिसम्बर 2019)	8,730

४. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरान्त भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आरएम दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनको पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार-

"BA. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे समिति सन्तुष्ट हुई।

५. इस संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ज्ञान संघापत का अनापति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ज्ञान संघापत बल्लेशपुर का दिनांक 31/12/2011 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 4. उत्खनन योजना - गौडिकरईक क्वारी प्लान (क्वारी वन इन्वार्मेटेन्ट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघातक (स.प्र.) संघालनालय, मौनिकी तथा खनिकर्म, नवा राधपुर अटल नगर के आपन ज. 4508/खनि 02/मापन.

अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नया राजपुर दिनांक 24/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (सबनि साखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2784/स.ति. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें क्षेत्रफल 7.11 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (सबनि साखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2784/स.ति. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराफट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एबीकॉट, बांध एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज बीमाही राखी दुहाई के नाम पर है। लीज बीड 10 वर्षों अवधि 18/03/2012 से 18/03/2022 तक की अवधि हेतु थी। सम्भवतः लीज 20 वर्षों अवधि दिनांक 18/03/2022 से 18/03/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, बीरागढ़ वनमण्डल बीरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/स.ति./100 बीरागढ़, दिनांक 11/01/2012 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आकादी घाट-बन्देगुर 200 मीटर, स्कूल घाट-बन्देगुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल बीरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 22 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी. एवं अमनर नदी 6 कि.मी. दूर है।
11. परिसिञ्चनीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रभुत्व नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्यूटेड एरिया, परिसिञ्चनीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रत्येकित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 8,87,200 टन, साईनेबल रिजर्व 2,83,612 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,29,918 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी बीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,063 वर्गमीटर है। ज्ञापन क्वार्टर सेमी मेकनसाईम्ड मिट्टि से जलधनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर की तथा कुल मात्रा 12,968 घनमीटर थी, जिसमें गुरु से ही उपखनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया

मया है। जैक हेमर वी डिलिन एवं कंट्रोल् ब्यारेस्टिंग किया जाता है। खदान में ताम्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का नियंत्रण किया जाता है। पर्यावरण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,000
द्वितीय	25,000
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	25,000

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति क्षेत्रीय के माध्यम से की जाएगी। सू-जल की उपयोगिता हेतु सैन्ट्रल साउथवर्क वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **पुनारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 768 नग पुनारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के साउथवर्क में (768 नग) पुनारोपण हेतु	पुनारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	99,216	5,852	5,852	5,852	5,852
	खेतिंग हेतु राशि	96,000	-	-	-	-
	साव हेतु राशि	5,820	600	600	600	600
	सिंचाई एवं रक्ष-रखाव हेतु राशि	2,48,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,99,544		4,09,036	2,22,452	2,22,452	2,22,452	2,22,452

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,083 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 804.5 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 384 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 862.5 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका सम्बन्ध अनुमोदित माइनिंग्स माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रस्तावित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त का उत्तराधान है। आतः परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 9(a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक हार्न के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन में प्लांटेशन किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु अर्द्धे मुख्यतः संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 30 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मध्य 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मानक, 11 स्थानों पर जल सार मध्य 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सन्दर्भ लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	25.32	44.77	80
PM _{2.5}	47.22	67.15	100
SO ₂	7.24	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में बताया गया हैजल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सन्दर्भ लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. पर्यावरणीय श्रुति स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.88	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों की समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। सतपुड़ा कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08 होगी। विस्तार के उपरान्त सी-मोटोर्सिक्ल / प्रोडक्ट्स के परिष्कृत हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 1200 बजे स्थान - राम भंडारवा मयन कलकमा, राम-कलकमा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य अधिक, जलतीरागढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नारायणपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं बीच खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामुहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिरिक्त करने की गुंथा करें। तीव्र समाप्ति होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं जो उस खदान के चारों तरफ तार काटे जा चुका है। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी कृपु हो चुकी है।
2. डैमी स्थापित करने के लिए के बने हैं जो खदानों के पूर्व स्थापित करने की गुंथा नहीं दी जाती है, जिससे खदान में तारों का नुकसान हो जाता है।
3. खदान को खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खदान में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बंध हैं। खदान होने से बंध का पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ है वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
4. प्रभावितता के आधार पर संबंधित राज्यों के लोगों को ही चेतावनी दिया जाना चाहिए। राज्य ही काम के निष्कर्षों के लिए स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का मिश्रण किया जाएगा। खदान को चारों ओर तथा कच्ची सड़क की किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारों तरफ से घाटिले जालों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में नो गिरे।
2. अनुभवी पर्यवेक्षक की निगरानी में ही कंट्रोल स्थापित किया जाएगा, स्थापित निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
3. हमारे द्वारा नालियों का जीपीएस किया जाएगा तथा खदान में जो पानी बना हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

138

iv. विभिन्न पेशेजगती की योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उम्मीदों के लिए समय-समय पर स्वाभाविक विभिन्न जगता जायगा।

20. कलस्टर ईटु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करने वाले कुल 14 खदानें जाती हैं। अतः कलस्टर ने शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान की तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (2,487 नम)	सूक्ष्मरोपण (90 इतिहास जीवन दर) हेतु राशि	1,88,202	18,772	18,772	18,772	18,772
	फोसिल हेतु राशि	18,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,800	1,860	1,860	1,860	1,860
सूक्ष्मरोपण हेतु	सिपाई एवं रख-रखान हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,89,620		35,54,482	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कौशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फ़ंड में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
207 मीटर गार्ड के दोनों तरफ (100 वर्ग फुटारोपण हेतु	पुनारोपण (80 प्रतिशत पौकन दर) हेतु राशि	15,548	1,520	1,520	1,520	1,520
	फर्निचर हेतु राशि	1,58,400	—	—	—	—
	खात हेतु राशि	1,500	150	150	150	150
	सिंचाई एवं रस्ते- स्वच्छ हेतु राशि	1,14,220	69,220	69,220	69,220	69,220
कुल राशि = 5,72,728		2,89,168	70,890	70,890	70,890	70,890

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईएए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.पी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु तीव्रता इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है :

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी सदस्यों द्वारा खाने की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु सदस्यों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता अनिवार्य किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कंसटर में आने वाले खदानों की जाखानन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कंसटर में आने वाली होष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, कंसटर हेतु कॉर्पोरेट इन्वायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कन्स्ट्रैड से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संयोजक, संचालनालय, भूमिहीन तथा सैनिकर्न, इदावती भवन, नया राधपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (झारखण्ड) के स्तर से सम्बुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मति विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby Village-Baldeopur	
			Positra Van	12.20
			Nirman	
			Total	12.20

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (खोखरा, बड़ पीपल, नीम, आम, जर्बुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 मग बीघों के लिए राशि 30,000 रुपये, बेसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,500 रुपये, सिंचाई तथा रोक-रूखाय आदि के लिए राशि 2,38,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,27,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,53,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घन पंचायत बल्देवपुर के समीप उपरान्त जवाबोन्द स्थान (खसरा क्रमांक 767/1, क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर) के संघ में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संकल्प में यह लक्ष्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें डोना बताया गया है जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें कंसटर में आती है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी सविन विभाग से प्रमाणित करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर बंटावित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का अन्वेषण उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने वास्तु सम्बन्ध पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सम्बन्ध पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में स्थिति विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी स्थिति विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. जलरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों से उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भरण कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त-समय पर जल संवर्धित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्योंवाही की विस्तृत जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षादरण इसी समन्वय में करते हुए बीपी में संस्थापक (Secretary) एवं पीई के नाम का उत्तर लिखा किया जाकर फोटोसाफ्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. बलस्टिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जलैव उत्खनन किया जाना पाते जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विशुद्ध निष्पत्तानुसार आवश्यक दम्पनार्थक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संयोजक, संयोजनालय, भीमिकी तथा स्थिति एवं पर्यावरण को क्षति पहुचाने हेतु प्रतिसंगत पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अदालत नगर को निष्पत्तानुसार आवश्यक दम्पनार्थक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. कलस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संयोजक, संयोजनालय, भीमिकी तथा स्थिति एवं पर्यावरण, इंदौरवासी भवन, नया रायपुर अदालत नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के शहर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
10. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान को खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खेती में पानी नहीं पहुँच पाता। साथ में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं सकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को

समाप्त करने का काम किया जाए।" यह विचारणीय अवधि गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक क्लस्टर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः जल संसाधन विभाग को जल संसाधन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाये।

उपरोक्त वर्णित जानकारी/प्रस्तावक प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(सं) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्ही पूर्व में निर्देशित जानकारी/प्रस्तावक एस.ई.आई.ए.ए., जलसिमागढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई—

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं मृदासंशोधन कार्य के कोऑर्डिनेटिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का जलसिमागढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह के प्रदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं मृदासंशोधन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित करता जाना आवश्यक है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक धरोहर विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंसाधन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 जीफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-बन्देबगुरी) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.171 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परीधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जलसिमागढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 के माध्यम से जारी गई वर्णित जानकारी/प्रस्तावक/अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., जलसिमागढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहाय अनुमति की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राधान्यों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन परिसिद्धियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इम्प्याउमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, नीमाती तथा खनिक, इटावली भवन, नया रायपुर अटल भवन, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बन्देयपुर लाईम स्टोन कार्बी (प्रो.- बीमली राखी टुराहटे) को धाम-बन्देयपुर, छत्तीस-खैरागढ़, जिला-रायनांदगांव के खनन क्रमिक - 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6 एवं 875/7 में स्थित चुना पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.112 हेक्टेयर, समस्त-25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुमति दी गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स बन्देयपुर लाईम स्टोन कार्बी (प्रो.- बीमली राखी टुराहटे) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जाएगी।
2. एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 18/08/2022 के आदेश से जारी गई बांझित जानकारी/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने को उपरांत एवं निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावकों को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining &

Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. 2-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.
7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

उक्तानुसार एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/03/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से भेजी गई जानकारी को संघ में समाधानात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/08/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/01/2024 को संपन्न 163वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी/अवकाश/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-बैरागढ़-छुईखदान-मण्डई के ज्ञापन क्रमांक/179/ख.लि.02/2023, दिनांक 25/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-20	18,930
अप्रैल, 2020	निराक
मई, 2020	
जून, 2020	
	2,100

जुलाई, 2020 से दिसम्बर, 2020	निरंक
जनवरी, 2021	2,500
फरवरी, 2021	2,000
मार्च, 2021	9,500
2021-22	18,400
2022-23	निरंक
2023-24	

प्रतिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकारणों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक बढ़ी की गई है। तदनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। प्रतिकरण द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पर्याप्त भी परखन का कार्य किया गया है। अतः यह परखन की सेवा के अंतर्गत आता है।

- कार्यालय कलेक्टर (आनि साखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 1685/आ.नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 29/08/2022 अनुसार आवेदित अर्दान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.058 हेक्टेयर है।
- ऊपरी मिट्टी को सीज होत्र के बाहर संभारित कर संभारित रखे जाने हेतु, मिट्टी पर दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपलब्ध पुनःभरण कार्य में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का मानन प्रमाणित प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतीक्षित पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग के आपन क्रमांक 2070, दिनांक 18/10/2023 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित सार्वजनिक सुनौपण इसी मानक में करते हुए चौकी में संख्यांकन (Numbering) एवं पैसे के नाम का चलेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- ब्लान्टिंग का कार्य बी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- कलेक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित कराया हुये जमानती प्रस्तुत की गई है। साथ ही कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुदने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खोले में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र बांध 2 बांध हैं। खदान होने से बांध का पानी नहीं सकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। जहाँ नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर के संवद में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में इसी कंसल्टर ने अवस्थित अन्य खदान श्री धरेश कुमार में जो कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण हेतु भी वही कार्यवाही की जाएगी।
9. साईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर संपन्न वृक्षारोपण किये जाने एवं संवित पौधों का संरक्षार्थक वेड (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नान्त कंसलेशन नियम (Minerals Consolation Rules) के तहत बाजपट्टी विल्लस द्वारा सीमाचन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलमय परियोजना संचालन की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलचन का प्रकरण लंबित नहीं है।
13. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक मज्जा में प्रदर्शित करते हुये जलकाली प्रस्तुत की गई है। साथ ही कंसल्टर ने आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुसंध कराकर जलकाली प्रस्तुत की गई है।
14. कंसल्टर ने आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को असावा एवं देशांतर सहित मज्जा में प्रदर्शित हुये पुनःसंश्लेष कर प्रस्तुत किया गया है।
15. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत तब की गई खोले का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
16. लीज क्षेत्र की सीमा में खोले और 7.5 मीटर की पट्टी में कॉन्सिग करताकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में खोले और 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई. आर. के तहत निर्धारित कार्य की जानकारी जियोलॉजी (Geology) फोटोग्राफ्स सहित कार्यावधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. भविष्य में पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्र किये बिना वृक्षारोपण नहीं करने एवं वृक्षारोपण असावा से अधिक वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने बाबत संध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

146

✓

18. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. पर्यावरणीय प्रभाव परामर्श के विवरण हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. स्थानीय लोगों को एक निकटतम आवासीय क्षेत्र के निवासियों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण तथा संवर्धन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 25 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही वृक्ष वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सहित प्रतिकारों से अनुमति उपलब्ध की किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय राष्ट्रीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय को अंगीन है, सामान्य कारण की शर्तों को लागू हो सकती है, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "I will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations." बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "I will comply with the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. 2-11013/57/2014-IA, II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "I'll inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or if lease will be transferred. Also I ensure the application for transfer of Environmental Clearance duly on time as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

अधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

प्रतिकरण द्वारा विधाय विनर्वा उपर्युक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 के पालना के प्रकरण लंबित रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 11/11/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एचईएसी, झुलीबनड के एडमिटर एवं दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 585वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अधिलेख दुरहारे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:-

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

उक्त आदेश के स्पर्डीकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/02/2024 द्वारा पुनः निम्न आदेश जारी किया गया है:-

- We clarify that our orders dated 02nd January, 2024 would not come in the way of the competent authorities in considering the proposals for modifications/alterations in the Environmental Clearances if area of such projects had any valid environmental clearances prior to 07th July, 2021.
- Needless to state that such applications for modification/alteration would be considered by the competent authorities strictly in accordance with law as it existed prior to 07th July, 2021.
- We further clarify that our order should not be construed as having stayed any proceedings before any High Courts touching the subject matter of the Office Memoranda, referred to above.

उपरोक्त की संख्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्यवाही:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC = P \times N \times R \times S \times U$$

Where,
 EC - Environmental compensation in Rs.
 PI - Pollution Index of Industrial Sector
 N - Number of days of violation took place
 R - a Factor in Rs. For EC
 S - Factor for scale of operation
 LF - Location Factor

Environment Compensation = $PI \times N \times R \times LF \times S$

No of days (N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

= $(250 \times 18,400) / 25,000 = 184 = \text{say } 184 \text{ days}$

Environment Compensation = $80 \times 184 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 3,68,000/-$

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/06/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 4,30,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 4,30,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पूर्व में समिति की 438वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय रबीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निर्दिष्ट की गई राशि यथावत् रहेगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय रबीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।
3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 4,30,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरान्त माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सेव, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के

छाता में जमा करावे जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

श्री विक्रम सिंह लाकड़ा	अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	
डॉ. धुलासिंग कलाइवेलवन	सदस्य एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	
डॉ. कोसियाधु राघवन नायर हरि	सदस्य एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	
श्री मिलेश्वर प्रसाद साहू	सदस्य एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	
श्री सुनील कुमार शर्मा	सदस्य एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	
श्री देवेन्द्र सिंह भागद्वारा	सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.-2 छत्तीसगढ़	

मैसर्स फरहदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- बी अरुण कुमार नशीने)
फो खसरा क्रमांक 599 एवं 600, कुल लीज क्षेत्र 1.715 हेक्टेयर, ग्राम-फरहदा,
छहलील-मिमणा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा में युना फलर (पीन खनिज) उत्खनन
30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.715 हेक्टेयर अथवा फसलीसमृद्ध शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (टोपी में दी जा चुकी हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सामान्य पत्थर का अधिकतम उत्खनन 30,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करतार पक्के मुन्ढे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षर एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. गलस्टन हेतु प्रस्तुत बीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिरक्षण सड़कों एवं खदान से परिरक्षण सड़क तक पहुँच राहों के संभरण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. मासिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की दक्षिण एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरीट भी व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल भी गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिचालन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा भारतीयसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने की उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोइंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह माना, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपस्थित हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रत्येकरी से अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. मू-जल की उपयोग हेतु केंद्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किमी / घंटा / पाईट मोर्स से पाईटकुलेट गेटव उत्सर्जन की मात्रा 88 मिमीघाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, स्क्रीन, ट्रांसपर पाइपट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम को साथ साथ सक्ता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वार्टीट डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहेंच मार्ग, रैम्प, सड़क क्षेत्र, बराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन किन्तुओं डस्ट कंट्रोलिंग कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संवाहन /स्थान सुनिश्चित किया जाए। विश्व बैंकिंग नीति का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. छाानी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 की तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बायीं तरफ फॉटिंग का कार्य किये जाने की उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. नीज क्षेत्र के बायीं तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट या डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षादीपन किया जाए। ऐसा करना नहीं पाई जाने पर पर्यावरणीय क्षीयति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टोप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी जीवसंरक्षण को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को नीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संकलित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुल्लयोग, विपणन एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान की पुनःप्राप्त के लिए किया जाए।

17. जोवरबर्डेन एवं अनुपयोगी/बिहीन ज्योम्य खनिज (पेस्ट रीक) को पुराक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार की भण्डारण स्थलों को उपरि प्रकार से सुरक्षित रखे जाते ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 25 डिग्री से अधिक न हो। जोवरबर्डेन डम्प का ढाला रोकने हेतु बैल्टरैक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो जोवरबर्डेन एवं अन्य अनुपयोगी/बिहीन ज्योम्य खनिज (पेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अच्छा चिन्हित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न शिफ्ट लीड बोर्ड के आस-पास के सड़ोही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / चार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्टर्न वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at Govt. Primary school, Village- Farhada	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08-मूल में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ज्ञान प्रदायता से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्थैर्यता निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (कटहल, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम पेड़ों के लिए राशि 5,000 रुपये, चाय के लिए राशि 1,000 रुपये, शिमाई तथा रक्त-स्राव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 92,000 रुपये हेतु परटकदार राय का निक्षण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।

24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीक्षमाद संरक्षण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति में सरयापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपकें द्वारा कवाये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (बायीं तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, जोवरबर्डेन कमर आदि में स्थानीय प्रजाति के 850 नम वृक्षों का समय वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इतिा नदरी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्रापिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, दीपल, नीम, करंज, सीसु आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 350 नम वीथों का रोपण (कुल 1,200 नम वीथें) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या काटेदार तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले वीथों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले वीथों में संख्यांकन (Numbering) एवं वीथों के नाम का चलेख करने हूँ जिमोटैग (Geotag) फोटोग्राफ तहिस जानकारी वालन प्रतियेदन के साथ कागजालन में प्रस्तुत करे।
29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वीथों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 30 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव जानामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करतो हूँ मृत वीथों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपकें द्वारा रोपित वीथों के वृक्षारोपण को सकल बचना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफर अवैतारिक सिग्नल में समर्थित करतो हूँ प्रतीक्षमाद पदाधिकरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीक्षमाद को प्रेषित किया जाए।
31. जीरेवीजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्ड एम सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करमा नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परीवीजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले धमिकों को

इसपर लागू/काबू अंशों में प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिकसकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी किया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर अवस्थित इलाका में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुँचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन प्रतीसंगद ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कोयला अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भवित्तों के अत्यास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अत्यासीय व्यवस्था अत्यासीय संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाना जा सके।
37. भवित्तों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विधिकसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. भवित्तों का समय-समय पर आयुर्वेदानुसार हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्भितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्भितित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्भितित को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्खनन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संतोष/निश्चित करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निश्चित के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के अक्षा-प्राय व्यवस्था रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रतीसंगद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंगद एवं एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर
अदल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं
आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. जमीनसंग्रह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत
सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जमीनसंग्रह पर्यावरण संरक्षण
मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली
मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट
शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा
सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक जमीनसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की
गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1986,
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत चलाई गयी नियमों, परिसंकटमय
और अन्य अपशिष्ट (प्रकाश एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा
अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. जमीनसंग्रह में प्रस्तुत विवरण में कोई
भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. जमीनसंग्रह को पुनः
नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, जबकि एस.ई.आई.ए.ए. जमीनसंग्रह इस पर
विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्भव हो सके।
विवरण में कोई भी विस्तार अथवा कन्वेंशन एस.ई.आई.ए.ए. जमीनसंग्रह / पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया
जाए।

48. जमीनसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय
कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30
दिन की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय
अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.आई.सी.

मैसर्स विनकापार लाईन स्टोन क्वारी (जी- बी रामचरण सिरदार)

को खसरा क्रमांक 1117, 1122/1, 1122/2, 1123, 1124 एवं 1125, कुल लीज क्षेत्र 0.57 हेक्टेयर, ग्राम-विनकापार, तहसील-झींझी लोहावा, जिला-बालोद में कुल पत्थर (गीम खनिज) उत्खनन 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.57 हेक्टेयर अथवा झत्तीरागड़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साफ़तण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 5,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पथक मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा शरीरित) के प्रावधानों के तहत होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज शारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आकृति एवं रेखांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत मौलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिग्रहण सड़कों एवं खदान से परिग्रहण सड़क तथा पशुम गली के संभारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिकारन प्राप्त कर औद्योगिक रिपोर्ट में समर्पित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।
6. मौलिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा सड़किय प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुस्त करवा है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (नद्वि कोई भी) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रतिगा में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पशुआतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की मुख्यता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन, नजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक ज्योता प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा चारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपस्थिति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाम प्राधिकारी से अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेट / पाइप जोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिजीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कश्कर, खनि, टूटाकर पाइपस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कस्ट एक्स्टेंडेशन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्टाटा की उत्पन्न पार्टिकुलेट्स कस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहेंच मार्ग, रैप, सड़क क्षेत्र, बर्राई एवं अन्य कस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं कस्ट कंट्रोल्ड कम संचालन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर प्रस्तावित सड़क संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विषय डेकिन वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. खानों, खान एवं अन्य प्रक्रिया के उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, इन और जल वायु परिवर्तन नजालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बोरिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / संचालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृतारीपण किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से रिलीज की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु ज्योता माहरी ओवरबर्न को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संचालित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विकृत एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।

17. जोपरबर्डेन एवं अनुपयोगी/बिज़ी अव्यवस्थित (विश्ट रोक) को पुनः से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार की भण्डारण स्थलों को तयित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। जोपरबर्डेन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीक़े से क़ायारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो जोपरबर्डेन एवं अन्य अनुपयोगी/बिज़ी अव्यवस्थित (विश्ट रोक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फ़िलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग तथ्यता वरिष्ठ वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न शिल्ट जोड़ क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / बास्तेमक ड़ेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्टई वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को ताला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Pinkapur	
			Plantation in Mukdham	3.19
			Total	3.19

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 मज में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के तयरीक़ा प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित धाम पंचायत से परतपूर्ण प्रशिषेदन प्राप्त कर अव्यवस्थित रिपोर्ट में समाहित करने हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करने आगक उत्तरदाईलता होना। क़ायारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निवृत्त की जाकेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "मुक्तिधाम के पास चारों ओर" के तहत क़ायारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग बीघों के लिए राशि 38,000 रुपये, कंसिग के लिए राशि 50,000 रुपये, चार एवं सिंभाई के लिए राशि 50,000 रुपये तथा रस-रसाल आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार धाम वर्ष में कुल राशि 1,62,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,57,800 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा धाम पंचायत विमक़वार सहनति उपरांत

क्यायोग्य स्थान (खतरा क्रमांक क्रमांक 187, क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर) के संकाय में प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण करें।

24. सीईआर, एवं पुनारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं मर्यादण हेतु त्रि-क्षीय समिति (ओवरसैटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचन पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं पुनारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-क्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण एल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जावे, तब उन्हें खदान/खोद/बट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर, के तहत आपकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (यानी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओपनचार्ज डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 नम नुमा का सघन पुनारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित बट्टी का विकास-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर तीव्र क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्पूर, शीशु आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 114 नम पीपों का रोपण (कुल 814 नम पीपों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हील क्षेत्र में उपयुक्तानुसार पुनारोपण किया जाए। उपरोक्त पुनारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं बीच 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। पुनारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का चस्मांकन करते हुये गिघोटिंग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी ग्राहक प्रतिवेदन के साथ कार्यसूच में प्रस्तुत करें।
29. माइनिंग जीव क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन पुनारोपण किये जाने एवं रोपित पीपों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पुनारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपकी द्वारा रोपित पीपों के पुनारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये पुनारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) तथै एवं फोटोग्राफस अनिवार्यतः रिपोर्ट में समाहित करने हुये जलसिंचन पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एसईआईएए, जलसिंचन को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A)

से अधिक नहीं होना चाहिए। सीढ़ ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विशिक्तरीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असरूप प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। मू-जल स्तर को शक्ति न पहुँचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। ग्राईन एक्ट 1862 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केमिकल श्रमिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था जम्हायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विद्यमानताय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपेशनल हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार प्राविक्त योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की खाना एवं अपशिष्ट खनिजित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिकल्पन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्जाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा कोष, राजस्व एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यरत में परिकल्पित अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्तरार्जन / निरस्तारण के माध्यम से और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एल.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parvash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की वर्ष वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, भिलाई-दुर्ग, एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय

V

६

कायदा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिशुद्धकृत और अन्य अधिनियम (प्रकाश एवं सीमांतार संशोधन) नियम, 2010 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की प्रासंगिकता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वास्तु निर्णय ले सके। छद्मता में कोई भी विवरण अथवा सम्मयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अनील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रानीजरीद साईन स्टोन स्टोरी साईन (प्री- श्रीमती जानकी शर्मा)

को खासतः क्रमांक 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल लीज क्षेत्र 1.219 हेक्टेयर, ग्राम-रानीजरीद, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में चूना पत्थर (ग्रेन खनिज) उत्खनन - 28,425 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.219 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ सरकार, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 28,425 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करावन प्रपत्र मुम्हरे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संजालन द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज माफा का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकांक्षित एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्ताव कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कुआरोलिंग एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संयोजन का कार्य 8 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, वहाँ स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, रायपुर, एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. सामन्तेश एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पाटदेवार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धौंसू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रासित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कुआरोलिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धौंसू दूषित जल के

उपचार के लिए जैविक टैंक एवं सोकमेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों से किसी भी परिस्थिति में निश्चित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कचरे/कचरा का जल अपव्यस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपर्युक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा भारतीय मानक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. सभी पट्टा धातुक खान संचालन बंद करने की उपरान्त (allied activities सम्बंधित operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to other mining activities) हुए हैं, उनकी री-वाइनिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रविष्टाई से अनुमोदित साईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. नू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विमली / वीट / पाईट स्रोत से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघास / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फगुजेटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, गराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम प्रेशरन सिस्टम एवं जल सिस्तेम की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न ड्रेजिंग गील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. पाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बाहरी तर्फ बॉयिंग का कार्य किये जाने के उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. जीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी वनोपवन को विचार (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।






16. ऊपर दी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का पुरुषपोषण, विज्ञय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभरण के लिए किया जाए।
17. जीवरमडेन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से दूर से विनष्टीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रभाव से सुरक्षित रखा जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। जीवरमडेन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो जीवरमडेन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन की परभाव से दूर रखी में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिश्रित सीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / बास्लेमक ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कण्डेन वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कॉर्पोरेट इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 4,08,734 रुपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नतुल्य प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.32	2%	0.72	Following activities at Nearby, Mukdham Village- Ranijaroud	
			Plantation of Cremation ground	2.61
			Total	2.61

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपराल संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया

जाए। सी.ई.आर. कार्य की समाप्ति सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत घास-सनीजरीड के बुसिक्लम में वृक्षारोपण (नीम्, आम, जामुन, कर्ज, आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रुपये, बेंसिंग के लिए राशि 60,250 रुपये, छाव के लिए राशि 1,000 रुपये, सिचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,61,000 रुपये हेतु घटकवार कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घास संकलित सनीजरीड के सतहों पर पर्याप्त वन्यजीव स्थानों के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सदस्यों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, घास संकलित के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उल्हासगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सदस्यों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-पक्षीय समिति से संस्थापित कराया जाए।
26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाएं, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आमों के द्वारा कटाये गये काष्ठों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. उपवनन हेतु विभिन्न क्षेत्र (घाटी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होत क्षेत्र, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 960 नग पौधों का समान वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास जेन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. जलनिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, कर्ज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सिरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 240 नग पौधों का रोपण (कुल 1,200 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कस्टोडियन तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित घास संकलित द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं बीच 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
29. संशोधित किये जाने वाले पौधों में संख्याकन (Inventory) एवं पौधों के नाम का चल्तेख कल्ले हुए जिब्रोटेन (Gecotag) कोटेशनपत्र सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सल्वाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

का एक-स्थान आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करने के लिए मृत पीढ़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। अल्पकालीन द्वारा चयित पीढ़ी के पुनर्स्थापन को प्रकृत बनाने आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किये गये पुनर्स्थापन की मुश्किल हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थोरेक्टिक सिस्टम में समाहित करते हुए अतीतगत पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीतगत को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आवश्यकता के अनुसार कार्य करना, कौमन इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल गेनेरेशन प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पायी जाने पर पर्यावरणीय संरक्षित को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निरोधन हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर परावर्तन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। क्षेत्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में कम करने वाले ध्वनि को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर सिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग स्टोन) को फड़ने की रोकने हेतु पर्याप्त एवं सभल व्यवस्था किया जाए। ग्रेट डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण निरोधन व्यवस्था अंतर्गत डिजिटिंग किया जाए जिससे सड़क का पर्यावरण नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंशुभ प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं का संरक्षित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई स्थिति का उत्खनन अतीतगत ग्रीन स्थिति नियम 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। गार्डन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कंठिधन अधिक कर्मों पर लगाये जाते हैं तो ऐसे धर्मियों के आवास एवं सुस्था हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. धर्मियों के लिए स्थल स्थल पर स्वच्छ पेयजल सिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. धर्मियों का समय-समय पर आवश्यकताओं हेतु संचालित करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, स्थिति की भाषा एवं अनिष्ट समिति है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संपत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा सेंट्रल, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिचर्चित अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा तत्सर्जन / निरस्त्य के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के अस्त-पास्त व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parishah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाहों की एवं वार्षिक रिपोर्टें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं जांचदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वेबसाइटों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रकट एवं शीतपाय संभालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।



48. प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर राई की उपयुक्तता अथवा नहीं होने निर्दिष्ट करने बाधत निर्णय ले सके। सदन में कोई भी विस्तार अथवा चर्चा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनसे संबंधित कार्यालय, जिला-स्तर पर उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रानीजरौद लाईन स्टील क्वाट्री माइनिंग (प्रे- बी विवेक अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 88, कुल लीज क्षेत्र 2,868 हेक्टेयर, ग्राम-रानीजरौद, तहसील-सिमगा, जिला-बलीदाबाजार-माटापारा में घुना फथर (ग्रीन खनिज) (सी.ई.आई.ए.ए., जिला-बलीदाबाजार-माटापारा द्वारा तीन खदानों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समायोजन के तहत) उत्खनन - 50,913.50 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2,868 हेक्टेयर अथवा छातीसमद शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु माना होगा। इसी प्रकार खदान से घुना फथर का अधिकतम उत्खनन 50,913.50 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करके पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का सीमांकन अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. फसल हेतु प्रस्तुत बीमन इन्सुरेन्समेंट मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिरक्षण सड़कें एवं खदान से परिघटन सबक तक पहुंच मार्गों के संभालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. फसल हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर बीमिटरिंग कार्य किया गया है, उन्हां स्थलों पर प्रतिमाह बीमिटरिंग कार्य (जल, खत तथा मिट्टी) किया जाए। बीमिटरिंग रिपोर्ट छातीसमद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छातीसमद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छातीसमद एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को आर्वाएक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार परदेदाह द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न खत एवं परतलू सूचित खत (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। परंतु दूषित जल के उपयोग के लिए सैफ्टिक टैंक एवं सौंझपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवागच्छ, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा समीक्षनक्ष पर्यावरण संरक्षण संकलन द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
9. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassings) की जाएगी एवं गूनि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियाँ, जीवी आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संश्लेष प्रधिकारी से अनुमोदित माईन सतह पर प्रत्येक एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. न्यू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किन्नी / वेट / पॉइंट सोर्स से पॉइंटसुईट नेटवर्क उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के निम्न स्तरों से उत्पन्न फ्लूइडिज बस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, बन्दे एवं अन्य बस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं बस्ट कंटेनमेंट कम सफ़ाई सिस्टम एवं जल फ़िड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विष्क ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. कठनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन नवागच्छ, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ घेराव का कार्य किये जाने के उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गड्ढे 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / सम्भारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में पुनरोपयोग किया जाए। ऐसा करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय सौंदर्य किन्हीं भी संभव तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।









15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान इटछई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः वहाल हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुुरुपयोग, विषम एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिघी अवशेष खनिज (डिस्ट रॉक) को पृथक् से पूर्व से विच्छेदित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का अरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृत्रवीभन किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अना अनुपयोगी/बिघी अवशेष खनिज (डिस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विच्छेद सीज क्षेत्र के आस-पास के सड़ती जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / ग्राउन्ड्रेन ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कस्टर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कोमन इन्स्टाबोलीटेड केमेजनीट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 7,05,449 रुपये के संकथ में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.5	2%	1.01	Following activities at Nearby, Govt. Primary school at, Village- Khapri	
			Plantation	3.12
			Total	3.12

23. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपर्युक्त संशोधित रकम के प्राप्ति

की कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आर्वायर्स रिपोर्ट में समाहित किये हुये प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की सम्पलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

24. सीईआर के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (लीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नव पीढी के लिए राशि 7,500 रुपये, फॉरम के लिए राशि 1,28,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, शिवाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,71,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,41,800 रुपये हेतु घटकवार तथा का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के कोऑर्डिनेट एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
26. जब भी निर्देशाव दल/अधिकारी निर्देशाव हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निर्देशाव के साथ-साथ सीईआर के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निर्देशाव भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लील रोड, ओपनब्रॉन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,758 नव वृक्षों का समय वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नव प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीपस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 574 नव पीढी का रोपण (कुल 2,328 नव पीढी) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेनर तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरीक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं रोप 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीढी का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
29. रोपित किये जाने वाले पीढी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीढे के नाम का उल्लेख करते हुये जिपेटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन में साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीढी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीढी को प्रतिस्थापित

(Mortality replacement) किया जाए। आपसे द्वारा संविद पीसी के वृद्धापीपन की संकल अरुनत आपकी पूरु जिम्मेदारी होगी।

31. किये कये वृद्धापीपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सरी एव फोटोग्राफर अर्थवार्थिक रिपोर्ट में समविद कनेत हुये छतरीसगद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एव एस.ई.आई.ए.ए. छतरीसगद को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिमविद क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आई.आर. के सहज प्रस्तावित कार्य एव लोक सुनवाई में दिये गये आग्रहजन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं भये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक जगह किया जाए। ध्वनि का स्तर जाखनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एव रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनियों को इत्यस्त/मक आदि प्रदान किए जाए एव समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एव आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. अट्रोत स्तरीरिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए परधर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रीसा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एव सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग जगहों का प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे अरुत का परसर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंतुलन प्रथम में की जाएगी एव उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी तबस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघटियों एव जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंघटियों एव जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आभार दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीधे ध्वनि का उत्खनन छतरीसगद गीन खनिज नियम, 2010 के प्रवधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एव पर्यावरणीय प्रथम योजना के अनुसार किया जाए। मईन एक्ट 1952 के प्रवधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कोमिल खनिक कार्य पर सगाये जाते हैं तो ऐसे ध्वनियों के आगत एव सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आगत्रीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. ध्वनियों के लिए खनन स्थल पर सख्त पैयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टाकसेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. ध्वनियों का समय-समय पर आग्रहप्रथम हेतु सर्विलेस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एव अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, तिरागे उत्खनन, खनिक की मरुत एव अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यवसायिक अधिकारों के अधिकतम अथवा किन्हीं राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की वशा से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्त करने के मामलों की धीन रखने करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की जाये पाबिस निम्नलिखित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जन (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिशुद्धकरण और अन्य अपशिष्ट (प्रकार एवं सीमावार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वृत्ता में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर सारी की उपयुक्तता अथवा नवीन सार निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। सदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण एवं जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.सी.

अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बी पवन स्टोन इस्तिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर्स (प्री-बी दुखीराम सहॉय,
करमदा लाईम स्टोन (एल-ईड) माइनिंग प्रोजेक्ट)

को खसरा क्रमांक 1032/2, 1032/3, 1033/2, 1034/1, 1034/2, 1035, 1036 एवं
1038/2, कुल सीज क्षेत्र 1.979 हेक्टेयर, ग्राम-करमदा, तहसील-बलोदा,
जिला-जाजगीर-बांधा में घूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 1,10,010 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत
ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (सीज क्षेत्र) 1.979 हेक्टेयर अथवा
प्रत्तीसगढ़ शासन, खनिज संधान विभाग द्वारा स्वीकृत सीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम
हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन
1,10,010 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। सीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन
कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की पैदावा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के
अनुसार रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (सीज चक्रक
का नाम, खदान का क्षेत्रफल-अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति
अवधि) लगाया जाए।
4. माल्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कृषासीपन एवं
परिवहन सड़कों एवं खदान से फ्लाइंग सड़क तक पहुँच मार्गों के संधारण का कार्य 6
मह में पूर्ण किया जाए।
5. माल्टर हेतु पैघर ईआईए रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है,
उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए।
मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय
प्रत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., प्रत्तीसगढ़ एवं
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
नया राष्पुत्र अटल नगर को आर्वाधिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की
जाए।
6. माननीय एन.सी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पाटेंदल द्वारा
माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निमुक्ता करना है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपयोग की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अतः प्रक्रिया में अथवा कुआरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपयोग के लिए सैफ्टिक टैंक एवं सीकरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपस्थापित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधारण परिपत्रों, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा कर्मांतरगत पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
9. खाने पेटने धारक खान संचालन बंद करने की कार्रवाई (other cessing activities) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to other mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोथिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह पार, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित साईम फ्लोवर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विन्नी / वेट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों में अथवा प्रयुजित इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, मराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेनेन्ट वन संप्रदान सिस्टम एवं जल निष्कास की व्यवस्था की जाकर इलाका साफ संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विन्क ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परिकेसीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिकेसीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परीक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बेशिम का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लैंड स्टेज के चारों तरफ लोड़ी नई 7.5 मीटर की लोड़ी पट्टी में जेड्ड वेस्ट का संग्रहण / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुआरोपण किया जाए। ऐसा करना

नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनर्पट्टन हेतु अथवा बाढ़नी ओवरबैंक को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. कपरी मिट्टी को सीधे क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुल्लेख, वितरण एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भरण के लिए किया जाए।
17. ओवरबैंक एवं अनुपयोगी/बिजली अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को परितः प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अम्य की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबैंक अम्य का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कूटालेपन किया जाए।
18. जहाँ तक समय हो ओवरबैंक एवं अन्य अनुपयोगी/बिजली अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के प्रभाव से बचाने में पुनर्भरण (रिक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट सीधे क्षेत्र के आस-पास के बाढ़नी प्वाल क्रीता में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटनिंग वॉल / बारलेम्ब ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची बाहन से किया जाए, ताकि खनिज बाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अन्ततः से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कॉर्पोरेट इन्वायर्समेंट मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए एप्रि 7,05,448 रुपये के संभव में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।
22. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.86	Following activities at Nearby, Govt. School Village- Karmanda	
			Plantation	2.32
			Total	2.32

23. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 96 घंटे में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित चरणों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में संसाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सीईआर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आभक्त उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सीईआर के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (आम, नीम, कदम एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नम बीघों के लिए राशि 5,000 रुपये, बेंसिंग के लिए राशि 27,550 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 15,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,550 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,800 रुपये हेतु बंटकावा व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोपना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइंटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलौरगमक पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोपना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
26. ग्राम की निर्देशाव दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आती, तब उन्हें खदान/उद्योग/फट्टा के निर्देशाव के साथ-साथ सीईआर के तहत आभक्त द्वारा कवरटे गवे प्राची का निर्देशाव भी अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक दिम्मेदारी होगी।
27. वनछनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, जोवरखदेन डग आदि में स्थानीय प्रजाति के 945 नम वृक्षों का समान वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रपुषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नम प्रती हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु आम, इमली, अर्जुन, शीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नम बीघों का रोपण (कुल 1,345 नम बीघे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या काटेदार तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं दोष 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले बीघों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
29. रोपित किये जाने वाले बीघों में संख्यांकन (Numbering) एवं बीघे के नाम का उत्प्रेषण करते हुये गियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रारण प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

180

30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किया जाने एवं संमित पौधों का संरक्षण/रैट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रण-रण्यक अगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। जगहों द्वारा संमित पौधों के वृक्षारोपण को सकल बचाने का पक्की पूर्व जिम्मेदारी होगी।
31. किये गये वृक्षारोपण की गुण्ठी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए फ्लोसगढ़ पर्यावरण संरक्षण समझौते एवं एस.ई.आई.ए.ए. फ्लोसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन को अनुसार कार्य करवा, धर्मन इन्फायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता को कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्थिति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। शीत ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को हार्डहेल्मेट/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डीजीएसएस द्वारा अधिकृत डिस्पोजिट लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पेसाई रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग जगहों वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन क्रिया में भू-जल स्तर को उपर असतुल प्रभाव में भी जाएगी एवं उत्खनन क्रिया में भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की क्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कमरातियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्रकृतिक कमरातियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन फ्लोसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रभाव योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कंपिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पर्याप्त इलाका जा रहे।
39. अधिकारियों के लिए खनिज स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टैबलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. अधिकारियों का समय-समय पर जायडूशनल हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।

41. चरखानन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित चरखानन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें चरखानन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आह्वान किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के चलचल हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषपूर्व रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तरार्जन / निरस्त करने के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आह्वान की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सम्प्रदाय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parbesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (शिक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंज्ञक

और अन्य अपशिष्ट (प्रवाह एवं सीमण्टार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक प्रशिक्षण विभाग अधिनियम, 1991 (पञ्चा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है।

40. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की समझौता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने समर्थ निर्णय ले सके। संदान में कोई भी विस्तार अथवा वनमन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आफिस एवं एजेंसी ऑफ़ एवं क्लेयर/राहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेंगे।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

वेसर्स आमाकोनी साईन स्टोन क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री विवेक अग्रवाल)
को खसरा क्रमांक 38 (पाटी), 38 (पाटी) एवं 39, कुल लीज क्षेत्र 1.01 हेक्टेयर
ग्राम-आमाकोनी, तहसील-सिलगा, जिला-बल्लियाबाजार-बादायन में खुला पत्थर (पीन
खनिज) उत्खनन - 32,313.75 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन होइफल (लीज क्षेत्र) 1.01 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कुला पत्थर का अधिकतम उत्खनन 32,313.75 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर धक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति को केवला भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.ओ.ई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (ज्या संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का संकल्प अर्थात एन.पेजालर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत फॉर्मन इन्फार्मेशनबेटल सेनेजमेंट प्लान को अनुसूचत सुधारीपन एवं परिमहन सड़कों एवं खदान से परिमहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संरक्षण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु पैकार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, वक्ता स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को आर्वाधिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराई जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं चर्चित व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सछी जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतः इसे प्रक्रिया में अथवा सुधारीपन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोल्यूट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी

नहीं अथवा सहाई जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निश्चालित नहीं किया जाए।
सूचित जल एवं पर्यावरण का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए।
उपचारित सूचित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु
परिधान, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णक पर्यावरण
संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया
जाए।

9. क्षति पट्टा धारक स्नान संयोजन बंद करने के उपरांत (after ceasing bathing operations) स्नान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी स्नान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their bathing activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापन इस सिद्धि तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जीवाँ अर्द्ध के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्नान प्रधिकारी से अनुमोदित माईन ऑफर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. नू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विमान / रैट / धाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / घण्टा घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्षतिज परखनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम, संग्रहण क्षेत्र, भण्डार एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कॉन्सेन्ट्रेशन स्तरों पर नियंत्रण एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सहाय संयोजन / स्थापन सुनिश्चित किया जाए। विष्क ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परियोजना समुदाय निवासित मानक सीमा के भीतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, स्नान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्बंधन अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। परखनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्नान के बाहरी तरफ पौंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही परखनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्थिति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निश्चित की जा सकती।
15. परखनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग स्नानन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः पट्टर हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को विचार (स्ट्रेटिजाइज) करने में किया जाए।

✓ ✓ ✓
४ ६ ८

16. कम्परी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संयोजित रखा जाए। मिट्टी का दुरुल्लोप, बिक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खादान के पुनर्भरण के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्देन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से चिन्नीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्देन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्देन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने क्यूओं में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग ज्वला वाष्पित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सहाई जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल / ग्रासलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन क्यूईय वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर वही वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स गेजेंडरीट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए एडि 3.81.817 रुपये के संकय में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.20	2%	0.684	Following activities at Nearby, Village- Ranjaraud	
			Plantation around village pond	3.088
			Total	3.088

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अधिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित राज मंत्रालय से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया

जाए। सीईओएर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यन्त उच्च प्राथमिकता होगा।
पुष्पारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

24. सीईओएर के तहत, जलजल के घाटी और वृक्षारोपण (नीम, आम, जमून, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग बीघों के लिए राशि 7,500 रुपये, कोसिंग के लिए राशि 1,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,88,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,40,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पोन्दून-2 के सहमति उपरान्त सम्बाधोण स्थान (क्षेत्रफल 839, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सीईओएर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोफाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का एग्रीकल्चर गवर्नर संस्था मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) सहित किया जाए। साथ ही सीईओएर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गाँव त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईओएर के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. जलजल हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 70% नग बीघों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार नम, पीपल, नीम, करंज, सौंदा, आम, इमली, अर्जुन, सौरभ आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग बीघों का रोपण (कुल 900 नग बीघों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्वतः उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं क्षेत्र 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले बीघों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
29. रोपित किये जाने वाले बीघों में संख्यांकन (Numbering) एवं बीघों के नाम का उल्लेख करती हुई टैग्स (Tags) फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. ग्राईविंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित बीघों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। अत्यधिक मात्रा रोपित पौधों के क्लारिफिकेशन को संभव बनाकर आगामी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किये गये क्लारिफिकेशन की पुष्टि हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) साथ एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हूये जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. कलसीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिमिटर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आई.ए. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फार्मरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निबंधन हेतु आवश्यक प्रयास किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। सौर ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हयलसिंग/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. राष्ट्रीय लाइसेंसिंग का कार्य डीजीपीएस द्वारा अधिकृत डिप्लोमेट लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक) को उठाने से रोकने हेतु संघीय एवं राज्य व्यवस्था किया जाए। वेस्ट ड्रिलिंग अवस्था तहत प्रदूषण निबंधन व्यवस्था अधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे बस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के ऊपर असंतुल्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक शामिल होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन जलसीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2019 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। ग्राईन एक्ट 1852 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कंप्लेंट श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खान स्थल पर राख पैपजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आयुर्वेदानुसार हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसने उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आग्रह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय मानुषी / विविधों के परस्परान हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काश के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आग्रह की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संबंधित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आमेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पारो जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपरिचित (प्रकाश एवं सीमाचार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व कीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. जलसीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विषयगत अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. जलसीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. जलसीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्मुखता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने या बन्त निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा सम्मयन एस.ई.आई.ए.ए. जलसीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सम्बद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मेहनत ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, मेहनत ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए.

अध्यक्ष, एस.ई.आई.ए.सी.

मेसर्स श्री वाताजी स्टोन इम्प्लस्ट्रीज (पार्ट-नर- श्री विठ्ठल पटेल, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट) को खसरा क्रमांक 394, 398(पाटी), 399, 404, 405 एवं 407, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हेक्टेयर, घन-खैरवारी, ताहसील-सिमना, जिला-बलीदाबाजल-माटापारा में भूत पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 76,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। जहां इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्फल (लीज क्षेत्र) 3.4 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोटी में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से भूत पत्थर का अधिकतम उत्खनन 76,875 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाए जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भानत साकर के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज भाषक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. कंसटन हेतु प्रस्तुत जीएम इम्प्लायमेंटमेंट मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कुशलरोपण एवं परिवहन राहकों एवं खदान से परिवहन राइडक तक पहुंच गल्लों के संचालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. कंसटन हेतु तैयार ईआईए रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. राष्ट्रीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार चट्टेयान द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेनु दूषित जल (जदि कोई हो) को उपचार करे उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रियाएं एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरन्तरित नहीं किया जाए, अतितु इसे प्रक्रिया में अथवा पृथक्रोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेनु दूषित जल को उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी

नदी तथ्यांक सहायी जल स्वीती में किसी भी परिस्थिति में निस्कारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपभारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पदार्थ धारक खान संभालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, खननी से-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुन:स्थापना इस सिद्धि तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहाय प्रधिकारों से अनुमोदित माईन ब्लॉक पर खान एवं माट्ट के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्वीत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किनारी / बेट / थाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / घानावा घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन का निराकरण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेव मार्ग, रोड, संवर्धन क्षेत्र, मरई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन विन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सॉलेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सहाय संभालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड बेकिंग बोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परियोजना वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर रहत जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. खानों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परियोजना वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं सीनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ घेराव का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
14. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गड्ढा 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं माने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुन: उद्धार हेतु अथवा बाहरी जोनलवर्डन को निवार (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का पुनर्स्थापन, वितरण एवं अन्य कार्य भी उपयोजन नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरबैंक एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (रेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को जचित प्रस्ताव से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबैंक अन्य का हटाना रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबैंक एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (रेस्ट रीक) को खनन के प्रस्ताव को बढ़ावा में पुनर्स्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोजन किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विभिन्न लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़कें जल नालों से प्रभावित न हों। इसी संकेत हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / वास्तुशिल्प ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्टेंर वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक को सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए रकम 24,54,175 रुपये के संकेत में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at Nearby Village- Lohari	
			Plantation	3.0885
			Total	3.0885

23. सीईआर के सहित निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित आम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उनी खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के सहित जायके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आयकी जिम्मेदारी होगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पीछी के लिए राशि 10,000 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 84,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 49,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,45,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,63,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सीहारी के सहमति उपरोक्त पंचायतों में स्थान प्रधान (सहायक क्रमांक 781, क्षेत्रफल 1 एकड़) के साथ में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमति कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खेत पर आवे, तब सभी खदान/उद्योग/गट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगों के द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. संरक्षण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तरफ 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 नग वृक्षों का सख्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, खैरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 600 नग पीछी का रोपण (कुल 2,045 नग पीछे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कठिनायत तब के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्वतः उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सिद्धीत क्षेत्र में उपयोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं बीच 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकलन निरस्त की जा सकती है।
29. चयनित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे की नाम का उल्लेख करते हुए जियोटैग (Geotag) कोडोकापस तथित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं चयनित पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित काले हुए मूल पीछों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपसे द्वारा चयनित पीछों के वृक्षारोपण का संकलन बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किसे नये वृक्षरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अद्ययावक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये छतईसंगड़ पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो एवं एस.ई.आई.ए.ए., छतईसंगड़ को प्रेषित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर प्रतिमिटर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, बीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं चाहे ज़रूरी पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। सीढ़ ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उचित उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लॉकिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत एक्सप्लोडर लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पावर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पेसाई रॉकर) को उड़ाने से रोकने हेतु धार्जना एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा बाबू प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित क्लियर किया जाए जिससे बस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंलुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक संरक्षितियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण व्यवस्था परिलक्ष्य होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छतईसंगड़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माइन एक्ट 1962 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायनेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आरक्षणात्मक हेल्थ सर्फिलेस कराना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की खोज एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छतईसंगड़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकारण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आश-वासि व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने को 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेंगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अधिलेखन हेतु लगाया है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट pse-raj.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विद्यमान परिसंकटग्रस्त और अन्य आशिश्ट (प्रबंध एवं सीमाकार संघर्षन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विमर्जन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार

कर सती थी। उपर्युक्ताना अथवा नवीन-रूप निर्दिष्ट करने वास्तु निर्माता से सके। खदान में भी कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, मन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

31. पर्यावरणीय स्वीकृति के दिग्दर्श अर्पीत मेकानल प्लान ट्रैन्सप्लान के समक्ष, मेकानल प्लान ट्रैन्सप्लान एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राज्य सचिव, एस.ई.आई.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.आई.सी.

नेसर्स श्री बाबाजी स्टोन इंडस्ट्रीज (पार्टनर - श्री राणा अरुण कुमार सिंह, खैरवारी स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट) को खसरा क्रमांक 381, 382 एवं 383(फर्टी) कुल लीज क्षेत्र 1.788 हेक्टेयर, ग्राम-खैरवारी, तहसील-किमगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटावारा में चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 80,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.788 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 80,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनाबे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (गंगा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं देशांतर स्थित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. करस्टर हेतु प्रस्तुत कॉम्पन इन्व्हेस्टमेंट्स मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिचरन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के स्थापन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. करस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, वहां स्थलीय व वन्यजीव मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर की अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्खनन जल एवं घरेलू पृथित जल (यदि कोई हो) के उपयोग की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्खनन किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नहीं अथवा साफ़ जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरक्षरित नहीं किया जाए अतः प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू पृथित जल के उपयोग के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोलर पंप की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी

नदी अधिकांश सहाई जल स्रोतों में किसी भी परिसिद्धि में निर्यातित नहीं किया जाए।
दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए।
उपभोगित दूषित जल की पुनर्वाता मानक संस्कार, पर्यावरण, वन और जलधन्य
परिचालन, संजालन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अध्याय एंटीशमद पर्यावरण
संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जी भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया
जाए।

9. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनको खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस विधि तत्काल किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. सू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय सू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किमनी / नेट / माईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्याप्तित इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैप, संवहन क्षेत्र, मर्राई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम संवहन सिस्टम एवं जल सिंचनाई की आवश्यकता की जाकर इसका सार्व संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। परियोजना वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु मॉनिटरिंग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ बर्रिकेड का कार्य किये जाने के उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का अप / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषिरोधन किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः प्रदान हेतु अध्याय बाहरी जोनरवर्जन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।



16. कचरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर बंटावित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (मिस्ट रीक) को पृथक् से पूर्व से चिह्नीत स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। कम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 20 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डिंग कम्प का इस्तेमाल रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से सुसामर्थ्य किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (मिस्ट रीक) को खनन के बचकाल बने गड्ढों में पुनःसम (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिस्ट रीक क्षेत्र के आस-पास के सराही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु बाईन पीट तथा अन्य क्षेत्र के रिटर्निंग पीट / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कचराई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज गिरान से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमतिगत हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 12,90,000 रुपये के संकलन से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.4488	2%	0.788	Following activities at Nearby Village- Lohari	
			Pavitra Van	2.278
			Naman	
			Total	2.278

1. सीईआर के तहत निर्धारित कार्यकारी 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सीईआर के कारवाया प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैतमिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें

खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के तहत आपकी द्वारा कतारें गढ़े कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. सीईआर के अंतर्गत "सद्विवेक उन निर्माण" के तहत वृक्षारोपण (मीन, आम, करंज, बरगुन, जामुन, ताजमर, अमरनास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पीछे के लिए राशि 5,000 रुपये, फोसिंग के लिए राशि 40,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 85,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,35,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सीहाटी के सहमति उपर्युक्त पर्यावरणीय स्थान (खसरा क्रमांक 781, रकबा 4.7 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत की प्रदायिका/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलौसमर पर्यावरण संरक्षण समिति की प्रदायिका/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के तुरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईआर के तहत आपकी द्वारा कतारें गढ़े कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उल्थान हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ऑवरसईम बना आदि में स्वतंत्र प्रजाति के 275 नग वृक्षों का रोपण वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय वन्यजीव नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बरु, पीपल, मीन, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 360 नग पीछे का रोपण (कुल 1,335 नग पीछे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिह्नित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं क्षेत्र 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उत्थान निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का टैगलेट कसां हुवे जितागिंग (Geotag) मोटोरायस सहित जानकारी प्राप्त प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सामग्री वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

का एक-सत्राज आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये नृत पीपी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। अल्पकाल द्वारा संभित पीपी के वृद्धारोपण को सकल बनाया जाताकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृद्धारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) का एव फोटोग्राफिक अर्थवर्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रतिसंगत पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं एस.ई.आई.ए.ए. प्रतिसंगत को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर प्रतिमिति क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आग्रहजन के अनुसार कार्य करना, कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के निबंधन हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि में समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। सीधे ध्वनि पाते क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को इयरप्लग/मास्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. कंप्यूटर लाइसेंसिंग का कार्य डीजीपीएस द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर (Empowered License Holder) द्वारा किया जाए परन्तु के छोटे-छोटे दुकानों (मछाई बीन्स) को ठहरने से ठहरने हेतु परमिट एवं सहमति व्यवस्था किया जाए। गैर डिजिटल अथवा धातु प्रदूषण निबंधन व्यवस्था आधारित डिजिटल किया जाए, जिससे डेटा का सुरक्षात्मक निबंधन में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंगत प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का संरक्षित संरक्षण बनाया प्रभावित होना।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन प्रतिसंगत ग्रीन खनिज विधम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1862 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कोम्प्लेक्स अधिक कार्य पर लगाते जाते हैं तो ऐसे अधिकारों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
38. अधिकारों के लिए खनन स्थल पर रखवा विद्यमान चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल रायजेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. अधिकारों का समय-समय पर आकस्मिकता हेतु सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार राष्ट्रीय योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अधिशेष सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति की बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आग्रह किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थान पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संस्थान को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा कम, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा अन्तर्गमन / निरस्त के मानकों की और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आग्रह की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ राज्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैधानिक/अतिव्यक्तियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रदूषण एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक वायुमल कीट अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित पनियोचना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः गतीय जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्मुखता अथवा भरीन शर्त निर्दिष्ट करने वास्तु निर्णय ले सके। छंटालन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नावन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, शिक्षा-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं फलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रामधानी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सादरमय सचिव, एस.ई.आई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.आई.सी.

मेसर्स पी. जयलपुर सैंड कारी (प्रो.- वी. अभियेक पार्षद) को खसरा क्रमांक 94, कुल क्षेत्रफल - 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, घान-जयलपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, में बांड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली है।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करण सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निश्चायन की तारीख से मात्र जब तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. एन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अध्ययन (सिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्पूरण (Replenishment) कायम राही आसकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नवीकर, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की सुगमता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसका स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए. धर्म में जमाई कर से प्रस्तुत की जाएगी। इसका स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीव घातक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आसंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति आदि) लगाया जाए।
6. जीव क्षेत्र के घाटी घाटी तथा सीमा लाइन के साथ में सीमेंट के खम्भे गड़ाला आवश्यक है ताकि जीव क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी जलस्तर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल स्तर 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माइनिंग परम अनुसार के उत्खनन क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. मासलीय एन.पी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार घटोदार द्वारा माईनिंग ध्वान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी का ध्वान सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सारों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालुका एलई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाएँ। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग जीज क्षेत्र तथा जीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन जीज के सहर / नदी तट (दीर्घी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपराल मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य जगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 तक अनिवार्य रूप से एलई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में बाँधें चढ़ाने जैसे- जेसीपी मशीन, फोकलिंग, लोडर, बैगमाउण्टेड मशीन, हाईवा जलदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिह्नित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई बीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापवेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय संरचनाओं से खपन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / बीजों का संरक्षण आवश्यक है और इन क्षेत्रों को आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सुबोदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाबंद

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

जाने की विधिति में अवैध उत्खनन सामा जाहना तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकती।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों वगैरह / अनलोजिक आदि से उत्पन्न होने वाले परसुजिस्टिड डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में वाणिज्यीय वायु की गुणवत्ता नाएल सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तारपीटिन अथवा अन्य उपयुक्त गाडन से इके हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर छे ताहनी को अमता से अधिक नहीं भरा जन्त सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. बाधमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातिधों के कुल 900 गन पीछों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रखा-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संकी आराय का समथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रखा-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित आनकरी आधवारिक रिपोर्ट के साथ जमा करे। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
22. वृक्षारोपण का रखा-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये नये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स आधवारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रकृतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एल.ई.आई.ए.ए. प्रकृतीसंग्रह को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

5	2%	0.12	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Jabalpur	
			Rain Water Harvesting System	0.2
			Running Water Facility for Toilets	0.2
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation	0.12
			Total	0.67

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकाली 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्वर्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हूये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की समाप्ता सुनिश्चित करना ज़रूरी अवस्था उत्तरदायित्व होगा। मूलावस्था असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
26. सी.ई.आर. एवं मूलावस्था कार्य के मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संचायक के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिजा प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं मूलावस्था का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
27. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाएं, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगके द्वारा कलसे गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अवधी जिम्मेदारी होगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यकाली की जाएगी।
29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विनायी, नम्बरों एवं अन्य संस्थाओं से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिया प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
30. भारतीय रेल नीति समिति विषय, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/सर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. कार्य स्थल पर यदि कौनिस अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों के आगल की सचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आगलीय व्यवस्था अवधी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. भूमिपूँजी के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पंचांगत विकिरणशील सुविधा, मोबाइल टायलोट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूल विसर्जन, अथवा स्लाय सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबन्धित रहेगा। नदी एवं नदी जल की साफ़ता का ध्यान रखा जाये।
33. भूमिपूँजी का समय-समय पर आवसूचनागत होत्व सर्विलेंस बनाया जाये।
34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उत्प्रेषण हेतु अधिकृत करता है।
36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपर्क में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्प्रेषण / निरस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
37. परियोजना प्रस्तावक मूलतः 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आज-प्रातः पत्रक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की शुरुआत प्रसारित करेगा कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अवश्याक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर/क्षेत्रीय प्रमुख निर्माण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपरिचित (प्रबंधन हस्तांतरण एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना की शर्तों में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अचानक परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सुचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्मुखता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा चलावन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण, मन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सौकरिता की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में ज्ञात दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय सौकरिता के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.